लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VIII में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 51 to 62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 52 सोमवार, 31 जुलाई, 1967/ 9 श्रावण, 1889 (शक)

No 52 Monday, July 31, 1967/Sravana 9, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1471	अफ्रीकी देशों में बसे हुए भारतीय लोग	Indian Settlers in African countries	171–176
1473	सिटीजन्स इन्टेलीजेंस फोरम (नागरिक जागरूकता संघ) तथा छात्र क्लब	Citizens' Intelligence Forums and Students' Clubs ..	176–178
1474	चलचित्र प्रभाग द्वारा बनाये गये वृत्तचित्र	Documentaries by the Films Dn.	178–183
1476	राजस्थान में परमाणु बिजली घर में आग लगने की घटना	Fire in Atomic Plant in Rajasthan	183–186
1478	भारत विरोधी मिथ्या प्रचार को निष्प्रभाव करने के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रम	A. I. R. Programmes to counteract Anti Indian Propaganda –	186-189

अल्प सूचना प्रश्न /S. N. Q.

38	स्टाकहोम में प्रतिलिप्याधिकार सम्मेलन	Copyright convention at Stockholm	189–192

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

तारांकित प्रश्न सं./S Q.Nos.

1472	अफ्रीकी देशों में उद्योग	Industries in African Countries	192–193

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

1475	भारतीय बस्तियां	Indian Enclaves	193-194
1477	भारत विरोधी मिथ्या प्रचार को निष्प्रभाव करने के लिये पूर्वी सीमा क्षेत्रों में आकाशवाणी से प्रसारण	A. I. R, Broadcasts on the Eastern border areas to counteract Anti-Indian Propaganda	194
1479	विद्रोही नागाओं की सरकार का नेता	Leader of Hostile Nagas' Government ...	194-195
1480	पूर्वी पाकिस्तान में चीन के राष्ट्रजन	Chinese in East Pakistan	195
1481	पाकिस्तान द्वारा युद्ध की तैयारियां	War Preparations by Pakistan	195
1482	दक्षिण एशिया के देशों के एक नये संगठन की स्थापना	Formation of a new South-Asia Group ..	196
1483	भारत के बारे में वायस आफ अमेरिका तथा बी. बी. सी द्वारा प्रसारण	Voice of America and B. B. C. Broadcasts about India	196
1484	भारतीय सीमाओं पर विवादग्रस्त क्षेत्र	Disputed Areas on the Indian Borders ..	196-197
1485	नागाओं के साथ वार्ता	Talks with Nagas ...	197
1486	संयुक्त अरब गणराज्य और इसराईल के युद्ध से पीड़ित लोगों को सहायता का दिया जाना	Help given to war affected people of UAR and Israel	198
1487	नागाओं के साथ वार्ता	Talks with Nagas	198-199
1488	ब्रिटेन की सरकार द्वारा हिन्द महासागर में द्वीपों की खरीद	Purchase of Islands in the Indian Ocean by the British Government	199
1489	आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण के कारण समाचारपत्रों के लिये प्रतिकर	Compensation to Newspapers for Commercial Broadcast on A.I.R.	200

ता.प्र. संख्या. / S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ / Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर – (जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1490 वैदेशिक कार्य मंत्री की काहिरा तथा बैलग्रेड की यात्रा	E. A. Minister's Visit to Cairo and Belgrade	200
1491 तिब्बती शरणार्थियों का बड़ी संख्या में आना	Influx of Tibetan Refugees	200-201
1492 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की बैठक	Meeting of U.N. Economic and Social Council ...	201
1493 काहिरा में अफ्रीका-एशियाई एकता सम्मेलन	Afro-Asian Solidarity Conference at Cairo...	202
1494 गाजा पट्टी में तैनात भारतीय सैनिकों की मृत्यु के बारे में जाँच-पड़ताल	Probe into the Death of Indian Soldiers in Gaza	202-203
1495 कीनिया से निष्कासित भारतीय लोग	Indian expelled from Kenya	203-204
1496 पाकिस्तानी दूतावास द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति	Press Note issued by Pakistan Embassy ...	204
1497 "भारतीय वायुसेना" के स्थान पर देवनागरी लिपि में इंडियन एयर फोर्स लिखा जाना	Substitution of "Bharatiya Vayu Sena" by Indian Air Force in Devnagri Script ...	204-205
1498 भारतीयों का विदेशों को प्रव्रजन	Immigration of Indians to Foreign Countries	205
1499 राज्यों में आकाशवाणी के नाम में परिवर्तन	Change of Name of Akashwani in States ...	205-206
1500 स्वेज नहर क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक	U.N. Observers in Suez Canal Area —	206
अता. प्र. सं. / U.S.Q.Nos,		
7284 परमाणु बिजली घर	Atomic Power Stations ...	206-207

7285	रिजर्विस्ट एयरमैनों को युद्ध सेवा के लिये बुलाना	Airmen Reservists called for Active Service	207
7286	मंत्रियों की विमान यात्रा	Air Travel by Ministers	208
7287	रिहायशी विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों में योजना का प्रचार	Plan Publicity in Residential University Areas	208
7288	साउदी अरब तथा अन्य अरब देशों में वाणिज्यिक संस्थानों में नियुक्त भारतीय	Indians employed in commercial establishments in Saudi Arabia and other Arab Countries...	208–209
7289	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में उन्हीं देश के नागरिकों का नियुक्त किया जाना	Employees recruited locally for Indian Missions abroad	209–210
7290	एक्सपैरीमेंट इन इंटर–नेशनल लिविंग (अन्त–र्राष्ट्रीय रहन–सहन का अनुभव) में भाग लेने वाले भारतीय नागरिक	Indians participating in Experiment in International Living	210
7292	भाभा अणु-शक्ति अनु-संधानु केन्द्र	Bhabha Atomic Energy Research Centre ..	210–211
7293	ओलवाल्ड स्टैक का लेख	Article Written by Olwald Stack	211
7294	मजगाँव डाक लिमिटेड, बम्बई	Mazagon Dock Ltd. Bombay	211–212
7295	अमरीका में भारतीय दृष्टिकोण के समर्थन में प्रचार	Publicity to the Indian Cause in USA ...	212
7297	गोआ में छोटे समाचार–पत्र	Small Newspapers in Goa	212–213
7298	उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा के बारे में चलचित्र	Film on Drought conditions in Bihar and U. P.	213–214

7299	सैनिक स्कूल	Sainik Schools ..	214
7300	रेडियो इ'डिया	Radio India	214
7301	कारतूसों के दाम और उनका उत्पादन	Prices of Cartiridges and their production ...	214-215
7302	सेना द्वारा एक मंन्दिर पर कब्जा किया जाना	Taking-over of a Mandir by Army	215-216
7303	प्रधान मंत्री को विदेश यात्रा के लिये आमंत्रण	Invitations to P. M. to visit Foreign countries	216
7304	अमरीकी राजदूत श्री चेस्टरबोल्स की आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री से वार्ता	US Ambassador Chester Bowles' Talks with Andhra Pradesh Agriculture Minister ..	216–217
7305	दार्जिलिंग में भूमि का अर्जन	Aequisition of land in Darjeeling	217
7306	पश्चिम बंगाल के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता के बारे में अमरीकी राजदूत की पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ भेंट	US Ambassador's Meeting with West Bengal Chief Minister Re. Aid to Drought Affected Areas in West Bengal	217-218
7307	उत्तर वियतनाम तथा उत्तर कोरिया	North Vietnam and North Korea ..	218
7308	नई दिल्ली में चीन के दूतावास द्वारा अरब छात्रों का एक समारोह में आमन्त्रित किया जाना	Arab Students invited to a Party by the Chinese Embassy in New Delhi ...	218-219
7309	अवाडी में नई तारों की नीलामी	Auction of New Cables at Avadi ...	219
7310	पाकिस्तान का मध्य- पूर्व के देशों के साथ सैनिक समझौता	Military Alliance of Pakistan with other Middle East Countries ...	219-220

अता. प्र. संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
7311 भारत-इसराइली संस्था	Indo-Isreali Association	220
7312 1947 में ब्रिटेन, पुर्तगाली और फ्रांसासी सरकारों तथा भूतपूर्व रियासतों के शासकों के साथ किये गये करार	Agreements enterd into with U. K. Portugese and Franch Governments and Rulers of Former Princely States in 1947	220–221
7313 दिल्ली के सिनेमाओं में वातानुकूल व्यवस्था	Air conditioning in Delhi Cinemas	221
7314 सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रानिक संगणक	Electronic Computers in Government, Offices	221–222
7315 केन्द्रीय आयुध डिपो जबलपुर के कामान्डेंट के विरुद्ध आरोप	Allegations against Commandant, C.O.D., Jabalpur	222
7316 पश्चिम जमनी सरकार का विरोध पत्र	Protest lodged with Bonn Government	222–223
7317 रेडियो तथा ध्वनि–उपकरण निर्माता	Radio and Sound Equipment Manufacturers	223
7318 पेकिंग में स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों क लिये बहिगमन परमिट	Exit permits for Personnel of Indian Embassy in Peking	223–224
7319 प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income ...	224
7320 कोचीन नायर ब्रिगेड और कोचीन स्टेट फोर्स के कमचारी	Employees of Cochin Nayar Brigade and Cochin State Force	224–225
7321 मैसूर में बिड़ला उद्योगों को भूमि का आवटन	Allotment of Land for a Birla concern in Mysore	225
7322 फिल्म सेंसर बोड के अधीन चल-चित्र अनुसंधान केन्द्र	Film Research Centre under Board of Film Censors	225–226
7323 उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक के पारपत्र (पासपोर्ट) का नवीकरण	Renewal of the Pass-port of Shri Biju Patnaik, former C. M. Orissa	226

ता.प्र.संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS – Contd.		
7324	फिल्म सेंसर बोर्ड में फिल्म–निर्माताओं का प्रतिनिधित्व / Representation of Film Producers in Board of Film Censors ..	226
7325	बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में प्रतिरक्षा भूमि के पट्टे को नया करना / Renewal of lease of Defence Land in Bulandshsar (U.P.) ..	227
7326	कर्मचारियों की वरिष्टता सम्बन्धी नियम / Rules Re. Seniority of Staff	227-228
7327	भारतीय विदेश सेवा (ख) में पदोन्नतियां / Promotions in I. F. S. (B) ..	228
7328	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पिलानी में तैयार किये गये टेलीविजन सैट / T. V. Sets produced at Central Electronics Engineering Institute, Pilani ...	228-229
7329	दरभंगा में मैथली भाषा के लिये आकाशवाणी का केन्द्र / Mithila Radio Station at Darbhanga...	229
7330	फिल्म स्टूडियो का बन्द होना / Closure of Film Studios ..	229-230
7331	भारतीय राजदूत द्वारा प्रमाण पत्र हिन्दी में प्रस्तुत किया जाना / Presentation of Credentials by Indian Ambassador in Hindi ..	230
7332	जवानों और असैनिक कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में असमानता / Disparity in Increment of Jawans and civilian Employees ..	230-231
7333	पुनर्वास निदेशालय / Resettlement Directorate	231
7434	पूर्वी पाकिस्तान के मिजो लोग / Mizos from East Pakistan	231-232
7335	उड़ीसा की एक फर्म द्वारा युगोस्लाविया में निर्मित, ट्रैक्टरों का आयात / Import of Yugoslav Tractors by a firm in Orissa	232-233

तारा. प्र. संख्या/ U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.	
7336 विदेश सचिव की मास्को की यात्रा	Foreign Secretary's visit to Moscow	233
7337 भारत अर्थ मूवर्स द्वारा आयात	Imports by Bharat Earth Movers	234
7338 अमरीका में बस रहे तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees Setting in U.S.A. ..	234–235
7339 परमाणु ऊर्जा संयंत्र	Nuclear Power Plants	235
7340 अमरीकी इलैक्ट्रानिक जेमर 'लिबर्टी'	U.S. Electronic Jammer LIBERTY	235–236
7341 आकाशवाणी केन्द्र कलकत्ता	A. I. R. Station, Calcutta	236
7342 मई दिवस के प्रसारण के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को प्रधान मन्त्री का उत्तर	P.M.'S reply to the letter from West Bengal Chief Minister re. May Day Broadcast ..	236
7343 कीनिया, उगाण्डा तथा तांगानीका के राष्ट्रपतियों को निमंत्रण	Invitations to the Presidents of Kenya Uganda and Tanganyika ...	237
7344 बर्लिन चलचित्र समारोह में 'अनुपमा' नामक हिन्दी रूपक चलचित्र	Hindi Feature film 'Anupama' Berlin Film Festival	237–238
7345 भारतीय चलचित्र संस्था के डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति	Diploma Holders from Film Institute of India ..	238–239
7346 आकाशवाणी के टेलिविजन यूनिट में अप्रशिक्षित व्यक्ति	Untrained Persons in Television of A. I. R.	239
7347 सैनिक शिक्षा दल (आर्मी एजुकेशन कोर)	Army Education Corps ...	239–240
7348 राजस्थान में जवानों के लिये भूमि	Land for Jawans in Rajasthan ..	240

अतां.प्र.संख्या / U. S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
7349 पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारी	Indian Embassy Staff in Peking ..	240
7350 भारत में यहूदी लोग	Jews in India ... —	240-241
7351 प्रतिरक्षा संगठनों में विदेशी प्रशिक्षणार्थी	Foreigners Trainees in Defence Organisations	241
7352 आण्विक हथियारों के फैलाव को रोकने के सम्बन्ध में ब्रिटेन के साथ परामर्श	Consultations with U. K. on Non-Dissemination of Nuclear Arms	241-242
7353 पाकिस्तान का विरोध पत्र	Protest Note from Pakistan	242
7354 त्रिशुली जल—विद्युत परियोजना	Trisuli Hydel Project	242-243
7355 मध्य प्रदेश में रेडियो स्टेशनों से मौसम सम्बन्धी सूचनाओं का प्रसारण	Weather Bulletins Broadcast from Radio Stations in Madhya-Pradesh ..	243
7356 मध्य, प्रदेश में सैनिक स्कूल	Sainik School in Madhya Pradesh	243
7357 रेडियो सैटों का निर्माण	Manufacture of Radio Sets	244
7358 नागालैंड	Nagaland —	244
7359 पेरिम द्वीप का अन्तर्राष्ट्रीयकरण	Internationalisation of Island Perim... ...	244-245
7360 शिक्षा संस्थाओं के लिये टेलीविजन सैट	Television Sets for Educational Institutions	245
7361 श्रीलंका स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त द्वारा कही गयीं बातें	Remark of Deputy High Commissioner of India in Ceylon	245-246
7362 एक परमाणु वैज्ञानिक द्वारा आत्महत्या	Suicide by an Atomic Scientist —	246
7363 आर्मी रिजर्विस्टस	Army Reservists	246-247

7364	भारतीयों की पाकिस्तान यात्रा	Visit of Indians to Pakistan	247–248
7365	उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षाओं के बारे में प्रसारित किया गया समाचार	News Broadcast about U. P. High School Examinations	248
7366	मूल्यों सम्बन्धी आँकड़े	Statistics Re. Prices	248–249
7367	भारतीय सशस्त्र सेनाओं में महिलायें	Women in Indian Armed Forces	249–250
7368	रिजर्व लिस्ट में इमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers on Rserve List	250
7369	नेपाल द्वारा भारतीय औद्योगिक संस्थानों को अपने हाथ में लिया जाना	Indian owned Industrial Establishment take over by Nepal	250–251
7370	भारत–पाक संघर्ष के दौरान मारे गये अफसर	Officers killed during Indo-Pak. hostilities...	251–252
7371	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा जारी किये जाने वाले बुलेटिन	Bulletins issued by Indian Missions Abroad	252
7372	सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भारतीय राजदूतों का योगदान	Indian Ambassadors' Contribution to social and Cultural Movements	252–253
7373	चीन को भेजा गया विरोध पत्र	Protest notes sent to China	253
7374	कच्छ न्यायाधिकरण	Kutch Tribunal	253–254
7376	दानापुर स्थित एम. ई. एस. विभाग द्वारा मकानों का अधिकरण	Requistioning of houses by M. E, S. Danapur	254

तारा प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
7377 प्रतिरक्षा सेवाओं मे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये आरक्षित पद	Posts reserved for S. C. and S. T. Candidates in Defence Services	254-255
7378 भारतीय वायु सेना के एक विमान की बड़ा के पास दुर्घटना	I. A. F. Plane Crash near Bara ...	255
7379 हिन्दी जानने वाले भारतीय राजनयिक	Hindi Knowing Indian Diplomates ..	255-256
7380 नेपाल में भारतीय सहयोग मिशन	Indian Cooperation Mission in Nepal ..	256-257
7381 आकाशवाणी केन्द्र, जबलपुर	A. I. R. Station, Jabalpur ...	257
7382 संसद सदस्यों द्वारा अग्रिम क्षेत्रों का दौरा	Visit of M. Ps'. Teams to Forwaid Areas	257
7383 भारी पानी तैयार करने के कारखाने	Heavy Water Plants	257-258
7384 आकाशवाणी के कार्यक्रम	Programmes in A. I. R.	258
7385 आकाशवाणी विश्वविद्यालय कार्यक्रम	University of the A.I.R. Programme... ...	258-259
7386 सचना और प्रसारण मन्त्रालय में पार्लियामेंटरी असिस्टेंटों (संसद कार्य सहायक) के पद	Post of Parliament Assistants in I & B Ministry ..	259-260
7387 प्रतिरक्षा मन्त्रालय में पार्लियामेंटरी असिस्टेंट	Parliament-Assistants in the Ministry of Defence	260
7388 निरक्षरता समाप्त करने के लिए रेडियो तथा टेलीविजन का प्रयोग	Use of Radio and T. V. to Liquidation Illiteracy	260
7389 मध्य प्रदेश में रीवा डिवीजन के लिए आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Station for Rewa Division in Madhya Pradesh	260-261

अता. प्र. संख्या / U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	261
जासूसी के सिलसिले में भारतीय वायु सेना के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी	Arrest of an I. A. F. employee in connection with espionage	261
श्री एस. एम. जोशी	Shri S. M, Joshi	261
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	261
मध्य प्रदेश के आय-व्ययक के मुद्रण के बारे में वक्तव्य	Statement re. Printing of Madhya Pradesh Budget	262–266
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan ...	262
विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Second Report of Privileges Committee	266–272
ठेका श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) विधेयक	Contract Labour (Regulation & Abolition) Bill—Introduced	272
चाय (संशोधन) विधेयक	Tea (Amendment) Bill	273
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	273
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	277
श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari ..	278
श्री नरेन्द्रसिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida ..	279
श्री सु. कु, तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah	280
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrate Barua ..	281
श्री कडप्पन	Shri S. Kandappan ..	282
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ...	283
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	284
श्री च. का. भट्टाचार्य	Shri C. K Bhattacharaya	285
श्री प. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	285
श्री रा. बरूआ	Shri R. Barua ..	286

अता. प्रश्न संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री हुचे गोडा	Shri M. H. Gowda	286
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharada Mukerjee ..	287
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes ...	287
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	288
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatrya Kunte ...	288
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanathan ...	289
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 ...	290
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass ..	291
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ...	291
श्री अब्दुल गनीदार	Shri Abdul Ghani Dar ..	291
तूति-कोरिन बन्दरगाह परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Tuticorian Harbour Project	292
श्री अंबाजागन	Shri Anbazhagan	292
डा. वी. के. आर. वी. राव	Dr. V.K. R.V. Rao	295

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार 31 जुलाई, 1967/ 9 श्रावण, 1889 (शक)

Monday, July 31, 1967/Sravana 9, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अफ्रीकी देशों में बसे हुए भारतीय लोग

+

*1471 **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदानन्द :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अफ्रीकी देशों में बसे हुए भारतीय लोगों के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अफ्रीकी देशों में भारतीय लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता है और वे अपमानजनक स्थिति में रह रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) यह कहना ठीक न होगा कि भारत सरकार ने अफ्रीकी देशों में बसने वाले भारतीयों से सम्बद्ध मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है।

(ख) यह कहना भी ठीक नहीं है कि कुछ अफ्रीकी देशों में भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। जिन लोगों ने इन देशों की स्थानीय नागरिकता प्राप्त कर ली है, उन्हें नागरिकता के सारे अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जिन लोगों ने उन देशों की नागरिकता नहीं ली है जहां वे रहते हैं, उन्हें वहां के अन्य निवासियों के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं के अनुरूप रहने और काम करने की अब भी अनुमति दी जाती है।

(ग) भारत सरकार और इन देशों में हमारे मिशनों ने इन देशों में रहने वाले एशियाई समुदाय के लोगों और देशी लोगों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने की दिशा में हमेशा ही काम किया है। जब कभी सम्भव और उचित हुआ है हम भारतमूलक लोगों की ओर से संबद्ध देशों की सरकारों के साथ कठिनाइयां उत्पन्न होने की सूरत में बीच में पड़े हैं। जो भारतमूलक लोग स्थायी रूप से बसने के लिये भारत वापस आना चाहते हैं, उन्हें सरकार ने चुंगी में छूट और अन्य रियायतें भी दी हैं।

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether it is a fact that discrimination is being meted out in service even to those Indians who have taken up citizenship in East African countries and those Indians who have taken up citizenship in the name of Africanisation are being turned out of service ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक हमारी जानकारी है अफ्रीका के किसी भी देश की नागरिकता ले लेने वाले व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

Shri A. B. Vajpayee : I am astonished to hear this answer. Two years back a delegation of Members of Parliament had visited the East African countries and a complaint to this effect was made there that discrimation was being meted out even to those who had taken up local citizenship. That delegation had submitted a report to the Prime Minister also. Shall I take it that the Minister of State in the Ministry of External Affairs is not aware of this fact.

Shri Surendrapal Singh : As far as I know no discrimination is being meted out to them. It is a fact that complaints were made previously that civil servants had been replaced by Africans. But it is a thing of the past, when they had not taken up citizenship of Africa. The report I have received now indicates that those persons who have taken up African citizenship are not discriminated against,

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether the Ministry of External Affairs propose to appoint a committee consisting of Members of Parliament to go into the condition of Indians settled in foreign countries whose duty will also be to find out the correct picture by meeting Indians there and to submit the correct report to the Government and the House ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : क्या मैं स्थिति को स्पष्ट कर सकता हूं। भारतीय मूल के लोगों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक वे लोग है, जिन्होंने उस देश की नागरिकता ले ली है, जिसमें कि वे रहते हैं। दूसरे वे लोग जिनके पास ब्रिटिश पारपत्र है और ब्रिटेन के नागरिक हैं और तीसरे वे लोग जो अब भी भारतीय नागरिक हैं। इसलिये इस प्रश्न पर भिन्न भिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार

किया जा सकता है। जहां तक ऐसे लोगों का सम्बन्ध है जिन्होंने किसी देश की नागरिकता ले ली हो हमारा उनसे यही निवेदन है कि उन्हें उस देश को ही अपना समर्थन देना चाहिये और हमारे पर निर्भर नहीं करना चाहिये। भारत उनकी मातृभूमि है इसके नाते उन्हें भारत से सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित रखने चाहिये परन्तु राजनैतिक दृष्टिकोण से उन्हें उस देश के लोगों से मिल जुल कर रहना चाहिये। जहां तक ऐसे लोगों का सम्बन्ध हैं जिनके पास ब्रिटेन का पारपत्र है उनकी जिम्मेदारी ब्रिटेन की है क्योंकि उनके पास ब्रिटेन का पारपत्र है। जहां तक ऐसे लोगों का सम्बन्ध है जो अब भी भारतीय नागरिक हैं उनसे हमारा निवेदन है कि यदि वे भारत आना चाहते हैं तो हमें उनके आने पर प्रसन्नता है हम उनको यहां आने पर सुविधायें प्रदान करेंगे। सही स्थिति इस प्रकार है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री ने जो स्थिति बताई है उसका मुझे ज्ञान है। इस पर मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। ऐसे भारतीय नागरिकों को, जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो जिसमें वे रहना चाहते हैं, उस देश के हित में रहना चाहिये। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ भी, जिन्होंने उन देशों की नागरिकता ले ली है, नौकरी, व्यापार और उद्योग के मामले में भेदभाव किया जाता है।

श्री मु० कु० चागला : जैसा मेरे सहयोगी बता चुके हैं हमारी जानकारी तो यही है कि ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने स्थानीय नागरिकता ले ली है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यदि ऐसे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है जिन्होंने स्थानीय नागरिकता न ली हो, तो यह दूसरी बात है। मेरे विचार से माननीय सदस्य गलत फहमी में है। ऐसे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा होगा जिन्होंने या तो स्थानीय नागरिकता नहीं ली है या जिनके पास अब भी ब्रिटिश पारपत्र हैं। परन्तु जहां तक हमारी जानकारी है ऐसे लोगों के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जा रहा है जिन्होंने नागरिकता ले ली है और जो अफरीकी नागरिक, कोनिया के नागरिक अथवा तंजानिया के नागरिक बन गये हैं। हम उस आशय की कोई खबर नहीं मिली है।

Shri Brij Bhushan Lal : Will the hon. Minister be pleased to state the number of such Indians who had to come to India from Africa under duress and pressure and on account of their rights having been not protected and the action which is being taken by Government in regard to there them ?

Shri Surendrapal Singh : Uptill now persons ranging. from six thousand to seven thousand have come back to India and they had not to feel any sort of difficulty. They were in a position to bring all they wanted and we have given them all possible facilities.

Shri Madhu Limaye : Keeping in view the mal treatment meted out to the Indians in East Africa our High Commissioner there had assured the businessmen of that place that in case they are in a position to bring their commercial goods with a specified period within the British bounds they will not have to pay import duty. But later on these assurances were withdrawn by the deeds of ex-Minister of Commerce Shri Manubhai Shah and the offices of State Trading Corporation and the goods detained. I had also sent some documents of Shri R. D. B. Majhi of a similar case to the ex-Minister of commerce. May I know whether keeping in view the fact that the assurance was given

by the Ministry of External Affairs the Minister of External Affairs and the Prime Minister will institute an enquiry and do justice to such persons ?

श्री मु० क० चागला : यदि मेरे माननीय मित्र मुझे कोई ऐसा उदाहरण बताये जिसमें भारत लौटने वाले किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया गया हो अथवा...

Shri Madhu Limaye : I was talking about the discrimination being meted out to by the Government of India to the Indians. When this sort of treatment is being meted out by our own Government what to speak of other Governments.

Shri M. C. Chagla : I am also talking about the same.

यदि हमने किसी आश्वासन का उल्लंघन किया है तो माननीय सदस्य मुझे बता सकते हैं मैं उस पर विचार करूंगा ।

Shri Madhu Limaye : I have been corresponding since November.

Shri M. C. Chagla : With whom. With our Ministry ?

Shri Madhu Limaye : The Government is the same. I had written to the Prime Minister and the Minister of Commerce. In case you want I can write to you also.

Shri M. C. Chagla : You write to me and I will do the needful.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : माननीय सदस्य दूसरा उत्तर दिये जाने के बावजूद भी यदि उन देशों का दौरा करने वाले मित्र की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि अफ्रीकी देशों की नागरिकता ले लेने वाले लोगों के साथ भी समान व्यवहार नहीं हो रहा है, जैसाकि हमारे प्रधान मंत्री ने अभी बताया है, तो अवश्य ही विस्तृत जांच की जानी चाहिये । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिपोर्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जिसकी मान्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती, मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस आरोप के बारे में विशेष रूप से जांच करे कि उनके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं किया जा रहा है और उन्हें समान अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर लेना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा करने को तैयार हैं ।

श्री मु० क० चागला : यदि आवश्यक हुई तो मैं और अधिक जांच करने को भी तैयार हूं । जैसाकि मैं सभा को पहले ही सूचित कर चुका हूं इस समय हमारी जानकारी यह है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है । यदि सभा यह महसूस करती है, यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है तो मैं अवश्य ही अपने मिशनों से पुनः जांच करूंगा ।

श्री स्वेल : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले तंजानिया की सरकार ने भारतीय मूलक लोगों अथवा वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को यह निमन्त्रण दिया था कि वे उस देश की नागरिकता ले लें तथा लोगों ने तंजानिया सरकार के इस निमन्त्रण पर कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई और केवल तब ही तंजानिया सरकार का रवैया भारतीय लोगों के खिलाफ होना आरम्भ हुआ । क्या यह भी सच है कि इस तरह की घटनायें लगभग अफ्रीका के सभी

अन्य देशों में हो रही है जिससे हमारे लोगों और अफ्रीकी देशों की सरकारों के बीच सम्बन्ध बहुत खराब हो गये हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह बात सही है कि अफ्रीके के जो भी देश स्वतन्त्र हुए उन्होंने दो वर्ष की अवधि निर्धारित कर दी जिसमें उन्होंने ऐशिया मूलक लोगों को स्थानीय नागरिकता स्वीकार करने के लिए कहा। परन्तु बहुत से लोगों ने इस प्रस्ताव पर रुचि नहीं दिखाई। मेरे विचार से केवल 15 प्रतिशत ऐशिया मूलक लोगों ने स्थानीय नागरिकता ली। प्रश्न का दूसरा भाग क्या था।

श्री स्वैल : उप-मंत्री महोदय ने मेरे वक्तव्य की पुष्टि कर दी है। प्रश्न का दूसरा भाग था कि क्या अफ्रीकी देशों के खुले निमन्त्रण पर बहुत कम रुचि दिखाई जाने पर इन अफ्रीकी देशों का भारतीय लोगों के प्रति रवैया खराब होना शुरू हुआ था।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह बात सच होगी कि भारतीय उदभव के बहुत कम लोगों द्वारा स्थानीय नागरिकता स्वीकार करना अफ्रीकी देशों के लिये निराशाजनक था और उन्होंने इसे अच्छा नहीं समझा। एशियाई उद्भव के लोग वहां जाते हैं, व्यापार करते हैं और बहुत सा धन कमाते हैं और फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि वे अपना धन का उन देशों में विनियोजन करने की अपेक्षा विदेशों को भेज देते हैं तथा जहां वे रहते हैं, उन देशों की नागरिकता दिये जाने पर उसे स्वीकार करने की अपेक्षा विदेशी पासपोर्ट रखते हैं, अफ्रीकी देशों का यह मुख्य आरोप है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार हमें बतायेगी कि संसद सदस्यों का जो दल पूर्व अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गया था और जिसने सरकार को एक प्रतिवेदन भी दिया था, उस प्रतिवेदन में क्या लिखा था ? अफ्रीका में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों की मुख्य शिकायतों का उसमें उल्लेख किया गया था ?

श्री मु० क० चागला : प्रतिवेदन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं इस पर विचार करूंगा और अपने माननीय मित्र को इस बारे में बताऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अफ्रीकी सूत्रों से कभी कभी प्राप्त इन समाचारों में कितनी सच्चाई है कि सब तो नहीं परन्तु कुछ भारतीय उद्भव के लोगों ने विशेष रूप से वे जो बहुत समय से वहां पर रह रहे थे और व्यापार कर रहे थे उन अफ्रीकी देशों के स्वाधीनता संग्राम के प्रति विरोधी अथवा असहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया था और इससे सन्देह अथवा परस्पर असहिष्णुता का वातावरण बना दिया है ? क्या सरकार की जानकारी के अनुसार इन समाचारों में कोई सत्यता है ?

श्री मु० क० चागला : अफ्रीकी देशों के मामले में यह आंशिक रूप से सच है। जैसाकि मेरे सहयोगी ने बताया है, भारतीय, जो वहां वर्षों से रह रहे हैं और बहुत सा धन कमाया है, उस धन को उन देशों में लगाने की अपेक्षा...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनके भाग की बात कह रहा था।

श्री मु० क० चागला : मैं उस पर ही जा रहा था । राजनैतिक क्षेत्र के बारे में, मेरे माननीय मित्र जो कहते हैं, सच है ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यद्यपि कुछ भारतीयों के बारे में यह सच हो, अन्य भारतीय भी रहे हैं, जिन्होंने उन देशों के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया है और उनके स्वतन्त्रता संग्राम में स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन दिया है ।

श्री मनुभाई पटेल : क्या सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आये हैं जिनमें नीग्रो लोगों ने भारतीय परिवारों की हत्या करने की धमकियां दी हैं यदि वे अपनी कन्याओं का अफ्रीकी लोगों से विवाह नहीं करते और क्या ऐसे मामलों में स्थानीय सरकार भारतीयों की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है । यदि माननीय सदस्य ऐसे किसी मामले की हमें सूचना देते हैं, तो हम जांच करेंगे ।

Shri Abdul Ghani Dar : Mr. Speaker, I rose three times. I should also get an opportunily. I should also be allowed to put a supple nentary question.

Mr. Speaker : His name is not there. Not only he but 30 people got up.

सिटीजन्स इन्टेलीजेन्स फोरम (नागरिक जागरूकता संघ) तथा छात्र क्लब

\+

*1473. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में सिटीजन इन्टेलीजेन्स फोरम (नागरिक जागरूकता मंच) तथा 'छात्र क्लब' संगठित करने का प्रस्ताव है और विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में नागरिकों तथा छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में चल रहे आयोजना फोरम बेकार हो जायेंगे; और

(घ) क्या गैर-सरकारी संस्थाओं को भी और यह काम सौंपा जायेगा और क्या उन्हें कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : सिटीजन्स इन्फारमेशन फोरम्स (नागरिक सूचना मण्डल)-सिटीजन्स इन्टेलीजेन्स फोरम्स नहीं-देश में लगभग 110 विभिन्न स्थानों पर पहले से ही काम कर रहे हैं और छात्र क्लब जो योजना मण्डल के नाम से चल रहे हैं और जिनकी संख्या 1000 से ऊपर है, देश भर की शैक्षणिक संस्थानों में फैले हुए हैं । यथा समय और मण्डल स्थापित करने का प्रस्ताव हैं ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०–1253/67**]

(ग) जी, नहीं।

(घ) नागरिक सूचना मण्डल के सदस्य, जो गैर-सरकारी होते हैं, अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं, परन्तु मण्डलों को मुख्यत: कार्यक्रम आयोजित करने, फिल्म-शो और सूचना-सामग्री देने, विशिष्ट विषयों पर भाषण करने के लिए विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करने और बैठकों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों द्वारा सहायता दी जाती है।

श्री राम कृष्ण गुप्त : विवरण को देखने से पता चलता है कि आयोजना फोरम 1956 में योजना आयोग द्वारा आरम्भ किये गये थे। क्या उनके कार्यकरण का मूल्यांकन किया गया है और ये कहां तक उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

श्री के० के० शाह : उनके कार्यकरण सा मूल्यांकन किया गया है और वे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

Shri Sidheshwar Prasad: Assistance was being given by Government to the planning forms set up in the various universities and educational instructions but during the last few years neither due interest has been paid nor proper assistance has been provided by Government. What are the reasons for it and what steps are being taken by Government to revitalise them ?

श्री के० के० शाह : जो बात मानी गई है, वह सही नहीं है। अध्ययन, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के लिये आयोजना फोरमों को दिये जाने वाले मूल अनुदान में योजना आयोग और राज्य सरकार के अंश का 60 : 40 का अनुपात होता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय उन्हें प्रति वर्ष राष्ट्रीय योजना सप्ताह मनाने के लिए अनुदान देता है। राष्ट्रीय योजना सप्ताह मनाने के लिए अनुदान की राशि सामान्यत: विश्वविद्यालय आयोजना फोरम के मामले में 500 रुपये तथा कालेज आयोजना फोरम के मामले में 50 रुपये तक सीमित होती है।

Shri George Fernandes : Do Governmet plan to utilise the citizens' intelligence forums for pasting newspapers on walls ?

श्री के० के शाह : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है परन्तु इंटैलीजैंस अथवा विश्वविद्यालय फोरम इसके लिए उपयोग नहीं किये जायेंगे।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपीनियन के कृत्य क्या हैं, क्या इसे सरकार से सहायता प्राप्त होती है और क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जनता की राय जानने के लिये इसकी सेवाओं का उपयोग करने का है ?

श्री के० के० शाह : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मुझे सूचना चाहिये।

श्री स्वैल : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि उन्होंने सिटिजन्स इंटैलीजैंस फोरमों और विद्यार्थी फोरमों के योगदान का मूल्यांकन किया है और उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। क्या इस मूल्यांकन के परिणामस्वरूप इसका सरकार की नीति पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

श्री के० के० शाह : यह एक व्यापक प्रश्न है। इन फारमों द्वारा एकत्रित प्रतिक्रिया से हम लाभ उठाते हैं, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं जानना चाहता हूं कि इन फोरमों के बारे में मूल्यांकन किसने किया था और क्या मूल्यांकन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

श्री के० के० शाह : हमारे विभाग द्वारा इस अर्थ में मूल्यांकन किया जाता है कि प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। मैंने स्वयं दो-तीन फोरमों का दौरा किया और यह पता करने का प्रयास किया कि क्या सभी मत वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि इन फोरमों में सभी मतों के लोगों को बुलाया गया था और विभिन्न विचारधाराओं को व्यक्त किया गया था।

चलचित्र प्रभाग द्वारा बनाये गये वृत्तचित्र

\+

*1474. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री बृज राज सिंह कोटा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री सु० कु० तारड़िया :
श्री नायनार :
श्री भ.रत सिंह चौहान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के चलचित्र प्रभाग द्वारा तैयार किये गये वृत्तचित्र जनता को प्रभावित नहीं करते और वे बहुत आरोचक हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वृत्तचित्रों के स्तर को ऊंचा उठाने तथा उन्हें और अधिक प्रभावोत्पादक एवं शिक्षाप्रद बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं, ऐसा नहीं है। वृत्तचित्र जनता को प्रभावित करते हैं और वे अरोचक नहीं हैं।

(ख) फिल्म विभाग जो वृत्त-चित्र आदि बनाता है उनके स्तर में सुधार करने का वह बराबर प्रयत्न करता रहता है, परिणाम स्वरूप जनता में उनका प्रभाव भी बढ़ता रहता है। यह और बातों के साथ साथ, फिल्म विभाग की फिल्मों द्वारा जीते गए अनेकों अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से स्पष्ट है। पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में जीते

गए पुरस्कारों का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1254/67**]

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1255/67**]

Shri A. B. Vajpayee : The hon. Minister have stated that all the documentaries are not dull, but some of them may be so. May I know the details of such documentaries ?

श्री के० के० शाह : इन चल-चित्रों के सम्बन्ध में मैं चन्दा समिति के प्रतिवेदन का खंडन नहीं करना चाहता । चन्दा समिति के सामने दिये गये साक्ष्यों का ब्यौरा हमें नहीं दिया गया है। हमें बताया गया है, कि उस समिति के सामने दिये गये साक्ष्य नष्ट कर दिये गये हैं। सभा के समक्ष केवल प्रतिवेदन है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : किसने नष्ट किया ?

Shri A. B. Vajpayee : Who have destroyed these evidences. Has it been destroyed by the Chanda Committee or by the Government ?

Shri K. K. Shah : The Government have not destroyed it.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : साक्ष्य किसने नष्ट किया ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि चन्दा समिति ने प्रतिवेदन तो प्रस्तुत किया किन्तु साक्ष्य नष्ट कर दिया।

श्री के० के० शाह : हमने पता लगाने का प्रयत्न किया। हमे बताया गया कि चन्दा समिति ने साक्ष्य नष्ट कर दिया।

Shri A. B. Vajpayee : It is a very serious matter. Can a Committee, appointed by the Government, destroy such evidence ? Has the hon. Minister tried to find out as to why the committer have destroyed it ?

श्री के० के० शाह : मुझे स्वयं इसका खेद है। मैंने इस बारे में पूछताछ की है।

Shri Madhu Limaye : It should be investigated and the House should be informed.

Shri K. K. Shah : All right.

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने समिति से पूछा है कि उसने साक्ष्य नष्ट क्यों किया ?

श्री के० के० शाह : समिति से पूछने के बाद ही मैंने वक्तव्य दिया है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mostly documentaries are prepared in order to make publicity of functions of Congress Government and activities of Ministers. My I know whether any documentaries have been prepared on States having non-Congress Governments and whether any documentaries have been prepared about the activities of opposition leaders after the General elections ?

श्री के० के० शाह : वृतचित्रों में मंत्री महोदय बहुत कम दिखाई देती है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether any documentaries have been prepared on non-Congress Governments.

श्री के० के० शाह : इस वर्ष के वृतचित्रों में यह कार्यक्रम शामिल होगा क्योंकि यह कार्य राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है । पश्चिम बंगाल के बारे में एक वृतचित्र है ।

Shri R. S. Vidyarthi : It was decided in September, 1964 that documentaries would be prepared on social evils and other significant matters instead of on Ministries and Public Undertakings. What action Government have so far taken in this regard and how many films have been prepared on these subjects ?

श्री के० के० शाह : विस्तृत उत्तर के लिये मुझे समय चाहिए । 1964 में इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन दिया गया था । चल-चित्र विभाग के सर्वोत्तम चल-चित्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कर सकते हैं तथा शेष कम कलात्मक हैं ।

Shri Ranjit Singh : May I know whether Defence-orientated programme is also included in the documentaries prepared by the Film Division ? May I also know whether services rendered by the public and other non-Government bodies will be given any publicity through the documentaries by the Film Division ?

श्री के० के० शाह : प्रतिरक्षा सम्बन्धी फिल्में तैयार करके दिखाई जाती है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या अच्छी फिल्मों के आदान प्रदान के लिये ब्रिटेन, अमरीका, रूस तथा अन्य भिन्न देशों के चल-चित्र विभागों के साथ सरकार की कोई व्यवस्था है तथा क्या इन देशों में हमारे चल-चित्र विभाग के कोई प्रतिनिधि है ताकि वहां किसानों का रंगीन जीवन हमारे देश में प्रदर्शित किया जा सके ।

श्री के० के० शाह : चलचित्रों का आदान प्रदान होता है । हमारे प्रतिनिधि इन देशों में नहीं हैं ।

Shri S. K. Taporia : The hon. Minister has stated that 28 films have been awarded. May I know the total number of Films produces during this period and the percentage these 28 films constitute thereof ? May I also know whether any documentary has been prepared on the developments, such in Madhy Pradesh, which took place after the General Elections ?

श्री के० के० शाह : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है कि एक एकक एक वर्ष में छः वृतचित्र बना सकता है ? अभी आम चुनावों को हुए केवल चार महीने बीते हैं । इतने कम समय में यह काम नहीं हो सकता है । यह सारा कार्यक्रम राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किया जाता है । मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य सरकारों के विचारों को पूरी तरह ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री नायनार : मंत्री महोदय 1964 और 1965 में चल-चित्र विभाग द्वारा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में बता रहे हैं । चल-चित्र विभाग केवल मंत्रियों के दौरे,

मंत्रियों द्वारा उद्घाटनों आदि में ही रूचि लेता है। क्या सरकार इन वृतचित्रों में ग्रामीण जीवन ग्रादि का चित्रण भी करेगी ? मैं चन्दा समिति का प्रतिवेदन स्वीकार करता हूं और चाहता हूँ कि फिल्म डिवीजन पर भी वह लागू हो। मैं यह जानता चाहता हूं कि क्या सरकार फिल्म डिवीजन के कार्य संचालन के सम्बन्ध में उसी प्रकार की एक समिति नियुक्त करेगा, जिस प्रकार उसने आकाशवाणी के कार्य-संचालन की जांच करने के लिये नियुक्त की थी, अन्यथा सरकार को फिल्म डिवीजन पर भी चन्दा समिति की सिफारिश लागू करनी चाहिये।

श्री के० के० शाह : चन्दा समिति का प्रतिवेदन जून, 1966 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें, मैं समझता हूँ, चार प्रतिवेदन थे। इस समिति की कई सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं और शेष सिफारिशें विचाराधीन हैं। जब तक इन सब सिफारिशों पर विचार नहीं हो जाता, मेरी राय में, दूसरी समिति नियुक्त करना समय तथा धन की बर्बादी करना है।

श्री रंगा : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उससे आश्चर्य होता है और यह प्रश्न उठता है कि सरकार कार्य-संचालन किस प्रकार करती है। जब कभी ऐसी समिति नियुक्त की जाती है तो उस समिति का सचिव प्रायः सरकारी कर्मचारी होता है। क्या उस सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो साक्ष्य को नष्ट करने के लिये जिम्मेदार था, अथवा जिसके आदेश पर चन्दा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के वृतान्त जला कर नष्ट कर दिये गये थे ? यदि सचिव इसके लिये जिम्मेदार नहीं था तो फिर समिति का अध्यक्ष जिम्मेदार था, क्या इस समिति के अध्यक्ष से कोई जवाब मांगा गया है ? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में सरकार द्वारा नियुक्त ऐसी समितियों के मामले में ऐसी कुत्सित बातें होने नहीं दी जायेगी ?

श्री के० के० शाह : यद्यपि मुझसे कहा गया है कि "रिकार्ड" नष्ट हो गया है, फिर भी मैं इस बात की जांच-पड़ताल कर रहा हूं कि यह सब कुछ कैसे हुआ और वास्तविकता क्या है, जांच पूरी होते ही, मैं इस मामले में कार्यवाही करूंगा क्योंकि सिफारिशों पर विचार करते समय, साक्ष्य के उपलब्ध न होने पर, सिफारिशों को समझने में मुझे कभी-कभी बहुत कठिनाई होती है। इसलिये साक्ष्य का उपलब्ध होना मेरे लिये अधिक जरूरी है।

श्री रंगा : क्या उस समिति के सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री के० के० शाह : मैं इस बारे में जांच-पड़ताल कर रहा हूं और जांच पूरी होते ही मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष है। पर्यटकों को इस देश में आकर्षित करने के लिये अन्य देशों में कितने चलचित्र दिखाये गये हैं ?

श्री के० के० शाह : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : घिरावों के प्रभाव तथा दोषों के बारे में देश में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। क्या घिराव के बारे में एक वृतचित्र तैयार किये जाने की संभावना है,

ताकि उसके पक्ष तथा विपक्ष वाले दोनों ही पक्षों को अवसर मिले ? मैं यह प्रश्न नहीं पूछना चाहता, किन्तु पश्चिम जर्मनी का दूतावास इस सम्बन्ध में एक वृतचित्र तैयार कर चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : इस कार्य के लिये श्री स० मो० बनर्जी को निदेशक नियुक्त किया जाये ।

श्री के० के० शाह : मेरे मस्तिष्क में ऐसी कोई बात नहीं थी, किन्तु माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है तथा मुझे इस बात से अवगत कराया है, उसके लिये मैं उनका आभार करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस बारे में मंत्री महोदय को लिखूंगा ।

श्री म० कु० सांघी : क्या इस बात का पता लगाया गया है कि चलचित्र देखने वाले लोगों में ये वृत्तचित्र कितने लोकप्रिय है, क्योंकि मूल चलचित्र आरम्भ होने से पहले जब वृत्त-चित्र दिखाया जाता है, तो दर्शक सिनेमा हाल में नहीं होते ?

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य कुछ समाचारपत्रों को देखें, जिनमें कहा गया है कि पहले ऐसी ही स्थिति थी, किन्तु अब ऐसी स्थिति नहीं है ।

Shri S. M. Joshi : The hon. Minister has stated that the programme is chalked out once for the whole year and a programme had already been drawn up for the current year. I want to know from whether the Government propose to produce any documentaries for the States where non-Congress Governments have been framed, on some important events that took place and the works undertaken during the course of the year, such as famine relief work in Bihar, and sinking of wells there as a relief measure and also efforts being made to grow two crops in the State ?

श्री के० के० शाह : मैं माननीय सदस्य का ध्यान केवल सूखे के बारे में तैयार किये गये वृत्तचित्र की ओर दिलाता हूं जिसकी प्रशंसा सभी राजनैतिक दलों तथा देश भर में सभी लोगों ने की है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : श्री रंगा ने जो प्रश्न पूछा था, उसे मैं फिर उठाऊंगा । इस समय प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब समि-तियां नियुक्त की जाती हैं तो एक स्थायी निदेश होते हैं कि वे (समितियां) उस साक्ष्य को नष्ट नहीं करेंगी जिसके आधार पर वे अपना प्रतिवेदन देती हैं । क्या प्रधान मंत्री इसे नोट करेंगी ?

प्रधान मंत्री तथा अण्विक शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने नोट कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने इस बात को ध्यान में रख लिया है ।

मैं सभा की इच्छा जानना चाहता हूं, हमने लगभग 20 मिनट इस प्रश्न पर खर्च कर दिये हैं और अब भी कई सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या इस प्रश्न को चलने दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं। यदि सभा की इच्छा हो, तो हम 10–15 मिनट और खर्च कर सकते हैं। यदि सभा सहमत हो, तो हम अगला प्रश्न ले सक. हैं, यदि मैं किसी एक सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूँ, तो मैं उन अन्य सदस्यों को, जो खड़े हैं, प्रश्न पूछने से रोक नहीं सकता।

श्री समर गुह : केवल एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं उन्हें प्रश्न पूछने दूं, तो मैं सर्व श्री मधोक, गनी, कछवाय तथा अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने से रोक नहीं सकता।

श्री समर गुह : मैं केवल उन वृतचित्रों के बारे में पूछना चाहता हूँ जो नेताजी के बारे में जापान से लाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, हमें अगला प्रश्न ले लेना चाहिए।

राजस्थान में परमाणु बिजली घर में आग लगने की घटना

+

*1476. श्री ओंकार लाल बरवा :	श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री ओंकार सिंह :	श्री हरदयाल देवगुण
श्री रा० बरुआ :	श्री टी० पी० शाह :
श्री बृजराज सिंह कोटा :	श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :	श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसिंह अग्रवाल :	श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :	श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री ना० स्व० शर्मा :	श्री ब्रह्मानन्द जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मई, 1967 को कोटा में स्थित राजस्थान परमाणु बिजली घर में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप कितनी हानि हुई;

(ग) क्या आग लगने के कारणों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-मंत्री (श्रीमती सरोजनी महिषी) : (क) कोटा के निकट राजस्थान अणु-शक्ति परियोजना स्थल पर 12 मई, 1967 को आग लगी थी।

(ख) रिएक्टर की इमारत की प्रिन्स्ट्रेस्ड कान्क्रीट गुम्बज के लिये ठेकेदारों द्वारा बनाये गये मचान तथा जुड़ी हुई लकड़ी की पट्टियों के ढांचे को मुख्य रूप से क्षति पहुंची है। ऐसा अनुमान है कि सरकार को लगभग 2.5 लाख रुपये की क्षति पहुँची है किन्तु इसमें से काफी राशि बीमा कम्पनिथों से वसूल होने जाने की आशा है।

(ग) और (घ) आग लगने के कारणों की जांच करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी, इस समिति का प्रतिवेदन आ चुका है और उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार इस यह अनुभव करती है कि इस संगठन की सुरक्षा व्यवस्था की सम्यक् जांच की जानी चाहिये और उसे मजबूत करना चाहिये ?

श्रीमती सरोजनी महिषी : सरकार इसके प्रति पूर्णतः सजग है और सुरक्षा के अनेक उपाय किये जा चुके हैं तथा अब और कड़े उपाय किये जा रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : When did the Government receive this report and by what time it will be scrutinized and decision thereon ?

Dr. Sarojini Mahishi : It was received in the middle of June and it is still under consideration.

Shri Hukam Chand Kachwai : It is strange that the decision has not yet been taken in respect of the report about such a serious incident like this, although a period of one month has elapsed.

Shri Jagannath Rao Joshi : May I know the reason why the enquiry committee set upto go into the causes of fire, has submitted the Report so late and whether it will affect the working of the plant ?

श्रीमती सरोजनी महिषी : इसमें विलम्ब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वहां काम पुनः शुरु हो गया है। इस दुर्घटना के कारण वहां काम में कोई देरी नहीं हुई है।

Shri Yashpal Singh : May I know why action has not been taken against those responsible for the accident ?

श्रीमती सरोजनी महिषी : अणु शक्ति विभाग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने तथा एक अन्य समिति ने इस मामले की पृथक जांच पृथक-पृथक की थी, परन्तु दोनों ही जिम्मेदारी निश्चित करने में असमर्थ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में किसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी। अतः दोनों प्रतिवेदनों पर इस दृष्टि से विचार किया जा रहा है कि इस दुर्घटना की जिम्मेदारी किसी पर जली जाये।

श्री अड्डाकर सूपकार : यह जांच समिति कितनी देर बाद नियुक्त की गई थी ?

श्रीमती सरोजनी महिषी : तत्काल एक सप्ताह के अन्दर यह समिति नियुक्त कर दी गई थी।

श्री नन्दकुमार सोमानी : डा० विक्रम साराबाई ने यह बात स्वीकार की थी कि इस संयत्र को शुरु करने में कुछ देर हुई हैं। परन्तु मंत्री महोदय का उत्तर इससे भिन्न है। वास्तविक स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आग लगने के कारण विलम्ब नहीं हुआ, बल्कि उपकरण देरी से मिलने के कारण विलम्ब हुआ है ।

श्री बलराज मधोक : राष्ट्रीय महत्त्व के सरकारी उपक्रमों में कई स्थानों पर आग लग चुकी है । पहले रांची के कारखाने में आग लगी थी । अब राजस्थान में स्थित कारखाने में आग लगी है । क्या ऐसी घटनाएं सुनियोजित तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण हो रही है ? यदि हां, तो सरकार ने सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के लिये क्या पूर्वोपाय किये हैं ?

श्रीमती सरोजनी महिषी : इस घटना और रांची में घटी घटना का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । सुरक्षात्मक उपायों के सम्बन्ध में जो सुझाव विशेष समिति ने दिये थे उन्हें कार्यरूप दिया जा चुका है ।

Shri Onkar Lal Bohra : It was reported in some newspapers that there were foreign elements behind this accident. Is it true ?

डा० सरोजनी महिषी : दोनों ही प्रतिवेदनों में इस बात का खंडन किया गया है कि इस घटना का कारण तोड़-फोड़ की कार्यवाही थी ।

Shri Abdul Ghani Dar : The Minister replied just now that the delay occurred due to the late arrival of equipments. Who is responsible for this delay which occurred in respect of delivery of equipments-consignee or the consignor ?

डा० सरोजनी महिषी : कुछ सामान हैवी इलेक्ट्रीकल्स भोपाल से मंगाया जाता है तथा कुछ विदेशों से मंगाया जाता है । किसी कारणवश उपकरण के आने में देरी हो गई और इसका कुछ प्रभाव संयत्र के चालू होने पर पड़ा ।

कुछ माननीय सदस्य : वे कारण क्या हैं । (**अन्तर्बाधाएं**)

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या प्रधान मंत्री इन संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ओर ध्यान देगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उपमंत्री ने यही बात कह दी है ।

श्री ब्रजराज सिंह (कोटा) : क्या समझौते में कोई ऐसी शर्त भी है कि यदि माल की सप्लाई करने वाला समय पर माल नहीं भेजता तो उसे इसके लिये दंड भुगतना होगा ? हम यह भी नहीं समझ पाये कि अन्य कारण क्या हो सकते हैं ?

डा० सरोजनी महिषी : कुछ कारण आकस्मिक रूप से भी बन जाते हैं । वैसे तो सब काम समझौते की शर्तों के अनुसार ही होता है ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या उसमें दंड सम्बन्धी कोई खंड है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न अणु-शक्ति संयंत्र के बारे में है ।

श्री नाथ पाई : सरकार तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने में कितनी समर्थ है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। डा० भामा की मृत्यु आज तक रहस्यमय बनी हुई है। यह सन्देह किया जाता है कि इसमें भी उन शक्तियों का हाथ था जो भारत की इस क्षेत्र में प्रगति को ठप्प देखना चाहते हैं। क्या भारत के इस क्षेत्र में विकास को रोकने के लिये कोई बड़ी शक्ति गुप्त रूप से काम कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : डा० भामा की मृत्यु की बात यही असंगत है। दूसरे, मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या बीमा सम्बन्धी जांच के लिये भी कोई समिति नियुक्त की जायेगी ?

डा० सरोजिनी महिषी : इस दुर्घटना के फलस्वरुप सरकार को 2.5 लाख रुपये का घाटा हुआ है और इसका एक भाग का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा। विधि मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि किस-किस माल का मुआवजा बीमे वाले देंगे।

Shri Sheo Narain : May I know whether the Government will take lesson from these major incidents and will take enough precautionery measures for the protection of these plants in future ?

Shrimati Indira Gandhi : Yes, Sir.

भारत विरोधी मिथ्या प्रचार को निष्प्रभाव करने के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम

+

*1478. **श्री न० कु० साल्वे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आकाशवाणी के कार्यक्रमों में एशिया तथा अफ्रीकी देशों में पाकिस्तान और चीन के भारत-विरोधी प्रचार को निष्प्रभाव करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) पेकिंग रेडियो और रेडियो पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रचार को सुनने के लिये आकाशवाणी में क्या प्रबन्ध है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निदेश प्रचार डिवीजन तथा उनके मंत्रालय के बीच निकट सम्पर्क रखने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ताकि उनका मंत्रालय विदेश प्रचार प्रयत्नों को बल दे सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) एशिया तथा अफ्रीकी देशों में पाकिस्तान और चीन के भारत-विरोधी प्रचार को प्रतिदिन विदेशों में समाचार प्रसारण और समाचार समीक्षाओं के द्वारा निष्प्रभावी किया जाता है।

(ख) रेडियो पीकिंग और रेडियो पाकिस्तान एवं इसके अन्य रेडियो स्टेशनों के प्रसारणों को मानीटर करने की व्यवस्था है।

(ग) आकाशवाणी और विदेश प्रचार विभाग के बीच बराबर सम्पर्क बना रहता है।

श्री न० कु० साल्वे : क्या सरकार को आकाशवाणी के श्रोताओं से ऐसी कोई शिकायत मिली है कि पाकिस्तान और चीन द्वारा किये गये भारत-विरोधी प्रचार का खंडन करने के लिये आकाशवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, वह बिल्कुल ही प्रभावहीन है ? आज प्रचार-युद्ध (साइकोलोजिकल वारफेयर) युद्ध का एक प्रमुख अंग बना हुआ है। क्या सरकार इस विषय में अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रही है जिससे इस प्रकार के युद्ध में भी निपुणता प्राप्त की जा सके ?

श्री के० के० शाह : मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मेरे माननीय मित्र को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हमारे प्रचार प्रसारण में से जो नोट चीन और पाकिस्तान भारत-विरोधी प्रचार के आधार के लिये लेते हैं, उनसे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा प्रचार कार्यक्रम बहुत ही प्रभावपूर्ण है।

Shri Sitaram Kesari : May I know whether the Government have made arrangement to broadcast the counteracting propaganda to the one made by China in Naxalbari in Gurkha and Maithili languages ?

श्री के० के० शाह : गुरखा भाषा में प्रचार किया जा रहा है और मैथिली भाषा में प्रसारण का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हनुमन्तय्या : क्या सरकार को पता है कि रूस के रेडियो स्टेशनों से, विशेषकर ताशकन्द से भारत-विरोधी प्रचार किया जा रहा है ? इसके खंडन के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं और क्या सरकार ने रूस सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया है।

श्री के० के० शाह : यह सच नहीं है कि इस अनधिकृत रेडियो के द्वारा भारत-विरोधी प्रचार किया जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : Powerful transmitters are essential for counteracting the anti-India propaganda. Installation of these transmitters are being evaded by the Government for political reasons. May I know the blockade in the way of installation of these transmitters, which our Government is experiencing and by what time they will be installed ?

श्री के० के० शाह : दो शक्तिशाली ट्रांसमीटर 1968 के अन्त तक देश के सीमान्त प्रदेशों में लगा दिये जायेंगे। दो 250 किलोवाट के लघु तरंग ट्रांसमीटर भी लगाये जायेंगे।

श्री रा० कु० सिन्हा : बिहार के दुर्भिक्ष पर बनी फिल्में यूरोप के देशों में दिखाई जा रही हैं जिनसे भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। क्या सरकार इस बारे में भी कोई नीति निर्धारित करेगी?

श्री के० के० शाह : बात तो यह सच है परन्तु किया क्या जा सकता है ?

श्री रा० कु० सिन्हा : क्या यह उचित है कि भारतीय ऐजेन्सियों द्वारा ही भारत की दरिद्रता का विदेशों में प्रचार किया जाये ? इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस बात से भी सहमत हैं ।

श्री म० ला० सोंधी : क्या मंत्री महोदय पश्तो भाषा के कार्यक्रम की महत्ता को भली भांति समझते है ? यदि हां, तो उस कार्यक्रम के कलाकारों की संख्या क्यों घटाई गई है ? क्या उस कार्यक्रम की समय सीमा बढाई जायेगी ?

श्री के० के० शाह : पश्तो भाषा में प्रसारित किये जाने वाला कार्यक्रम भली भांति चल रहा है । इसका वर्तमान कार्यक्रम पर्याप्त है ।

Shri Tulsidas Jadhav : What is our policy in regard to the anti-Indian propaganda being made by Radio Pakistan, Radio Tashkent and by various other countries ? Do we propose to take initiative in this matter and expose them ?

श्री के० के० शाह : जब पेकिंग रेडियो हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहा था तो हमने निरन्तर सब से यह बतलाया कि देश के अन्य भागों में क्या हो रहा था, उनका सम्बन्ध क्या है और उन्होंने उसको किस प्रकार नीचा दिखाया आदि ।

श्री समर गुह : क्या भारत के पूर्वी प्रदेश के लिये सरकार के पास कोई विशेष कार्यक्रम की जांच करने के लिये कोई विशेषज्ञ समिति है ?

श्री के० के० शाह : इस समय हम अफ्रीका के लिये 6 भाषाओं–अंग्रेजी, गुजराती, अरबी, सिन्हाली, फ्रेंच और हिन्दी में 11 समाचार बुलेटिन प्रसारित करते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के लिये 9 भाषाओं –अंग्रेजी, तमिल, हिन्दी, इन्डोनेशिया, चाइनीज़, बर्मीज़ आदि में 16 समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं ।

Shri Prem Chand Verma : Do Government propose to install powerful transmitters in the border areas of Kashmir and Himachal Pradesh with a view to counteracting the Virulent Chinese and Pakistani propaganda by exposing the political conditions of those countries ?

श्री के० के० शाह : मध्यम तरंग और लघु तरंग के दो शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित किये जा रहे हैं । जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, हम पिछले तीन वर्षों से स्थान देने के लिये कह रहे हैं और शिमला में 100 किलो वाट के ट्रांसमीटर को लगाने के लिये हम जगह नहीं ले सके हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें इसे चण्डीगढ़ में लगाना होगा ।

श्री समर गुह : मैंने भारत के पूर्वी प्रदेश के बारे में पूछा था और मानीय मंत्री ने इसका उत्तर नहीं दिया है ।

श्री के० के० शाह : जैसा कि मैंने बताया प्रसारण बर्मी, रूसी, तमिल, हिन्दी और अंग्रेजी में किये जाते हैं ।

श्री नाथ पाई : वह पूर्वी प्रदेश का जिक्र कर रहे थे; प्रसारण की भाषा बंगला होनी चाहिये ।

श्री के० के० शाह : श्रीमन में तारांकित प्रश्न संख्या 1478 के अनुपूरकों का उत्तर दे रहा था, न कि 1477 का। अतः जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मैं निश्चित रूप से यह समझता हूँ कि यह तारांकित प्रश्न संख्या 1478 के बारे में है।

श्री समर गुह : मैंने भारत के पूर्वी भाग का उल्लेख किया था। क्या यह भारत विरोधी प्रचार का मुकाबिला करने के क्षेत्र में नहीं है ?

श्री के० के० शाह : प्रश्न था कि एशियाई और अफ्रीकी देशों में . . .भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं। ऐशिया का अर्थ भारत नहीं है।

श्री समर गुह : यदि मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को नहीं समझ सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ . . (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्रीमान्, यदि आपने अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दे दी थी, मंत्री महोदय कहते हैं कि इसका सम्बन्ध दूसरे प्रश्न से है।

श्री के० के० शाह : मैं फिर से प्रश्न संख्या 1477 पर आ जाता हूं। प्रसारण गोहाटी हम्फाल, करसोंग, कोहिमा, अगरताला, सिलिगुड़ी, कलकत्ता और पसीघाट से किया जाता है।

Shri Kameshwar Singh : Has the attention of the hon. Minister been invited to the Bengali programme of Moscow Radio and that of the B.B.C. programme broad cast on 11th and 16th July, respectively, inwhich India has been denigrated in regard to its internal national life ? Has any protest been lodged ?

श्री के० के० शाह : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether efforts have been made to obtain a powerful transmitter from abroad and whether America offered to supply a powerful transmitter on certain conditions. Is that deal still there or it has ended ?

श्री के० के० शाह : यह सच है कि अमरीका के साथ करार पूरा नहीं हुआ। परन्तु हम यूगोस्लाविया और रूस से पहले ही दो शक्तिशाली ट्रांसमिटर प्राप्त कर चुके हैं।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Copyright Convention at Stockholm

+

*38. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ramavtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Srichand Goel :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the Delegation which had gone to participate in the Copyright Convention at Stockholm has since returned ;

(b) the points on which the Delegation laid special emphasis and whether Indian proposals have been accepted to any extent;

(c) the amount that India would now have to pay in accordance with the Copyright Agreement; and

(d) the extent to which the Government of India agree with the decisions of the Copyright Convention ?

Minister of State for Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Indian Delegation laid special emphasis on the acceptance of the Protocol for Developing Countries and Protection of Folk lore. These proposals have largely been accepted.

(c) The amount of royalty payable is not specified in the Convention, but the payments for educational works will be in conformity with standards of payment made to national authors, subject to national currency regulations. For other works, it will be 'just compensation' subject to national currency regulations. The total amount will depend upon (1) the number of works utilized; (2) their sale.

(d) The matter is under consideration.

Shri Prakash Vir Shastri : Are Government satisfied that the requisite scientific and technical books will be available in sufficient number for the importing of university education through the medium of 14 regional languages within the next five years and if any shortcoming is anticipated in that, how that is sought to be met.

Shri Sher Singh : Government of India has accepted it in principle that the highest education is to be given through the medium of Indian languages. For this thousands of books have to be translated. Previously it was very cumbersome to have the books translated and in four out of ten cases the translation could materalise. It took inordinately long time to get the consent of the authors or the publishers for getting the books translated. It was a difficult problem. Now this problem has been eased to a greater extent by the protocal accepted now. Previously it took us years to get the clearance of the authors. Now we do not have to obetain the consent of the authors or of the publishers. Now we can have the book translated as soon it is published. The only thing is that now we are required to pay the royalty and that too to the Indian authors and in our own currency,

Shri Prakash Vir Shastri : May I know that those nations are losing which have not participated in this convension ? Why India wants to doing to it ? Have you been able to force any decision in the convention under which less foreign exchange will have to be paid in the form of royalty ?

Shri Sher Singh : Several backward countries including Ceylon and India are members of this convention. Those who are not members do not stand to lose anything. As regards, saving of foreign exchange, we are at liberty to pay in our rupee.

Shri Prakash Vir Shastri : Why India wants to cling to this convention ? What do we aain by remaining in it ?

Shri Sher Singh : We are bound by the treaty and before leaving it we will have to take into consideration various aspects such as monetary withdrawal of books etc.

By being its member we are not losing anything. Our delegation has succeeded in its mission by having the convention adopt this decision.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Is it a fact that the British delegate made frantic efforts to dissude the signatories of this protocol from signing it ? What Britain is losing by it ? Is it not a fact that because of British influence we could not detach ourselves from this agreement so far.

Shri Sher Singh : Britain thinks that it will suffer a lot on account of this protocal. It is for this reason that this publishers became vociferous and clamoured for that Britain should veto. But Britain did not veto, if however abstained. He estimated the loss of about one crore point annually to Britain on this account.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister stated that we are member of this convention from the British time. He also stated that we are not gaining anything by remaining in it. In view of this is it because we want to honour british conventions that we do not want disentangle ourselves from this.

Shri Sher Singh : I have already stated that previously there were some restrictions but now they have been removed and we certainly given by it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, self-contradictory statements are being given. Only a minute before he stated that there is no gain, now he says that there is gain. How does he reconcile these self-contradictory things ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं समझती हूं कि मंत्री के उत्तर के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है । स्थिति यह है कि इस सम्मेलन में जाने से हम कुछ ऐसी शर्तें रखवा सके हैं जो हमारे लिये लाभप्रद होगी । उनके कहने का यह अर्थ था ।

Shri Shiv Kumar Shastri : Will any saving be effected as a result of this convention in the foreign exchange being given to foreign countries ?

Shri Sher Singh : I have already said that there will be enormous saving, now we may have, perhaps, not to pay in foreign exchange at all.

श्री जी० भा० कृपलानी : क्या हम इस सम्मेलन में भाग लिये बिना चाहे जिस पुस्तक को स्वामित्व दिये बिना प्रकाशित कर सकते हैं ।

Shri Sher Singh : As I submitted, following deicision was taken at the conference;

Those books which are meant for teaching, study and research in all fields of education can be translated, reproduced and adopted without giving any notice to the author or the publisher, the very day those books are published. There is no bar on that according to this and we have to pay royalties on the standard of payment that we make to our own authors and in our own currency. So it is upto us as to how much we pay them. It is not for them to decide. It is for us to decide.

Shri J. B. Kripalani : My question was whether we can publish any book without the consideration of royalty ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि हम रुपयों में स्वामित्व देंगे

श्री शेर सिंह : पुस्तकों को लिखने में लेखक जो परिश्रम करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम उनको कुछ पारिश्रमिक से वंचित नहीं करना चाहते। हमारे लेखक वास्तव में बहुत गरीब हैं। यदि हम स्वामिस्व को समाप्त कर दें तो वे जीवित नहीं रह सकते। अतः उनको यह हक है।

श्री शंकर सूपकार : क्या वे भारतीय लेखक ही स्वामिस्व के हकदार होंगे जो अनुवाद करेंगे और मूल लेखक हकदार नहीं होंगे। उनकी पारिश्रमिक किसी समझौते पर आधारित होगी या हमारी मर्जी पर।

श्री शेरसिंह : स्वयं अधिनियम में इसको जानबूझ कर संदिग्ध रखा गया है।(**व्यवधान**) इससे हमको लाभ है। स्वामिस्व कितना दिया जाये, इस बात का फैसला करना स्वयं देशों पर छोड़ दिया गया है। इसलिये हमने इसको अस्पष्ट रखा गया है। हमने इसको स्पष्ट नहीं किया है कि यह 1 प्रतिशत, या 2 प्रतिशत या 5 प्रतिशत होनी चाहिये।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार के लिये यह कहना उचित है कि इसको जानबूझ कर संदिग्ध छोड़ा गया है ? यह एक खतरनाक चीज है।

श्री शेरसिंह : यह निर्णय हमारी सरकार ने नहीं किया था, अपितु 52 सरकारों द्वारा किया गया था और उन्होंने जानबूझ कर इसको उन्होंने स्वयं देशों पर छोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था कि क्या स्वामिस्व विदेशी लेखकों को दिया जायेगा या भारत में हमारे अनुवादकों को दिया जायेगा ?

श्री शेरसिंह : जैसा कि मैंने बताया, जिस दर से हम अपने लेखकों को स्वामिस्व देते हैं, उसी दर से हम विदेशी लेखकों को स्वामिस्व देंगे।

श्री लोबो प्रभु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसमें हम प्रतिलिप्याकार को मान्यता देते हैं, और स्वामिस्व देने के लिए पर्याप्त उपबन्ध करते हैं, क्या सरकार का इरादा दूसरे देशों में लिखी गई पुस्तकों में भेद करने का है और यदि हां, तो क्या यह भेदभाव नहीं है, क्या यह एक विदेशी के विरुद्ध चोरी के समान नहीं है क्योंकि वह अपने अधिकार को लागू नहीं कर सकता है ?

श्री शेरसिंह : जैसा कि मैंने बताया हम विदेशी लेखकों के साथ वही बर्ताव करेंगे जो अपने लेखकों के साथ करते हैं।

.....

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Industries in African Countries

*1472. **Shri S. C. Samanta** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) the names of countries in Africa to whom Government are giving technical and other type of assistance along with the details of such assistance;

(b) the full requirements of these countries and the steps being taken by Government to meet their requirements;

(c) whether Government have taken suitable steps to see that there is no loss to the Indian capital in the developing countries of Africa and that the persons engaged in industries are not displaced; and

(d) If so, the terms and conditions of the agreements entered into with these countries by the Government of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) A statement is placed on the Table of House. **[Placed in Library See No. L.T. 1256/67]**

(b) The full requirements of African countries for assistance are not known. Assistance is, however, made available by us depending upon availabilities in India and our limited resources.

(c) and (d) No cases of loss to Indian Capital nor of the displacement of persons engaged in industries have so far been reported. No agreements in this regard have been entered into with any countries in Africa by the Government of India.

भारतीय बस्तियां

*1475 .**श्री ब० कृ० दासचौधरी :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यक्तियों का प्रशासन केन्द्रीय सरकार करती है अथवा भारत के सम्बन्धित राज्य करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी बस्तियों में उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पाकिस्तान सरकार के साथ किये गये 1965 के जी० पार्थसारथी करार को विशेष रूप से 1965 में दाहग्राम में गोलीकाण्ड के पश्चात क्रियान्वित करने का है;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान सरकार भारतीय बस्तियों को अपने अधिकार में लेने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला : (क) पूर्व पाकिस्तान में भारतीय बस्तियां पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं ।

(ख) और (ग) सितंबर, 1965 के संघर्ष के बाद, राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि पाकिस्तान स्थित भारतीय बस्तियों में नहीं गया है । भारत सरकार पाकिस्तान स्थित भारतीय बस्तियों में भारतीय पुलिस दल और भारत-स्थित पाकिस्तानी बस्तियों में पाकिस्तानी बस्तियों में पाकिस्तानी पुलिस दल नियुक्त करने के बारे में पाकिस्तान सरकार से लिखा पढ़ी कर रही हैं ।

भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह बार बार प्रस्ताव किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य यातायात पुनः आरंभ कर दिया जाए। पाकिस्तान सरकार इस प्रस्ताव पर अभी सहमत नहीं हुई है।

(घ) हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत विरोधी मिथ्या प्रचार को निष्प्रभाव करने के लिए पूर्वी सीमा क्षेत्रों में आकाशवाणी से प्रसारण

*1477. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी ने पूर्वी क्षेत्र के तनाव वाले सीमाक्षेत्रों में शत्रुओं के मिथ्या प्रचार को निष्प्रभावी बनाने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या पूर्वी सीमा क्षेत्र में रेड़ियो श्रोताओं के लिए बनाये गये कार्यक्रमों का प्रसारण अंग्रेजी में किया जाता है अथवा स्थानीय बोलियों में;

(ग) यदि हां, तो वे बोलियां कौन कौन सी हैं, प्रतिदिन कितने घंटे प्रसारण होता है तथा किस किस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थानीय बोलियों में प्रसारण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम सम्बन्धित लोगों की प्रादेशिक भाषा बोली प्रसारित किये जाते हैं। कोहिमा रेड़ियो केन्द्र में ये अंग्रेजी में भी प्रसारित किये जाते हैं।

(ग) एक विवरण सभा सटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1257/67]**

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Leader of Hostile Nagas' Government

*1479. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of External Affairs be pleased to State:

(a) whether it is a fact that the leader of the hostile Nagas' Government, Shri Mulwa, has reached Nagaland on his return from China :

(b) whether it is also a fact that he had talks with prominent communist leaders and obtained their cooperation for hostile Nagas; and

(c) the steps being taken by Government to prevent the collusion being established by him between hostile Nagas and Communist China ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C Chagla) : (a) The Government of India have no information about the names of Underground Nagas who crossed over illegally to China. The Government of India are aware that at least three batches of Underground Nagas have gone to China Via Burma for obtaining arms, ammunition and getting military training in guerrilla warfare. Some of them have since returned to Nagaland.

(b) The Government have no information but are reasonably certain that these Nagas did not proceed to China on a pleasure trip.

(c) Suitable preventive measures within the limits of our resources in men and money have always been in force and will continue to be taken.

पूर्वी पाकिस्तान में चीन के राष्ट्रजन

*1480. श्री समर गुह : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक पूर्वी पाकिस्तान आये हैं;

(ख) क्या उन्हें सिलहट, तिपाड़ा और चिटगाँव के क्षेत्रों में लगाया गया है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) पूर्व पाकिस्तान के भागों में चीनी सेना के लोग कहां कहां लगे हुए हैं, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

War Prepartions By Pakistan

*1481. Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan has started war preparations against India by making large-scale recruitment to its Air Force; and

(b) if so, the action taken by Government to meet the situatior ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) Goverument is aware of the large scale recruitment of pilots by the Pakistan Government and has taken note of the efforts being made by them to strengthen their Air Force. suitable steps have been taken to make our Air Force more effective but it is not in the public interest to divulge the details in this regard. Some aspects of, what has been done, have been stated in the Annual Report of the Ministery of Defence laid before the House prior to its consideration of the demands for grants of this Ministry.

दक्षिण-एशिया के देशों के एक नये संगठन की स्थापना

*1482. **श्रीमती सुशीला रोहतगी**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आर्थिक सहयोग के लिये मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन, इण्डोनेशिया तथा सिंगापुर के दक्षिण एशियाई देशों के एक नये संगठन की स्थापना की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि 19 अगस्त, 1967 को कुआलालमपुर (मलयेशिया) में इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है;

(ग) क्या सरकार को इस आर्थिक संगठन में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संगठन की स्थापना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) हमें इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्री एक आर्थिक सहयोग समुदाय बनाने के विषय पर विचार करने के लिए अगस्त के मध्य में कुआला लम्पुर में मिलने का प्रस्ताव कर रहे हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के बारे में वायस आफ अमेरिका तथा बी० बी० सी० द्वारा प्रसारण

*1483. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 'वायस आफ अमेरिका' तथा 'बी० बी० सी०' द्वारा भारत के गत आम चुनावों में हस्तक्षेप करने वाले तथा भारत में सूखे तथा अकाल की स्थिति के बारे में पक्षपातपूर्ण सूचना देने वाले प्रसारणों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य-मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार द्वारा कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन प्रसारणों का आशय चुनावों को प्रभावित करना अथवा उनमें दखल देना नहीं था । अब तक उनमें सूखा और अकाल की हालतों की जो बातें कही गई हैं, वे भी ऐसी नहीं है कि उनके कारण किसी सरकारी कार्रवाई का औचित्य सिद्ध होता हो ।

भारतीय सीमाओं पर विवादग्रस्त क्षेत्र

*1484. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सीमाओं के कौन-कौन से विवादग्रस्त क्षेत्र अन्य देशों के कब्जे में हैं;

(ख) किन-किन भारतीय क्षेत्रों पर अन्य देशों ने कब्जा कर रखा है और किस किस तारीख से;

(ग) सरकार ने आसाम के लाठीटीला-दूमावाड़ी क्षेत्र पर अन्य देश के कब्जे के बारे में संसद को पहली बार कब बताया थां; और

(घ) क्या उपरोक्त क्षेत्र से से 4 गांवों की 249 एकड़ से अधिक भूमि पाकिस्तान को सौंप देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने का निर्णय सरकार ने किया था अथवा सैनिक अधिकारियों ने ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) एक ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1258/67]**

(ख) एक ब्यौरा सभा पटल पर रखा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1259/67]**

(ग) 21-9-1963

(घ) सेक्टर कमांडरों : जिस कामचलाऊ सीमा करार के अन्तर्गत पाकिस्तान ने लाठी-टीला डूमावाड़ी क्षेत्र के 4 गांवों की लगभग 249 एकड़ भूमि पर कब्जा कर रखा है, वह दोनों सरकारों के बीच सहमत ग्राउंड रूल्स के अनुसार है। ग्राउंड रूल्स की एक प्रति 16 नवम्बर 1959 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

नागाओं के साथ वार्ता

*1485. **श्री आत्मदास** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं से कहा गया है कि उनके साथ अग्रेतर वार्ता के लिये वे अपनी शर्तें बताएं; और

(ख) यदि हां, तो क्या नागाओं ने अपनी शर्तें केन्द्रीय सरकार को बता दी हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) और (ख) जनवरी 1967 के पहले हफ्ते में छिपे नागाओं के साथ जो बातचीत हुई थी, उसका परिणाम सदन को 20 मार्च 1967 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर में बता दिया गया है जिसमें यह कहा गया था कि 'हालांकि छिपे नागाओं का यह कहना है कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने जो रुख अपनाया है, उससे वे उस वक्त हटने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब तक जो बातचीत हुई है, उसकी रोशनी में वे मामले पर विचार करने को राजी हो गए हैं और उन्होंने फिर किसी दिन इस विषय पर आगे बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है।' तब से लेकर अब तक भारत सरकार और छिपे नागाओं के बीच उपर्युक्त विषय पर न कोई बातचीत हुई है और न पत्र व्यवहार ही।

संयुक्त अरब गणराज्य और इसराईल के युद्ध से पीड़ित लोगों को सहायता का दिया जाना

*1486. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने संयुक्त अरब गणराज्य और इसराईल दोनों देशों के युद्ध से पीड़ित लोगों के लिये नकदी अथवा वस्तुओं की कोई सहायता दी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) युद्ध पीड़ित शरणार्थियों को सहायता सामग्री देने के लिए जो प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं, उनके उत्तर में भारत सरकार ने निम्नलिखित वस्तुएं भेंट में भेजी हैं :

संयुक्त अरब गणराज्य	—	सर्जरी के औजार, उपकरण और दवाएं ।
जोर्डन	—	तम्बू और कम्बल
सीरिया	—	कम्बल

नागाओं के साथ वार्ता

*1487. **श्री रा० बरुआ :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छिपे विद्रोही नागाओं के साथ चल रही शान्ति वार्ता के पहले दौर के समय कुछ विद्रोही नागाओं ने शान्ति वार्ता भंग करने के उद्देश्य से जारहाट तथा डीमापुर में हिंसात्मक और तोड़ फोड़ की कार्यवाही की थी, जिनके परिणाम स्वरूप शान्ति समिति के सदस्यों सर्वश्री बो० पी० चालिहा और जय प्रकाश नारायण ने त्याग पत्र दिया था;

(ख) क्या स्वयं बना हुआ जनरल केटो आजकल उदार राजनीतिक पक्ष के नेता कुगातो सुखई के निकट सम्पर्क में आता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उदारवादियों के नागालैंड में शांति स्थापित करने सम्बन्धी प्रयत्नों को विफल बनाने के लिए मो अंगामी और उनके साथी निराश होकर उदंड हो गए है और चीन और पाकिस्तान से प्राप्त हथियारों से भयंकर विद्रोही गतिविधियां आरम्भ करना चाहते हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) यह खेदजनक बात है कि छिपे नागाओं का एक वर्ग युद्धविराम के करार को बिलकुल अनदेखा करके तोड़ फोड़ की कार्रवाइयां करता रहा है । श्री जयप्रकाश नारायण और श्री चालिहा ने भिन्न भिन्न कारणों से त्यागपत्र दे दिया है । श्री जयप्रकाश नारायण ने शांति मिशन की सदस्यता से फरवरी 1966 में इस्तीफा दिया था क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उन्हें छिपे नागाओं का विश्वास प्राप्त नहीं है और इसलिये भी कि उन्होंने उनके प्रति समुचित सौजन्य नहीं दिखाया । श्री जयप्रकाश नारायण

के इस्तीफे और श्री माइकेल स्कॉट के निकाले जाने के बाद, श्री वी० पी० चालिहा ने सोचा कि चूंकि विवाद से संबद्ध पक्ष, अर्थात भारत सरकार और छिपे नागा सम्मेलन पटल पर ले आए गए हैं, इसलिये, शांति मिशन का काम घट गया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

(ख) और (ग) सरकार को छिपे नागाओं के अतिरिक्त मतभेदों की जानकारी है और उन्हें यह आशा है कि छिपे नागाओं में उग्रवादी तथा शांति और तर्क का मार्ग अपना लेंगे।

ब्रिटेन की सरकार द्वारा हिन्द महासागर में द्वीपों की खरीद

*1488. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 22 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार द्वारा हिन्द महासागर में द्वीपों की खरीद के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की 'कमेटी आफ 24' की उप समिति के प्रतिवेदन पर संयुक्त राष्ट्र संघ 'कमेटी आफ 24' ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन और अमरीका द्वारा हिन्द महासागर में द्वीपों की खरीद के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी सरकार को दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) मरिशस द्वीप समूह संबंधी उप-समिति की रिपोर्ट पर जून 1967 में 24 देशों की विशेष समिति को अफ्रीका में आयोजित अपने अधिवेशन में विचार किया था। प्रस्ताव के जिन पैराओं का द्वीप में सैनिक अड्डे स्थापित करने से सीधा संबंध है, उनमें यह कहा गया है कि वह:

"प्रशासक सत्ता द्वारा मारिशस और सिचेलीस के पृथक्करण की **निंदा करती है,** जिससे उनकी प्रादेशिक अखंडता का उलंघन होता है और जो महासभा के प्रस्ताव संख्या 2066 (××) और 2232 (××।) के विरुद्ध है और प्रशासक सत्ता से मांग करती है कि वह इन प्रदेशों को वे द्वीप लौटा दे जो उनसे अलग किए गए हैं;

घोषणा करती है कि इन प्रदेशों में सैनिक संस्थापनाएं लगाना और अन्य सैनिक कार्रवाइयां करना महासभा के प्रस्ताव 2232 (××।) का उलंघन है जो अफीका, एशिया और मध्य पूर्व में तनाव के कारण है और प्रशासक सत्ता से मांग करती है कि वह इस प्रकार की सैनिक संस्थापनाएं न लगाएं।

हिन्दमहासागर द्वीप का प्रश्न महासभा के 22 वें अधिवेशन में विचार विमर्श के लिए उठाये जाने की संभावना है।

आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण के कारण समाचार पत्रों के लिए प्रतिकर

*1489. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री अ० दीपा :
श्री दे० अमात :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने वाणिज्यिक विज्ञापनों का प्रसारण आरम्भ करने के परिणामस्वरूप समाचारपत्रों के होने वाले घाटे को पूरा करने का सरकार का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) सरकार का यह मूल्यांकन है कि वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण का छोटे समाचार पत्रों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा जबकि बड़े समाचार पत्रों पर थोड़ा सा ही प्रभाव पड़ेगा। सरकार का यह बराबर प्रयास रहेगा कि वह छोटे समाचार पत्रों के हित का ध्यान रखे जिससे उन्हें कोई हानि न उठानी पड़े। समाचार-पत्रों के हित को सुरक्षा की दृष्टिकोण में रखते हुए हाल ही में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय समाचार पत्र प्रकाशक सम्मेलन के प्रतिनिधियों से से विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया है कि वाणिज्यिक प्रसारण से सम्बन्धित सलाहकार समिति में छोटे और बड़े समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों को भी संबंद्ध किया जाये।

E. A. Minister's Visit to Cairo and Belgrade

*1490. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he recently visited Cairo and Belgrade to hold talks with President Nasser and President Tito for ending the West-Asia deadlock: and

(b) if so, the outcome of his talks ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b) During my recent visit to the U. A. R. and Yugoslavia I discussed matters of mutual interest with the leaders of these two countries. By their very nature these talks are confidential and it would not be in the public interest to disclose details about them.

तिब्बती शरणार्थियों का बड़ी संख्या में आना

*1491. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री रवि राय :
श्री मधु लिमये :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत से उत्तर प्रदेश के चमोली नामक सीमान्त जिले में माना दर्रे और बाराहोली के रास्ते होते हुए बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उनके साथ चीनी जासूस भी आ रहे हैं; और

(घ) वास्तविक शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) अब तक 51 तिब्बती माना दर्रा और 82 बडाहोती से होकर आए है।

(ख) और (ग) अभी तक यह स्थिर करना संभव नहीं हो सका है कि इस निष्क्रमण का ठीक-ठीक क्या कारण है। तिब्बती शरणार्थी तिब्बत में दमन धार्मिक अत्याचार और आर्थिक कठिनाइयों से बचने के लिए वर्षों से भारत आते रहे हैं। यह संभव है कि तिब्बत स्थित चीनी अधिकारी आने वाले वास्तविक शरणार्थियों के साथ अपने जासूसी एजेंट अथवा अन्य अवांछनीय व्यक्ति भेजने की कोशिश करेंगे सरकार इस मामले में आवश्यक सावधानी बरत रही है।

(ख) भारत में पहले से रहने वाले अन्य तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए जिन योजनाओं पर अमल किया जा रहा है, उनके अन्तर्गत वास्तविक शरणार्थी फिर से बसाए जायेंगे।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की बैठक

*1492. **श्री मरण्डी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की जेनेवा में हुई बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में रूस ने एक संकल्प प्रस्तुत किया है;

(ख) उस परिषद ने रूस के संकल्प को किस सीमा तक स्वीकार किया;

(ग) क्या भारत ने इस संकल्प पर आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। सोवियत संघ ने जेनेवा में आर्थिक सामाजिक परिषद की वर्तमान बैठक में कार्यसूची की मद संख्या 2, 'अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक ऐवं सामाजिक नीति', के अन्तर्गत पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक प्रस्ताव का मसौदा रखा था।

(ख) अभी तक परिषद में इस प्रस्ताव पर मत नहीं लिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

काहिरा में अफ्रीका एशियाई एकता सम्मेलन

*1493. श्री जे० एच० पटेल -
श्री जार्ज फरनेंन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधियों में काहिरा में हाल में हुए अफ्रीका एशियाई एकता सम्मेलन का उपयोग भारत विरोधी प्रचार करने के लिए किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अपने इस प्रयास में कितनी सफलता मिली; और

(ग) सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में क्या कार्यवाही की थी ;

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) अफ्री-एशियाई लोक एकता संगठन का एक आपाती सम्मेलन 1 जुलाई से 3 जुलाई 1967 तक काहिरा में आयोजित किया गया था जिसमें पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के नेता ने भारत को बदनाम करने के लिए उस अवसर का उपयोग करने की चेष्टा की। लेकिन उनके आरोपों का सम्मेलन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि पश्चिम एशिया के संकट पर भारत के रूख की एकत्रित प्रतिनिधियों ने पूरी सराहना की। इस सम्मेलन में चीन का कोई प्रतिनिधि नहीं था। भारतीय अफ्री-एशियाई एकता एशोसिएशन ने जो अफ्री-एशियाई एकता संगठन की सहायक संस्था है और गैर-सरकारी है, एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था ।

गाजा पट्टी में तैनात भारतीय सैनिकों की मृत्यु के बारे में जांच-पड़ताल

*1494. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री शारदानंद :
श्री टी० पी० शाह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री शशि भूषण :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री इसहाक सामभाली :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री लतीफ अली खां :
श्री गयूर अली खां :
श्री आ० ना० मुल्ला :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष में गाजा पट्टी में तैनात भारतीय सैनिक जिन परिस्थितियों में मारे गये थे तथा घायल किये गये थे क्या उनके बारे में की जा रही जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इसके संबंध में कोई रिपोर्ट दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। इस उद्देश्य के लिए गठित एक अधिकारी मंडल की सहायता से सेनाध्यक्ष ने भारतीय टुकड़ी के उन कर्मचारियों से विस्तार के साथ पूछताछ की है जो इस घटना के बाद भारत लौटे हैं।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 5 जून और 12 जुलाई की अन्तिम रिपोर्ट के बीच सुरक्षा परिषद में और महासभा में कई रिपोर्टें पेश की हैं। इन रिपोर्टों में उन तमाम घटनाओं की चर्चा की गई है जिनमें भारतीय टुकड़ी के सदस्य हताहत हुए हैं।

(ग) अब तक यह पता चल गया है कि ऐसी छे घटनाएं हुई थीं जिनमें भारतीय कर्मचारी हताहत हुए थे। इनमें से पांच घटनाएं जो इसराईली सशस्त्र सेनाओं द्वारा जान-बूझ कर हमला करने की थीं जिनमें 11 भारतीय मारे गये और 24 घायल हो गए। जहां तक छठी घटना का सवाल है, 6 जून को 3 भारतीय एक दुर्घटना के उस समय शिकार हो गए थे और एक घायल हो गया था जबकि उनकी जीप गाजा शहर की सीमा पर संयुक्त अरब गणराज्य की टैंक उड़ाने वाली एक सुरंग से टकराकर उड़ गई जो कि इसराईल की बख्तरबंद सेना ने गाजा शहर को बचाने के लिए बिछाई गई थी। इसराईल की सेना ने 6 जून को गाजाशहर पर हमला किया और उसी दिन इस पर कब्जा कर लिया। इन छै घटनाओं के संबंध एक संक्षिप्त ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1260/67]**

कीनिया से निष्कासित भारतीय लोग

***1495. श्री नरेन्द्र सिंह महोडा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश पारपत्र लिये हुए सात भारतीय लोगों को अफ्रीका विरोधी गतिविधियों के आरोप में हाल ही में कीनिया से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसके बारे में पूछताछ कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 5 जुलाई, 1967 को कीनिया से भारतीय मूल के जो 12 व्यक्ति निकाले गये थे उनमें से 7 के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे। इन सात भारतीयों में से छः को कीनिया से तत्काल चले जाने के लिए कहा गया था और दूसरे दिन लन्दन जाने के लिए हवाई जहाज में उनकी सीट बुक करा दी गई थी। सातवां व्यक्ति, जो किन्हीं अज्ञात कारणों से जेल में रहा था, अब कीनिया में ही है, लेकिन उसे भी अब भेजा जाना है।

(ख) और (ग) कीनिया-स्थित हमारे हाई कमिश्नर ने बताया है कि मिशन को इन विपत्तनों के बारे में सरकारी तौर से नहीं बताया गया था क्योंकि सम्बद्ध सभी व्यक्ति ब्रिटेन के राष्ट्रिक हैं और उनके विपत्तन से सम्बद्ध औपचारिकताएं कीनिया सरकार ने कीनिया में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से परामर्श करके पूरी की थीं।

पाकिस्तानी दूतावास द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति

*1496. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह बात सर्वथा असंगत है कि भारत सरकार पाकिस्तान और चीन के बीच साठगांठ का आरोप लगाये;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की चीन के साथ सांठगांठ के बारे में पाकिस्तान के विरुद्ध अपने आरोप के समर्थन में भारत सरकार ने पर्याप्त प्रमाण एकत्रित कर लिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क से (ग) 4 जुलाई, 1967 के विरोध-पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये, संख्या एल० टी० 1261/67**] पाकिस्तान हाई कमीशन की प्रेस रिलीज़ में भी 12 जुलाई, 1967 को इसे छापा गया था। इस विरोध-पत्र के जवाब पर हम विचार कर रहे हैं और उसे भी सभा पटल पर रख दिया जायेगा। जैसा कि सभा को मालूम है कि पाकिस्तान और चीन की साठगांठ के बारे में कई सवालों का जवाब संसद में दिया जा चुका है। इस बारे में सभी बात ब्योरेवार बताना सार्वजनिक हित में न होगा।

Substitution of "Bharatiya Vayu Sena" by "Indian Air Force" in Devnagri Script

*1497. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ramji Ram :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that orders have been issued to the effect that the words "Indin Air Force" should be written in Devnagri Script in place of the words "Bharatiya Vayu Sena";

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether besides the Air Force, English names have been adopted in the Naval Headquarters and Army Headquarters also in place of Hindi names; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir,

(d) Does not arise.

भारतीयों का विदेशों को प्रव्रजन

*1498. श्री गा० शं मिश्र :
श्री नीतिराजसिंह चौधरी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (एक) बिटेन (दो) कनाडा (तीन) कुवैत और (चार) अमरीका को भारत से कितने आप्रव्रजक गये;

(ख) उनमें इन्जीनियरों, वैज्ञानिकों तथा डाक्टरों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस आप्रव्रजन के बारे में जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में योग्य व्यक्ति विदेशों में जा रहे हैं, सरकार की क्या नीति है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) पासपोर्ट देने, न देने आदि से सम्बद्ध पासपोर्ट अधिनियम 1967 के सभी नागरिकों पर बराबर लागू होता है, चाहे उनका कुछ भी व्यवसाय हो और चाहे वे कितने ही पढ़े-लिखे हों। इस अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसमें सरकार को इस आधार पर पासपोर्ट अस्वीकार करने का अधिकार हो कि प्रार्थी के विदेश जाने से योग्य व्यक्ति यहां से विदेशों में पहुँच जायेंगे। इसलिए, जब कोई इन्जीनियर अथवा वैज्ञानिक या डाक्टर पासपोर्ट के लिए प्रार्थना-पत्र देता है और इस अधिनियम के अन्तर्गत पासपोर्ट पाने का अधिकार है तो उसे यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

Change of Name Akashvani in States

*1499. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kashi Nath Pandey :
Shri Hem Barua :
Shri Surendra Nath Dwivedy :
Shri Nath Pali :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 50 on the 27th March, 1967 and state :

(a) whether any suggestions for changing the name of Akashwani in other States have also been received:

(b) if so, the action taken thereon; and

(c) whether any firm policy in this regard has been evolved ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (c) As mentioned in unstarred Question No. 50, dated the 27th March, 1967 suggestions for changing the name of "Akashvani" into "Yeh Akashvani Bharat Hai", "Yeh Bharat Vani Hai", "Akashvani Bharat" and ',Bharatiya Vani" have been received. But we could not accept them as "Akashvani" has been in use for a long time in all India broadcasts and has come to stay.

स्वेज नहर क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक

***1500. श्री आत्म दास** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य ने स्वेज नहर के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक तैनात के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रार्थना स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं इन प्रेक्षकों की सहायता करेगी;

(ग) क्या उस क्षेत्र में भारतीय सैनिक टुकड़ी तैनात करने के लिये सरकार को कोई प्रार्थना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त अरब गणराज्य और इसराईल, दोनों इस पर सहमत हो गए हैं कि युद्ध विराम का पालन कराने के लिए स्वेज नहर दोनों किनारे के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र प्रेषक रखे जायं प्रेक्षकों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं तैनात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

परमाणु बिजली घर

7284. श्री चित्तिबाबू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, राजस्थान और कलपाक्कम में कुल तीन परमाणु बिजली घर स्थापित करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या ये योजनायें इन स्थानों के आसपास के क्षेत्रों में परमाणु बिजली की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं;

(ग) क्या मूलतः इन सबको विदेशी सहयोग से एक ही समय पर आरम्भ करने का विचार था;

(घ) क्या यह सच है कि उनकी प्रस्तावित क्षमता 400 मैगावाट थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कलपाक्कम में परमाणु बिजली घर केवल 100 मैगावाट क्षमता के लिये तथा भारतीय तकनीशियनों द्वारा और भारतीय डिजाइन के अनुसार बनाया जा रहा है जबकि बम्बई और राजस्थान के परमाणु बिजली घर विदेशी सहयोग से और 400 मैगावाट क्षमता के बनाये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, तारापुर (महाराष्ट्र राज्य), राना प्रताप सागर (राजस्थान राज्य) और कलपक्कम (मद्रास राज्य) में ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी नहीं । मद्रास अणु शक्ति केन्द्र के लिये विदेशी तकनीकी सहायता का उपबन्ध नहीं था ।

(घ) से (च) तारापुर स्टेशन 380 एन० डब्लू ई० के लिये बनाया गया था । राना प्रताप सागर के स्टेशन में आरम्भ में 200 एम० डब्लू ई० का केवल एक यूनिट शामिल था । बाद में उसी क्षमता का एक अतिरिक्त एकक मंजूर किया गया था । कलपक्कम के स्टेशन की सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तिम क्षमता 400 एम०डब्लू०ई० है जिसमें दो 200 एम०डब्लू०ई० यूनिट भी शामिल हैं । स्टेशन का निर्माण दो चरणों में किया जायेगा और प्रत्येक की क्षमता 200 एम०डब्लू०ई० होगी । तारापुर और राना प्रताप सागर के परमाणु शक्ति केन्द्रों के निर्माण में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर वे अब विदेशी सहायता के बिना ही कलपक्कम पर तथा भविष्य के अन्य शक्ति केन्द्रों का निर्माण करने की स्थिति में हैं ।

रिजर्विस्ट एयरमैनों को युद्ध सेवा के लिये बुलाना

7285. श्री चित्ति बाबू : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में सेवा के लिये बुलाये गये रिजर्विस्ट एयरमैनों की अपनी वर्दियों के लिये भुगतान करने के लिये बाध्य किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य देशों में एयरमैनों को उनकी सेवा के सामान्य लाभों के अतिरिक्त और लाभ दिये जाते हैं;

(ग) क्या 1968 में युद्ध सेवा के लिये बुलाये गये हमारे रिजर्विस्ट एयरमैनों को ये लाभ दिये गये थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । वर्तमान नियमों के अनुसार केवल ऐसे वायु सैनिकों से, जिन्होंने रिजर्व में जाने के समय कुछ वैयक्तिक वस्त्रों की मदों को वापिस नहीं किया गया था, 1962 में वापस सेना में बुलाए जाने पर, विशेष वसूली दर पर कुछ मदों के लिए प्रभार लिया गया था ।

(ख) से (घ) अन्य देशों में वायु सैनिकों को उनकी सेवा के सामान्य लाभों के अतिरिक्त और लाभ दिया जाता हो, इसी सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । फिर भी 1962 में वापस सेना में बुलाये गये रिजर्विस्ट वायु सैनिकों को उनको मिलने वाले सामान्य लाभों के अतिरिक्त कोई और लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि नियमों के अधीन इस प्रकार का लाभ दिया जाता है ।

Air Travel by Ministers

7286. Shri Ram Charan : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of Ministers who travelled by Chartered Planes of the Indian Air Force during the last there years;

(b) the amount of charges paid by each of these Ministers; and

(c) the amount of expenditure incurred by Government on petrol, salaries of pilots, etc in connection with these air journeys ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat : (a) and (b) During the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1967, fourteen Central Ministers used the IAF aircraft on payment of charges in accordance with the rules. The charges recoverable for journeys by them are given in the statement. Laid on the Table of the House, [Placed in Library, See, No. LT-1262/67]

(c) This information is not available as the details in this regard are not maintained separately for each flight.

रिहायशी विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों में योजना का प्रचार

7287. **श्री रा० की० अमीन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहायशी विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों में 'योजना' सम्बन्धी प्रचार करने की कोई विशेष योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अध्यापकों और विद्यार्थियों में योजना की आवश्यकता के भाव उत्पन्न करने तथा पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने और उनके कार्यान्वय में उनका निकट का सम्बन्ध जोड़ने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों और कालेजों में योजना आयोग द्वारा 1956 में योजना मण्डल कार्यक्रम शुरू किया गया था। भाषण, विचार-गोष्ठियां, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां आदि का आयोजन करने के अतिरिक्त, मण्डल सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी करते हैं, छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत धन एकत्र करते हैं सड़कें, बन्ध और नदी-बांध बनाने और जमीन को खेती योग्य करने के कार्यों में 'श्रमदान' करते हैं तथा वयस्कों और बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षाएं चलाते हैं। सर्वतोन्मुखी विकास कार्य के लिए मण्डलों द्वारा गांवों में भी कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय योजना सप्ताह मनाने के लिए मण्डलों को सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा सहायक-अनुदान दिया जाता है। इस अवसर पर मण्डल वाद-विवाद गोष्ठियां, विचार-गोष्ठियां, आदि आयोजित करते हैं। मण्डल के अन्य कार्यों के लिए योजना आयोग और राज्य सरकारें सहायक अनुदान देती हैं।

साउदी अरब तथा अन्य अरब देशों में वाणिज्यिक संस्थानों में नियुक्त भारतीय

7288. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउदी अरब तथा अन्य अरब देशों में विभिन्न उद्योगों तथा वाणिज्यिक संस्थानों में नियुक्त भारतीयों की कुल संख्या कितनी हैं जिन्हें नौकरी से हटाया गया है और जिनके स्थान पर पाकिस्तानी नियुक्त किये गये हैं;

(ख) पश्चिम एशिया में ऐसे कौन-कौन से देश हैं जहां भारतीयों की छंटनी की गई है तथा प्रत्येक देश में अब तक ऐसे कितने लोगों की छंटनी की गई है; और

(ग) इस छंटनी को रोकने के लिए तथा भारतीयों के स्थान पर अन्य लोग नियुक्त न किये जायें इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) यह खबर है कि सऊदी अरब की सरकार भारत समेत कुछ अन्य देशों के राष्ट्रिकों के मुकाबले में अधिकाधिक संख्या में पाकिस्तानियों को भरती कर रही है; अन्य देशों के राष्ट्रिकों को अपनी-अपनी संविदा-गत अवधि समाप्त करने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सऊदी अरब अथवा पश्चिम एशिया के किसी देश में भारतीयों को हटाकर पाकिस्तानियों को लगाया जा रहा है।

(ग) यह रिपोर्ट थी कि सऊदी अरब की सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों की भरती पर रोक लगा दी थी। यह मामला सऊदी अरब की सरकार के साथ उठाया गया था जिन्होंने इस तरह की किसी रुकावट से इन्कार किया है।

विदेश-स्थित भारतीय दूतावासों में उन्हीं देश के नागरिकों का नियुक्त किया जाना

7289. श्री म० ला० सोंधी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे विदेश स्थित दूतावासों में उन्हीं देशों के नागरिकों को किन सेवा शर्तों के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है, तथा क्या उन्हें नियमित, दैनिक मजूरी, अस्थायी अथवा स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है; और

(ख) क्या उन नागरिकों को रोजगार देने से पहले उनके पूर्व इतिहास का पता नहीं लगाया जाता है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विदेश-स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों की सेवा-दशाओं का नियमन करने के लिए सरकार ने कोई विवरणात्मक निमम नहीं बनाए हैं। मिशन प्रमुख स्थानीय कर्मचारी भरती कर सकते हैं और कुछ मिशनों ने तो स्वयं ही स्थानीय कर्मचारियों के बारे में स्थानीय व्यवहार के अनुरूप सेवा नियम बना रखे हैं। लन्दन-स्थित भारतीय हाई कमीशन और कुछ मिशनों में, जो आजादी से पहले भी थे, कुछ स्थानीय पक्की जगह हैं। विदेश-स्थित अन्य मिशनों में स्थानीय रूप से भरती किए गए कर्मचारियों को अस्थायी जगह होती हैं। अधिकांश स्थानीय कर्मचारी समय वेतन-मान पर नियुक्त हैं। भारत सरकार ने तमाम मिशनों में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों के लिए अवकाश नियम बनाए हैं जो आम तौर से समान तौर पर लागू होते हैं। जहां कहीं स्थानीय कानून के अन्तर्गत जरूरी होता है, वहां भारतीय मिशन अपने स्थानीय कर्मचारियों की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान देते हैं और अन्य

मिशनों में स्थानीय कर्मचारियों को भारत सरकार की ग्रेचुट्टी सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत रिटायर होने पर ग्रेचुट्टी दी जाती है कई मिशनों में स्थानीय कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र नियत कर दी गई है ।

लन्दन-स्थित भारतीय हाई कमीशन में स्थानीय कर्मचारी या तो युनाइटेड किंगडम एस्टाकोड की शर्तों पर या रुपए-मान पर नियुक्त होते हैं । रुपया-मान 'लन्दन लोकल काडर स्कीम' नामक एक योजना के अन्तर्गत । अप्रैल 1963 से आरम्भ किया गया है ।

(ख) विदेश-स्थित भारतीय मिशनों में नियुक्त होने के फौरन बाद स्थानीय कर्मचारियों के पूर्व इतिहास का पता लगाया जाता है ।

Indian- Participating in "Experiment in Internat onal Living"

7290. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether some Indian nationals went abroad to participate in "Experiment in International Living";

(b) if so, the details thereof;

(c) the amount of fore gn exchange spent on their journey; and

(d) the nature of benefit to India from their participation ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) A total of 139 people have proceeded abroad in 1967 under this scheme The country-wise break-up is :-

(i)	Switzerland	6
(ii)	Sweden	11
(iii)	West Germany	11
(iv)	Italy	11
(v)	U. S. A.	100

(c) No foreign exchange has been released for people going abroad under the scheme.

(b) The idea is that these young people create friendship for India abroad amongst private families and, through them, many others among whom they live. Similarly, young people from abroad come to India to live with Indian families. By this means the scheme seeks to create understanding among different people, to the mutual benefit of the countries involved.

भाभा अणु शक्ति अनुसन्धान केन्द्र

*7292. **श्री समर गुह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल और मद्रास राज्यों में मोनाजाइट वाले क्षेत्रों में रेडियो-धर्मी मोनाजाइट खनिजों से वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले मन्द और निरन्तर रेडियेशन (विकीरण) के प्रभाव के बारे में भाभा अणु शक्ति अनुसन्धान केन्द्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से जनांकिकीय सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण दल ने क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यह प्रतिवेदन कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से केरल और मद्रास राज्यों के मोनाजाइट क्षेत्रों में रहने वाली जनता पर रेडियेशन के प्रभाव पर अध्ययनों का एक कार्यक्रम आरम्भ करना चाहता है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया है।

(ख) और (ग) यह परियोजना दीर्घकालिक है और निश्चित निष्कर्षों पर पहुँचने में कई वर्ष लगेंगे।

Article Written by Olwald Stack

7293· Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Exteral Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an article by "Olwald Stack" appearing in a British magazine wherein he has opined that the problems of India do not emanate from increasing population but from maladministration;

(b) whether it is also a fact that he has alleged therein that all sources of irrigation exist in India but those are not being properly utilised; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. The correct name is "Olwald Stack" and the name of the publication is "New Left Review' of March-April issue.

(b) Yes, Sir.

(c) The correct position is being brought to the notice of the Editor.

मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई

7294. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के कर्मचारियों को अपना वेतन लेते समय अपने अंगूठे का निशान लगाने के लिए बाध्य किया जाता है यद्यपि वे अपने हस्ताक्षर करने योग्य पढ़े लिखे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उस पुरानी प्रथा को बन्द करने के लिये सरकार का विचार आवश्यक अनुदेश जारी करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) जी नहीं। ऐसी कोई बाध्यता नही है। यह अभ्यास काफी लम्बे अर्से से चली आ रही प्रथा पर आधारित है। यूनियन के कर्मचारियों ने इस महीने के आरम्भ में पिछली वेतन वितरित होने के बाद यह बात उठाई थी। प्रथा में अब अगले महीने से तबदीली की जा रही है।

अमरीका में भारतीय दृष्टिकोण के समर्थन में प्रचार

7295. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारतीय दृष्टिकोण के समर्थन में प्रचार कार्य एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है;

(ख) भारतीय दृष्टिकोण के समर्थन में प्रचार करने के लिये इस संस्था द्वारा क्या मार्गोपाय अपनाये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार अमरीका में भारत का दृटिकोण प्रस्तुत करने के लिये 'अमरीका स्थित भारतीय छात्र संघ को कोई सहायता देती है;

(घ) क्या इस संघ ने सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) भारत से सम्बद्ध सरकारी प्रचार-कार्य वाशिंगटन–स्थित हमारे राजदूतावास, से सम्बद्ध भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की, और न्यूयार्क तथा सान फ्रान्सिसको–स्थित हमारे प्रधान कोंसलावासों की तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, सरकार ने एक सार्वजनिक सम्पर्क परामर्श-दात्री फर्म से ठेका किया है जो कि वाशिंगटन में हमारे राजदूतावास के दो वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में कार्य करती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) अमरीका के भारतीय छात्र संघ ने 1000 डालर का अनुदान मांगा है। इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

गोआ में छोटे समाचार-पत्र

7297. श्री शिकरे : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन कठिनाइयों की जानकारी है जिनका सामना गोआ के छोटे समाचार पत्रों को वहां के बड़े खान मालिकों द्वारा चलाये जाने वाले समाचार पत्रों की तुलना में करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी विज्ञापनों के नियतन के बारे में स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकार की नीति भी उनकी दयनीय दशा के लिये कुछ हद तक उत्तरदायी है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन कारणों को पता लगाने के लिये कोई जांच करने का है जिनके कारण केवल 6 महीनों की अवधि में ही वहां पर तीन दैनिक पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया हैं और एक दैनिक पत्र का प्रकाशन अस्थायी तौर पर रुक गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन समाचारपत्रों की सहायता करने के लिये कोई योजना बनाने का है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा के बारे में चलचित्र

7298. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में सरकार ने दो चल चित्र बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूखे की स्थिति पर 'बिहार फाइट्रस ड्राट' तथा 'रिपोर्ट लान ड्राट' नामक दो फिल्में सिनेमाघरों को क्रमशः 13 जनवरी और 27 जनवरी, 1967 को रिलीज की गई। उनकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. बिहार फाइट्रस ड्राट—यह फिल्म बिहार के 1967 वर्ष के सूखे की स्थिति से सम्बन्ध रखती है और इसमें लोगों के कष्टों को दूर करने के लिये जो प्रारम्भिक उपाय किए गये हैं, उनको दिखाया गया है। फिल्म मैं० एशियन फिल्म्ज आफ दिल्ली ने अपनी इच्छा से बनाई है और बाद में फिल्म डिवीजन ने खरीदी थी। यह फिल्म 35 मी० मी० के आकार में है और 258 मीटर लम्बी है।

3. रिपोर्ट आन ड्राट—यह फिल्म उत्तर प्रदेश और बिहार के विशाल क्षेत्रों में 1967 में जो सूखा पड़ा उसका चित्र प्रस्तुत करती है। इस फिल्म में सूखे से पीड़ित लोगों से उनके प्रकृतिक वास में इन्टरव्यू के आधार पर पीड़ित क्षेत्रों की स्थिति और निकट भविष्य में निराशा को दूर करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी उपायों तथा लम्बी अवधि की योजनाओं, जैसे कूएं खोदना आदि, को बताया गया है। यह फिल्म राहत के लिए उठाये गए उपायों की प्रगति को बताती है और इन क्षेत्रों के लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन कठिनाइयों को भी चित्रित करती है।

3. ऊपर बताई गई फिल्मों के अतिरिक्त फिल्म डिवीजन द्वारा बनाई गई निम्न चार फिल्मों में भी सूखे की स्थिति को थोड़ा बहुत बताया गया है :—

(1) फ्राम पोर्ट टू पीपल। (2) दी फारमर्ज बैटल। (3) दी चेंजिंग लैंडस्केप (4) दी न्यू स्ट्रेटेजि।

4. सूखे की स्थिति पर एक तीसरी लम्बी फिल्म बनाई जा रही है ।

5. इसके अतिरिक्त, सूखे को 15 सप्ताहों की न्यूजरीलों में भी दिखाया गया है ।

Sainik Schools

7299. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there does not exist an satisfactory arrangement for meals for the students in the Sainik Schools;

(b) whether it is also a fact that the main cause for it is the rise in prices without consequent increase in the amount of scholarship ;

(c) if so, whether Government propose to increase the amount of scholarship ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (e) The Sainik Schools are providing a balanced and varied diet to the students within the limits of the diet charge. It has, however been felt of late that, with the increase in prices, it is becoming increasingly difficult for the Sainik Schools to provide adequate diet. The Board of Governors of the Sainik Schools Society which considered the question of suitable increase in the diet charge fel tbat the problem was related to the price level and diet generally available in other public schools. A survey is being carried out of the diet available in the Sainik Schools vis-a-vis other public schools. The results of this survey will be considered in consultation with the Indian Council of Medical Research and a decision may be expected accordingly.

Radio India

7300. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 56 on the 27th March, 1967 and state :

(a) whether the suggestion for the change of the name of All India Radio to 'Radio India' has been considered ; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) The existing name of 'All India Radio' has been accepted by usage all over the world and it is not considered necessary to change it.

Prices of Cartridges and Their Production

7301. **Shri Hukam Chand Kachwal :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of cartridges for civil use have risen three-fold as compared to the prices prevalent during the last five years;

(b) whether it is also a fact that the factories for the manufacture of cartridges for civil use are propsed to be set up to augment their production;

(c) if so, the number of such factories and location thereof ; and

(d) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) The retail prices of cartridges and the dates from which the prices are effective are given below :--

	Retail Price	Unit	Date from which prices are effective
12 bore cartridges	Rs. 55/-	per 100 rounds.	1.6.61
22 cartridges	Rs. 87/-	per 1,000 rounds.	6.6.61

These prices have not been revised so far.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The production of 12 bore ammunition at Ammunition Factory, Kirkee was augmented substantially recently, The production of. 22 cartridges is satisfactory and is adequate to meet the requirements of the country.

सेना द्वारा एक मन्दिर पर कब्जा किया जाना

7302. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना ने झांसी में एक मन्दिर पर कब्जा कर लिया है जिसका नाम 'दुर्गा देवी की तौरिया' मेमासिन है;

(ख) क्या इसके विरुद्ध कोई विरोध प्रकट किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि यह मन्दिर जनता का है ;

(घ) जनता की इस सम्पति पर कब्जा किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रति-रक्षा मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ङ) झांसी छावनी में सर्वेक्षण संख्या 276, जिसका क्षेत्र 195 वर्ग फुट है, हिन्दुओं के नाम में एक पुराना अनुदान चक है । इस जगह पर एक पुराना मन्दिर था, इसके साथ जो जगह है वह

सर्वेक्षण संख्या 277 है और रक्षा संगठन की भूमि है। हाल ही में उस भूमि पर मन्दिर और प्रार्थना घर बनाए गए। वहां की स्थानीय रेजीमेंट का दावा है कि ये मन्दिर उन्होंने बनाए हैं। बहुत वर्षों से इन मन्दिरों की अच्छी व्यवस्था सेना द्वारा की जाती रही है। फिर भी आम हिन्दू जनता के लिए उन मन्दिरों में पूजा करने का मुक्त अधिकार है। कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री को विदेश यात्रा के लिये आमंत्रण

7303. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री को किन किन देशों में जाने के आमंत्रण मिले हैं ;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या चालू वर्ष में उनकी विदेश यात्रा का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) प्रधान मंत्री को निम्नलिखित देशों से निमत्रण मिला है :

श्रीलंका. चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बल्गारिया, सूडान, वर्मा, अफगानिस्तान, अल्जीरिया तूनीसिया, सीरिया, इराक, जापान और यूगोस्लाविया।

(ख) और (ग) उम्मीद है कि प्रधान मंत्री सितम्बर 1967 में कभी श्रीलंका जाएंगी लेकिन अभी विस्तृत कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। जहां तक अन्य देशों का प्रश्न है, निमंत्रण स्वीकार कर लिए गए हैं लेकिन अभी तारीखें तय नहीं की गई हैं।

अमरीकी राजदूत श्री चेस्टरबोल्स की आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री से वार्ता

7304. **श्री एस्थोस :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अब्राहम : **श्री उमानाथ :**
श्री अनिरुद्धन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री तथा भारत में अमरीकी राजदूत के बीच आन्ध्र प्रदेश के किसानों के लिये पी० एल० 480 के ऋणों की व्यवस्था के बारे में हुई बातचीत से सम्बन्धित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या अमरीकी राजदूत ने इस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार के साथ पहले ही विचार विमर्श कर लिया था ; और

(ग) विदेशी विशिष्ट जनों के साथ ऐसी वार्ता के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देख ली हैं। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने हमें सूचना दी है कि उनके कृषि मंत्री ने अधिक उत्पादन के विषय में किसानों की आवश्यकताओं के बारे में अमरीकी राजदूत से अनोपचारिक बातचीत की थी। ऋण एक मद था, जिसपर बातचीत हुई थी क्योंकि कृषि उत्पादन में यह महत्वपूर्ण मद है। इस अनौपचारिक बातचीत में दोनों पक्षों द्वारा पी० एल० 4९0 की निधियों के बारे उल्लेख नहीं किया गया।

(ग) भारत सरकार की प्रतिक्रिया बातचीत के प्रचार पर निर्भर करती है। इस मामले में किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

दार्जिलिंग में भूमि का अर्जन

7305. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वर्ष 1963 में सेना द्वारा भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप सिलिगुडी सब डिवीजन दार्जिलिंग में बहुत से लोगों को अपनी वास भूमि (होमस्टेट लैंड) से हाथ धोने पड़े थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में इन लोगों को अभी तक प्रतिकर नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिकर के कब तक दिये जाने की संभावना है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा०भगत) : (क) उल्लिखित इलाके में कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है। फिर भी 1963 से अब तक लगभग 5663 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है। इस क्षेत्र में 90.30 एकड़ वास भूमि भी शामिल है जिससे लगभग 313 परिवारों पर प्रभाव पड़ा।

(ख) और (ग) सिविल अधिकारियों ने अभी तक प्रारम्भिक मुआवजा और अधिग्रहीत भूमि के लिए किराए के रूप में 15.38 लाख रुपये की धनराशि वितरित की है। मुआवजे की निर्धारण, आवश्यक वित्तीय मंजूरी का अनुमोदन और शेष दी जाने वाली धनराशि का वितरण सम्बन्धी कार्य हाथ में है और अगले कुछ ही महीनों में इस कार्य के पूरे हो जाने की आशा है।

पश्चिम बंगाल के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता के बारे में अमरीकी राजदूत की पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ भेंट

7306. श्री बाबू राव पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अप्रैल, 1967 को भारत में अमरीकी राजदूत श्री चेस्टरबोल्स पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उप मुख्य मंत्री से मिले थे और पश्चिमी बंगाल के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सोने गेहूँ और दुग्ध चूर्ण देने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या राज्यों को यह अनुमति है कि वे बिना केन्द्रीय सरकार से परामर्श लिए सहायता तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विदेशी राजदूतों से सीधी बातचीत कर सकते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) हमारी सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने और न उप मुख्य मंत्री ने गेहूं और दूध पाउडर को किसी पेशकश पर बातचीत की ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । सभी योजनाएं पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होती हैं, उसके बाद राज्य सरकारें उन पर अमल करने से संबद्ध मामलों पर सीधे ही कार्यवाही कर सकती हैं ।

North Vietnam and North Korea

7307. Shri Bibhuti Misbra : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the diplomats of North Vietnam and North Korea stationed in Delhi were not permitted to hold a Press Conference or issue a statement on Vietnam;

(b) if so, whether it is also a fact that the U. S. I. S. exhibited films on Vietnam for general public in the compound of their office in New Delhi during the third week of May, 1967 ; and

(c) if so, the grounds on which permission was granted to U. S. I. S. for exhibiting such films ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) According to our information, U. S. I. S. is reported to have shown some documentary films on Vietnam in its own premises to specially invited guests, and not to the general public.

(c) No permission is needed for private showing of films.

Arab Students Invited to a party by the Chinese Embassy in New Delhi

7308. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Attam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese Embassy in India had invited Arab students in India to a party ;

(b) whether it is also a fact that the Arab students expressed the feeling of close friendship with China by attending the said party ; and

(c) if so, the reaction of Government hereto ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. The Chinese Embassy had invited some Arabstudents to a party of film show on the 15th of June.

(b) About 20 Arab students attended this party ; mere attendance at this party would not indicate any feeling of close friendship with China. It is a common practice for foreign missions to invite both Indian and foreign students to functions in their Embassies and these Arab students were not doing anything out of the way by accepting the invitation and attending the function.

(c) The Government of India are not happy at these students having attended a reception at the Chinese Embassy specially after news had come from Peking of the humiliating treatment given to our diplomats there. However, since the actions of these young people did not in any way reflect the official attitudes of their governments, the Government do not attach any great importance to this incident.

अवाड़ी में नई तारों की नीलामी

7309. **श्री चित्ति बाबू :** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से जून 1967 तक की अवधि में अवाड़ी में 400 मीटर नई तार नीलाम की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वे तारें कितने मूल्यों में बेची गई ;

(ग) खरीद के समय तारों का वास्तविक मूल्य क्या था ; और

(घ) इसके क्या कारण थे ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जनवरी से जून 1967 तक अवाडी में कोई नए केबल नीलाम नहीं किए गए । तदपि, 9 नाकारा केबल, जो युद्ध के दौरान प्राप्त हुए थे, 19 मई 1967 को नीलाम किए गए थे ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Military Alliance of Pakistan with other Middle-East Countries

7310. **Shri Molahu Prasad :** **Shri J. H. Patel :**
Shri Maharaj Singh Bharati : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that intensive preparations are being made by Turkey, Iran, Jordan, Saudi Arabia and Pakistan for a military alliance ;

(b) if so, whether Government propose to form a military block comprising of India, Afghanistan and Israel as a safeguard against the said proposed alliance; and

(c) if not, the manner in which Government propose to encounter this new danger from Pakistan ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) There has been some speculation in the Press, regarding attempts by certain West Asian and Arab countries to form some kind of a grouping, but inquiries have revealed that no such grouping in the offing, except that Saudi Arabia, Jordan, Iran and one or two other countries have proposed the holding of an Islamic Summit, but not much progress has been made in this direction.

(b) and (c) While Government is alert to hostile moves by Pakistan and will take suitable measures as occasion arises, it has been the firm policy of the Government of India not to join any military Bloc or participate in any military alliance. This continues to be the policy of the Government.

भारत-इसरायली संस्था

7311. श्री च० चु० देसाई :
श्री णेलु मोडी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री म० अमरसे :
श्री दुरायरासु :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई में एक भारत-इसरायली संस्था स्थापित की गई है, जिसके प्रयोजक एक संसद सदस्य हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बात का पता लगने पर भारत में अरब लीग की ओर से बोलने वाला कोई व्यक्ति उनके पास गया और उसने उन्हें यह धमकी दी कि यदि उन्होंने इस विचार को जारी रखा तो उसके विरुद्ध बल प्रयोग किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (मु० क० चागला) : (क) अखबारों की खबरों के अनुसार, संसद-सदस्य, श्री सी० सी० देसाई और दूसरे व्यक्तियों ने 'भारत-इसराईल मित्रता संघ' की स्थापना की घोषणा की है ।

(ख) पुलिस के रिकार्ड में ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Agreements entered into with U. K. Portugese and French Governments and Rulers of Former Princely States in 1947

7312. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3649 on the 26th June, 1967 and state :

(a) whether India had concluded separate agreements with the British, Portugese and French Governments as also with the Rulers of former Princely States in 1947;

(b) the areas now under the Chinese occupation out of that which existed at the time of the transfer of power ; and

(c) the area belonging to the former Princely States under Pakistani occupation out of the total area of the State at the time of their merger into the Indian Union ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : There was no specific agreement with the British apart from the Transfer of Power and the Indian Independence Act, 1947. Agreement with France related to the merger of former French territories of Pondicherry, Chandranagore, Mahe Karikal. With the former Indian States the agreements took the form of Instruments of Accession. There was no agreement with Portugal.

(b) China is in illegal occupation of approximately 14,500 square miles of Indian territory in Ladakh. In addition, they also occupy a little over 2000 square miles of Indian territory in Pakistan occupied Kashmir as a result of their so-called border agreement with Pakistan.

(c) Out of the total area of the former Indian States, at the time of their merger into the Indian Union, namely 587,949 square miles, the area under illegal occupation of Pakistan is approximately 32,500 square miles in Jammu and Kashmir. Out of this, a little over 2000 Square miles of territory has been illegally ceded by Pakistan to China.

The area on the Tripura East Pakistan border under illegal occupation of Pakistan (Ichachari and Patichari Mouza) is about 5 square miles.

As regards Gujrat-West Pakistan border, the Award of the Kutch Tribunal is awaited.

दिल्ली के सिनेमाओं में वातानुकूल व्यवस्था

7313. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में सिनेमा वातानुकूल उपकरणों का प्रयोग नहीं करते अथवा उनकी केवल आधी क्षमता का ही प्रयोग करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि लाइसेंस नियमों के अनुसार सिनेमाओं को वातानुकूलित अथवा समुचित ढंग से एयरकूल्ड होना चाहिये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों की इनके साथ मिली भगत है;

(घ) गत एक वर्ष में मनोरंजन कर विभाग ने कितनी बार सिनेमाओं का चालान किया है ; और

(ङ) सिनेमा मालिकों को सिनेमाओं को वातानुकूलित अथवा समुचित ढंग से एयरकूल्ड कराने के लिए बाध्य करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन से पूछताछ करने पर पता लगा है कि उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) दिल्ली चलचित्र नियमावली, 1953 के अन्तर्गत सिनेमा घरों के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वे वातानुकूलित या एयरकूल्ड हों, परन्तु इनमें हवा के आने जाने के लिये उचित प्रबन्धों के होने की जो व्यवस्था है, वह कर दी गई है।

(ग) सरकार के ध्यान में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

Elcetronic Computers in Government Offices

7314. Shri Sarjoo Pandey : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of electronic computers being used in the Central Government Offices and establishments throughout the country at present and the names of those offices and establishments ; and

(b) the amount spent on their import and the number of persons who have been deprived of their jobs as a result of making use of these computers ?

The Prime Minister and Ministry of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर के कमान्डेंट के विरुद्ध आरोप

7315. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री जि० मो० विस्वास :**
श्री उमानाथ : **श्री मधु लिमये :**

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध डिपो जबलपुर के कमान्डेन्ट के विरुद्ध आरोप की जांच विशेष पुलिस संस्थान द्वारा पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इस कमान्डेन्ट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) विशेष पुलिस संस्थान ने कमान्डेन्ट के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच पूरी कर ली है। विशेष पुलिस संस्थान की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से विचार किया जा रहा है। आयोग की सलाह को ध्यान में रखते हुए आगे कार्यवाही की जाएगी।

विशेष पुलिस संस्थान के निष्कर्षों को प्रकट करना जनहित में उचित नहीं है।

पश्चिम जर्मनी सरकार को विरोध-पत्र

7316. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि पश्चिम जर्मनी की बुंडस्टैग (संसद्) के अध्यक्ष डा० जेर्सटेनमेयर ने मई, 1967 की अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान गिलगित में भारत के साथ 1947 के संघर्ष के कथित शहीदों के युद्ध स्मारक पर फूल-मात्रा चढ़ाई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिम जर्मनी सरकार को एक विरोध पत्र भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी की सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) क्या सरकार का ध्यान इन प्रेस रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि डाक्टर जेर्सटेनमेयर ने भारत के साथ 1947 के संघर्ष के तथाकथित 'शहीदों' की याद में गिलगित में बने युद्ध स्मारक पर फूलमाला चढ़ाई थी।

(ख) सामान्य राजनयिक सूत्रों के जरिये यह मामला जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के साथ उठाया गया है।

(ग) जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार से अभी कोई जवाब नहीं आया है।

रेडियो तथा ध्वनि उपकरण निर्माता

7317. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या प्रति-रक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो तथा ध्वनि उपकरण निर्माताओं द्वारा लिये जा रहे बहुत अधिक मुनाफे के बारे में जांच करने के लिए सरकार ने लागत-लेखापालों की एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब नियुक्त की गई थी ; और

(ग) समिति के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत): (क) सरकार किसी ऐसी समिति की नियुक्ति नहीं करती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पेकिंग में स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के लिये वहिर्गमन परमिट

7318. **श्री शिव चन्द्र झा** :
श्री मधु लिमये :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग में स्थित हमारे दूतावास के 15 भारतीय कर्मचारियों के लिये वहिर्गमन परमिट मांगे गये हैं ;

(ख) क्या ये परमिट दे दिये गये हैं ;

(ग) क्या ये लोग मास्को होकर भारत लौटेंगे अथवा हांगकांग के रास्ते भारत आयेंगे ;

(घ) मार्ग में उनकी सुरक्षा के बारे में कोई आश्वासन प्राप्त किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) चीन में रहने वाले अन्य विदेशियों की तरह ही हमारे राजदूतावास के कर्मचारियों को भी चीन से बाहर आने

के लिए 'एक्जिट परमिट' लेने पड़ते हैं, और ये साधारण सेज का काम है। भारतीय अमले के कुछ सदस्य अपने परिवारों सहित इस महीने अलग-अलग तारीखों पर चीन से रवाना हो चुके हैं।

(ग) ये लोग हांगकांग होते हुए भारत लौटेंगे।

(घ) और (ङ) रास्ते में उनकी हिफाजत के लिए चीन सरकार से कहने के अतिरिक्त अन्य किसी विशेष आश्वासन के लिए नहीं कहा गया था। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत चीन के प्रदेश में यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा का सुनिश्चय करना चीन सरकार का दायित्व है।

प्रति व्यक्ति आय

7319. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962 से लेकर अब तक एक भारतीय व्यक्ति की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी रही है तथा इस सम्बन्ध में आंकड़े किस आधार पर एकत्रित किए जाते हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : प्रचलित कीमतों की दर से केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किये गये अनुमानों के अनुसार क्रमश: 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 के लिये **प्रतिव्यक्ति** आय के आंकड़े 339.4 रुपये, 371.9 रुपये तथा 421.5 रुपये निर्धारित किये गये हैं। 1965-66 के लिए आकड़े संकलित किये जा रहे हैं।

इन आंकड़ों को तैयार करने के लिये किस प्रकार का रीति-विधान अपनाया गया तथा इन आंकड़ों में प्रयुक्त सामग्री का सांख्यिकीय स्रोत क्या है इसका विस्तृत वर्णन राष्ट्रीय आय समिति (फरवरी 1954) की अन्तिम रिपोर्ट तथा 'राष्ट्रीय आय के अनुमान' के विभिन्न अंकों के टिप्पणी खण्ड में किया गया है।

कोचीन नायर ब्रिगेड और कोचीन स्टेट फोर्स के कर्मचारी

7320. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उन कर्मचारियों को, जो भूतपूर्व कोचीन नायर ब्रिगेड और कोचीन स्टेट फोर्स में का करते थे, मुआवजा देने की जिम्मेदारी ले ली है ;

(ख) यदि हां तो इन कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन कितनी दी जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी पेंशन बढ़ाने का है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां, जहां तक कोचीन स्टेट फोर्स के कर्मचारियों को निश्चित की गई पेन्शन/ग्रेच्यूटी की अदायगी का प्रश्न है, कोचीन नायर ब्रिगेड, गैर भारतीय स्टेट फोर्स यूनिट होने के कारण उन कर्मचारियों की

पेन्शन की अदायगी का दायित्व केरल सरकार पर है जो कि एकीकरण की तारीख (1-4-1950) को उस यूनिट में नियुक्त थे तथा उस तारीख के बाद रिटायर हुए थे।

(ख) कोचीन स्टेट फोर्स के उन कर्मचारियों को, जो भारतीय थल सेना में खपाए जाने के लिए नहीं चुने जा सके थे और सर्विस से विमुक्त किए गए थे, (10-14 वर्ष की सर्विस वाले एक सिपाही के लिए) 20 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेन्शन देना निश्चित किया गया है, इसमें पेन्शन की अस्थाई तथा तदर्थ वृद्धि भी शामिल है।

(ग) जी नहीं।

मैसूर में बिड़ला उद्योगों को भूमि का आवन्टन

7321. **श्री अगाड़ी :**
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के किसी मन्त्री ने मैसूर के मुख्य मन्त्री से सिफारिश की है कि मैसूर राज्य के पेरियापटना तालुक में दि ओरियन्टल आटोमेटिक लिमिटेड, बम्बई जिसका प्रबन्ध मैसर्स बिड़ला के हाथ में है को 3000 एकड़ भूमि दी जाये; जैसा कि 28 जून, 1967 को मैसूर विधान सभा में कहा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कम्पनी ने स्वामित्वाधिकार-पत्र लिए बिना ही इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की की गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) किसी भी संघीय मंत्री द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि अवैध रूप से किसी भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। यह ऐसा मामला है जिसका केन्द्रीय सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

फिल्म सेंसर बोर्ड के अधीन चल चित्र अनुसंधान केन्द्र

7322. **श्री श्री धरन :** **श्री अदिचन :**
श्री श्री निवास मिश्र : **श्री मंगलायुमाडोम :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड के अधीन एक चलचित्र अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) प्राक्कलन समिति (1967-68) ने अपनी हाल की रिपोर्ट में फिल्म सेंसर बोर्ड के अन्तर्गत एक अनुसन्धान एकक स्थापित करने का सुझाव दिया है। यह विचाराधीन है।

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक के पारपत्र (पासपोर्ट) का नवीकरण

7323. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक का पारपत्र तीन वर्ष के लिये नवीकरण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो आय-कर अदायगी प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना उन्हें यह पारपत्र क्यों जारी किया गया है ? और

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पासपोर्ट जारी करने से पहले आयकर अदा किये जाने के प्रमाण-पत्र लेने की जरूरत पड़ती हो।

फिल्म सेंसर बोर्ड में फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व

7324. **श्री थी धीरन :** **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री अदिचन : **श्री विश्वम्भरम :**
श्री थी निवास मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म सेंसर बोर्ड में फिल्म निर्माता संघ के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके कितने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो फिल्म सेंसर बोर्ड में फिल्म निर्माता संघ के प्रतिनिधियों की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) प्रथानुसार मिल्म सेंसर बोर्ड में फिल्म निर्माता संघ का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति की अवधि हाल में ही पूरी हुई है और उस स्थान को संघ के अन्य नामित प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने का प्रश्न विचाराधीन है। तोभा संघ के प्रतिनिधि के अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध निर्माता, जो संसद सदस्य भी हैं, बोर्ड के सदस्य हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश में) प्रतिरक्षा भूमि के पट्टे को नया करना

7325. **श्री रामचरण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 3 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 895 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अनुरोध पर जिला कलक्टर की सलाह तथा सिफारिश से भूमि का पट्टा भूतपूर्व पट्टेदार श्री अब्दुल सलीम के नाम किया गया था; और

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त भूमि के सौदे में उचित आधार पर वास्तविक लगान तय करने के लिये उनके मंत्रालय को कोई स्वतन्त्र अफसर अपना संगठन नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त भूमि में खेती करने के लिए एक अन्य व्यक्ति ने उसे 20,000 रुपये वार्षिक पर लेने का प्रस्ताव किया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि नीलाम द्वारा कृषि के लिये भूमि पट्टे देने की पहले की प्रणाली समाप्त करने की 1958 की नीति बिना वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के अपनाई गई थी ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि 13 अप्रैल, 1967 को बुलन्दशहर के जिला कलेक्टर ने उनके मंत्रालय की प्रार्थना पर दो वर्ष की अवधि के लिये पट्टा नया करने के हेतु उसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश की थी और यदि हां, तो इस पट्टे को उसी व्यक्ति के नाम पर नया करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०रा० भगत) : (क) जी नहीं। भूतपूर्व पट्टेदार श्री अब्दुल सालम के भूमि पट्टे का मिलीटरी एस्टेट अफसर ने स्वयं और उक्त विषय पर सरकार की नीति के अनुसार नवीकरण किया।

(ख) जी नहीं। सम्बन्धित राज्य में लागू राजस्व कानूनों के अन्तर्गत निर्धारित सिद्धान्तों पर और भूमि तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं को देखते हुए आस पास के क्षेत्र में लिये जाने वाले किराए के आधार पर स्थानीय कलेक्टर से परामर्श लेने के बाद मिलीटरी एस्टेट अफसरों द्वारा उचित किराया निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार जो किराया निर्धारित होगा वह निवल लान का एक चौथाई से अधिक तब तक न होगा जब तक कि सम्बन्धित राज्य में लागू कानून द्वारा निम्नतर सीमा निर्धारित न हो।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से ही यह नीति अपनाई गई।

(ङ) जी नहीं। जिला कलेक्टर, बुलन्दशहर ने पट्टे के नवीकरण के लिए भूतपूर्व पट्टेदार का नाम या अन्य किसी पार्टी के नाम की शिफारिश नहीं की है।

कर्मचारियों की वरिष्ठता सम्बन्धी नियम

7326. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने ऐसे अनुदेश जारी किये हैं कि सचिवालय सेवा में आने वाले कर्मचारी की वरिष्ठता उस दिन से गिनी जायेगी जिस दिन से वह उस सेवा में आया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न भारतीय दूतावासों से लाये गये उन कर्मचारियों की वरिष्ठता, जो मंत्रालय में रख लिये गये हैं, सम्बन्धित दूतावासों की सेवा में प्रविष्ट होने की तारीख से ली जाने के क्या कारण हैं ?

गैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विदेश सेवा (ख) में पदोन्नतियां

7327. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **गैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 और 1967 में भारतीय विदेश सेवा (ख) में अपर डिवीजन क्लर्कों से असिस्टेन्ट (नान सिलेक्शन ग्रेड) में पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी पदोन्नतियां वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भी की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

गैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, 1.6.64 से पहले।

(ग) 1.6.64 से लागू भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (भारती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) नियम, 1964 में विदेश में कार्यों के लिए विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए योग्यता के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था है।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग इन्स्टीटयूट, पिलानी में तैयार किये गये टेलीविजन सेट

7328. **श्री मेघचन्द्र** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिलानी स्थित सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीटयूट द्वारा तैयार किये गये टेलीविजन सैटों का पहला बैच परीक्षण करने पर खराब पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षण करने पर उसमें किन-किन खराबियों का पता लगा है;

(ग) इन खराबियों को दूर करने में कितना समय लगेगा ;

(घ) क्या टेलीविजन सैट तैयार करने में पाई गई इन खराबियों के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में सभी महानगरों में टेलीविजन लगाने की सरकार की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारतीय टी० वी० सेट त्रुटिपूर्ण नहीं पाए गए ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Mithila Radio Station at Darbhanga

7329. Shri Bhogendra Jha :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the provision for financial and other requirements are being made in the Fourth Five Year Plan to set up a Mithila Radio Station at Darbhanga during the Fourth Plan period ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) The Draft Fourth Five Year Plan for development of broadcasting, as approved by the Planning Commission, includes a provision of Rs. 33 lakhs with a foreign exchange component of Rs. 7.3 lakhs for setting up a radio station in the Darbhanga area. The implementation of the project will, however, be subject to the availability of resources and foreign exchange.

फिल्म स्टूडियो का बन्द होना

7330. श्री बाबूराव पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में बम्बई में स्थित कितने और कौन कौन से स्टूडियो बन्द हो गये हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि फिल्म व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि-मण्डल ने इनके बन्द होने के परिणामस्वरूप फिल्म उद्योग को होने वाली भारी हानि और असुविधा के बारे में सरकार को एक अवि-लम्बनीय अभ्यावेदन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने और फिल्म उद्योग की सहायता करने के लिए जो पहले ही अनेक अड़चनों का सामना कर रहा है, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : इण्डियन मोशन पिक्चर प्रोडयूसर्स एसोसिएशन द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, आशा स्टूडियो, चैमबुर,

बम्बई का एक मंच अगस्त, 1965 में बन्द हो गया था और श्रीकांत स्टूडियोज, चैमबुर, बम्बई के दो मंच सितम्बर, 1966 में बन्द हो गए थे। पूर्वोक्त मामले में, स्टूडियो को पर्याप्त काम नहीं मिल रहा था और उपरोक्त मामले में पट्टेदार को किराया न देने के कारण भूस्वामी द्वारा बेदखल करवा दिया गया था। इस स्टूडियो के ये दोनों मंच इस बीच दूसरी पार्टी द्वारा अधिग्रहण करवा लिये गये हैं और उनके लगभग तीन महीनों में स्टूडियो के रूप में चालू हो जाने की सम्भावना है।

(ग) प्रतिनिधि-मण्डल ने सरकार को करदार स्टूडियो के बन्द हो जाने के बारे में प्रतिवेदन दिया था जिसके बन्द हो जाने के परिणाम स्वरूप फिल्म उद्योग को हानि और और असुविधा होने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकी क्योंकि भू-स्वामी ने पट्टेदार के विरुद्ध दीवानी डिग्री हासिल की थी। भू-स्वामी को मनाने के परिणामस्वरूप, वह निर्माताओं को नई शर्तों पर पट्टेदार के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया था परन्तु निर्माता इन शर्तों को स्वीकार करना कठिन समझते हैं।

भारतीय राजदूत द्वारा प्रमाण पत्र हिन्दी में प्रस्तुत किया जाना

7331. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कितने भारतीय राजदूतों ने अपने प्रमाण-पत्र हिन्दी में प्रस्तुत किये;

(ख) क्या सरकार का राजदूतों को यह अनुदेश देने का विचार है कि भविष्य में उन्हें अपने प्रमाण पत्र हिन्दी में प्रस्तुत करने चाहिये;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बहुत से राजदूतों को हिन्दी बिल्कुल भी नहीं आती; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें हिन्दी का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहने का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु०क० चागला): (क) सितम्बर 1965 से ही हाई कमिश्नरों सहित तमाम भारतीय राजदूतों को प्रस्तुत करने के लिये हिन्दी में विश्वास-पत्र दिये जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) बहुत कम राजदूत ऐसे हैं जो हिन्दी नहीं जानते हैं। जब युवा अफसर, जिन्होंने हिन्दी में योग्यता प्राप्त कर ली है, यथासमय राजदूत के दर्जे पर पहुंचेंगे, तब तक यह आशा की जाती है कि तमाम मिशन प्रमुखों को कम से कम हिन्दी के न्यूनतम निर्धारित स्तर का ज्ञान होगा।

Disparity in Increments of Jawans and Civilian Employees

7332. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great disparity between the annual increments of Jawans, and civilians employed in the Army ;

(b) whether it is also a fact that a Jawan gets a rise of 50 paise annually;

(c) if so, the steps taken by Government to end such discrimination against the Jawans ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a)to(d) The pay structure of Army personnel below commissioned officer rank does not consist of simple time-scales of pay with periodical increments (as on the civil side) which alone will automatically accrue as length of service increases. In the case of Army personnel, increases are also given on advancement in classification and rank/appointment, besides good service pay for NCOs, the rates of which have recently been increased. Advancement in classification is made dependent on increase in skill as well as acquisition of educational qualifications which are judged through periodical tests. From a broader point of view this position is of benefit both to the State and to the individual. These factors are generally not applicable to civilian personnel. It may therefore not be appropriate to compare the range of annual increments of Jawans and civilians employed in the Army. Non-Commissioned Officers and Sepoys in the Army are entitled to increments of pay at the rate of Rs. 2.50 p. m. after every 5 years man's service subject to two such increments in the case of Non-Commissioned Officers and four such increments in the case of Sepoys. Naib-Subedars, Subedars and Non Combatants (Enrolled) are entitled to annual increments.

Resettlement Directorate

7333. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri O. P. Tyagi : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2886 on the 19th June, and state :

(a) the reasons for not vesting the Resettlement Directorate with powers to provide employment to ex-servicemen while Government are spending huge amount on the salaries of employees in the Directorate;

(b) whether any communication has been addressed to the Ministry concerned for this purpose in case such powers can be granted by that Ministry;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons, therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The function of the Resettlement Directorate is to sponsor candidates for employment against vacancies notified by other Departments of the Government of India, as done by the Employment Exchanges. The power to offer appointments vests in the appointing authorities prescribed under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules The question of vesting such powers in the Resettlement Directorate does not arise, as the appointing authority can only be the Department under which the post exists.

(b) to (d) Do not arise.

पूर्वी पाकिस्तान के मिजो लोग

7334. **श्री समर गुह :** वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र में साजेक नदी के निकट मिजो जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार अभी तक इस क्षेत्र का प्रयोग आसाम के मिजो लोगों को पूर्वी पाकिस्तान में प्रविष्ट कराने के लिये करती रही है ;

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान के ये मिजो लोग आसाम में मिजोलैण्ड के मिजो नेशनल फ्रंट को सहयोग देते रहे है;

(घ) क्या पूर्वी पाकिस्तान के ये मिजो लोग अब मांग कर रहे हैं कि (चिटगांग के) इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान से अलग किया जाये तथा आसाम में मिजो लोगों की मुख्य भूमि से मिलाया जाय; और

(ङ) क्या पूर्वी पाकिस्तान के मिजो लोगों की उस मांग के परिणामस्वरूप सरकार ने उनके विरुद्ध कठोर दमनचक्र आरम्भ कर रखा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) जी हां । कुछ सौ मीजो चटगांव पर्वतीय प्रदेश (जो साजेक पर बाहर को निकला हुआ है) की सारी पूर्वी सीमा पर फैले हैं ।

(ख) यह सच है कि पाकिस्तान का साथ लगने वाला प्रदेश मीजो विद्रोहियों के लिए बहुत अच्छा शरण-स्थल सिद्ध हुआ है जहां से कि वे बिना कोई नुकसान उठाए सीमा पार कर सकते हैं । यह विद्रोह शुरू होने के बाद मीजो राष्ट्रीय मोर्चे के बड़े-बड़े नेताओं ने जिनमें लालडेंगा भी शामिल है, पूर्व पाकिस्तान में शरण ली, जहां से मिजो राष्ट्रीय मोर्चे की गतिविधियों का संचालन किया और मीजो राष्ट्रीय मोर्चे के लिये हथियार और गोलाबारूद मुहैया किए ।

(ग) हमारे पास खासतौर पर इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान के मिजो राष्ट्रीय मोर्चे को सहयोग दे रहे हैं । लेकिन यह सच है कि मीजो विद्रोहियों को प्रशिक्षण, हथियार और गोला-बारूद आदि के रूप में सहायता मिलती रही है, स्पष्टतः पाकिस्तान सरकार की जानकारी से ।

(घ) और (ङ) हमारे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

उड़ीसा की एक फर्म द्वारा युगोस्लाविया में निर्मित ट्रैक्टरों का आयात

7335. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री स० कुण्डू : **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
श्री सेक्कीरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उड़ीसा की एक फर्म ने युगोस्लाविया में बने हुए कुछ ट्रैक्टर खरीदने का प्रस्ताव करके 25 लाख रुपये की राशि का गबन किया था, जिसमें 90 प्रतिशत मूल्य के क्रयादेश उड़ीसा सरकार ने दिये थे, और वह राशि उड़ीसा सरकार द्वारा उस कम्पनी को दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा विधान सभा में लगाये गये इन आरोपों की ओर भी दिलाया गया है कि इसमें किसी केन्द्रीय मंत्री का पूरा हाथ था ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले के बारे में उड़ीसा सरकार से रिपोर्ट मांगी है और यदि कोई रिपोर्ट आ चुकी है, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या युगोस्लाविया की फर्म ने करार भंग किये जाने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई प्रतिवेदन या शिकायत इस मामले में प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है। उड़ीसा सरकार से पूछताछ करने पर उसने सूचना दी है कि जुलाई, 1966 में राज्य सरकार द्वारा एक पक्ष को 24.90 लाख रु० (लगभग) की पेशगी दी जानी थी यह पेशगी युगोस्लाविया के उन 122 ट्रैक्टरों के मूल्य का 90 प्रतिशत थी जो कि इस फर्म द्वारा सप्लाई किये जाने थे। इस समय इस सौदे की तथा कथित दुर्विनियोग की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) 6 जूलाई को उड़ीसा विधान सभा में श्री गंगाधर पकराया, विधान सभा सदस्य द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि इस सौदे से कुछ केन्द्रीय मंत्रियों का सम्बन्ध था। बाद में उन्होंने कहा कि एक नाम का उल्लेख उन्होंने गल्ती से कर दिया था। राज्य सरकार ने बताया है कि उस सौदे के बारे में जांच अभी चल रही है।

(घ) यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है। जांच के बाद क्या कार्यवाही की जाय इसका फैसला उसको ही करना है।

विदेश सचिव की मास्को की यात्रा

7336. **श्री बलराज मधोक :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश सचिव 7 और 8 जुलाई 1967 को मास्को गये थे और रूसी प्रधान मन्त्री श्री कोसीगिन से मिले थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) विदेश सचिव ने सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, श्री ए० एन० कोसीजिन को अपनी प्रधान मन्त्री की ओर से एक पत्र दिया था। विदेश सचिव ने श्री कोसीजिन के साथ आपसी हित-चिंता के कुछ प्रश्नों पर भी विचार विमर्श किया।

भारत अर्थ मूवर्स द्वारा आयात

7337. **श्री कृष्णन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अर्थ मूवर्स द्वारा बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों, बुल डोजरों और क्रालरों के कितने पुर्जों का कितनी मात्रा में आयात किया जाता है; और

(ख) क्या यह सच है कि ट्रैक्टर और क्रालर बनाने के लिये एक गैर-सरकारी उपक्रम को लाइसेंस जारी किया गया है, जिससे भारत अर्थ मूवर्स को नुकसान होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) शायद क्रालर ट्रैक्टरों से अभिप्राय है जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के निर्माण कार्यक्रम में शामिल हैं। कोलार में इस संस्था की ट्रैक्टर फैक्टरी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन नियमित निर्माण की प्रत्याशा में चालू वर्ष से ही धीरे धीरे बढ़ते हुए देशी हिस्से पुर्जों से क्रालर ट्रैक्टरों का संयोजन कार्य उपलब्ध सुविधाओं से आरम्भ किया गया है। इस समय भारत अर्थ मूवर्स के उत्पादन कार्यक्रम में केवल दो प्रकार के ही क्रालर ट्रैक्टर नामत. डी-80 (165 अश्व शक्ति) और डी–120 (235 अश्व शक्ति) शामिल हैं। चालू वर्ष के संयोजन कार्यक्रम में डी–80 ट्रैक्टरों में औसतन विदेशी हिस्से पुर्जे लगभग 65 प्रतिशत होंगे जबकि डी–120 में वे लगभग 70 प्रतिशत होंगे।

(ख) निजी क्षेत्र में एक और संस्था को उतने ही प्रकार के क्रालर ट्रैक्टरों को बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया, लेकिन ऐसा अनुमानित आवश्यकता को तथा विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के लिए विविध संस्थाओं की क्षमता को ध्यान में रख कर ही किया गया।

अमरीका में बस रहे तिब्बती शरणार्थी

7338. **श्री मरंडी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ तिब्बती शरणार्थी स्थायी रूप से बसने के लिये अमरीका चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका में उनको बसाये जाने के लिये अमरीका सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) क्या तिब्बती लोग अन्य देशों को भी जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें विदेशों में बसने की अनुमति दे रही हैं; और

(ङ) क्या उन तिब्बतियों के बारे में सरकार कोई जिम्मेदारी लेती है, जो भारत से बाहर बस रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जहां तक सरकार को जानकारी है, इस तरह की बात नहीं है। हां कुछ लोग अस्थायी तौर पर पढ़ने या पढ़ाने के लिए वहां गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं ।

Nuclear Power Plants

7339. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the **Prime Minister** be pleased to state ;

(a) whether Government propose to purchase more Canadian Candu type nuclear power plants ; and

(b) if so, from whom and the estimated cost thereof ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Indira Gandhi) : (a) Candu type power station has not so far been purchased by Government, nor is there a proposal to do so.

(b) Does not arise.

अमरीकी इलैक्ट्रानिक जैमर "लिबर्टी"

7340. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम एशिया से मिलने वाले इस आशय के समाचारों की जानकारी है कि अमरीकी इलक्ट्रानिक जैमर "लिबर्टी" ने रोकेट छोड़ने वाले यंत्रों, रडार तथा अन्य इलैक्ट्रानिक संचार यन्त्रों को जाम करके इसराईल द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य पर आक्रमण में सहायता दी थी और इस प्रकार संयुक्त अरब गणराज्य की सेना के संचार सम्पर्क को भंग करके उसकी हार कराई ;

(ख) इन समाचारों की सच्चाई का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या पाकिस्तान के पास भी ऐसे इलैक्ट्रानिक "जैमर" हैं, और

(च) पाकिस्तान के साथ युद्ध होने पर हमारी संचार व्यवस्था को भंग करने के उसके प्रयास को विफल करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है कि अमरीकी जहाज "लिबर्टी" ने हाल ही के अरब इजराइली संघर्ष के दौरान इजिप्ट के रेडार और बेतार संचार व्यवस्था को जाम कर दिया था ।

(ख) से (घ) विभिन्न स्त्रोतों से सूचना एकत्रित करके चीफ आफ स्टाफ द्वारा पश्चिम एशिया में हाल के संघर्षों सहित सैनिक अभिरूचि की घटनाओं का सामान्य तौर पर विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है । ऐसे मामलों में उनके निष्कर्षों को बताना या पाकिस्तान द्वारा संचार व्यवस्थाएं जाम करने के यन्त्रों को रखने के सम्बन्ध में और उसके

विरुद्ध उस संदर्भ में जो कदम हमने उठाए हैं उनकी सरकारी सूचना प्रकट करना जनहित में उचित न होगा ।

A. I. R. Station, Calcutta

7341. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that programmes broadcast by the A. I. R. Calcutta cannot be heard in Naxalbari ;

(b) whether it is due to some defect in the equipment or due to any other causes ;

(c) whether Government propose to rectify the defect soon and take other remedial steps ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) if so, when ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No Sir. Programmes brodcast directly from A. I. R. Calcutta are outside the primary service of the medium wave transmitter on account of the approximately 300 miles distance, but the programmes of Calcutta. A channel which are repeated by the medium wave transmitter at Siliguri can be heard well in Naxelbari. The programme broadcast on the shortwave transmitter at Calcutta can also be heard fairly well at Naxalbari.

(b) to (e) Do not arise.

मई दिवस के प्रसारण के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को प्रधान मन्त्री का उत्तर

7342. श्री अ० क० गोपालन :
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री नायनार :
श्री भगवान दास :
श्री रमानी :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल विधान परिषद् में पश्चिमी बंगाल के श्रम मन्त्री द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मई दिवस के प्रसारण के बारे में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा भेजे गये पत्र का उत्तर प्रधान मन्त्री ने नहीं दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बीच उत्तर भेज दिया गया है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) प्रधान मन्त्री ने 5 जुलाई, 1967 को मुख्य मन्त्री को उत्तर भेजा था ।

कीनिया, उगाण्डा तथा तांगानीका के राष्ट्रपतियों को निमंत्रण

7343. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के तीन देशों, अर्थात कीनिया, उगाण्डा तथा तांगानीका के राष्ट्रपतियों को सरकार ने भूतकाल में अथवा भविषय में भारत आने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) इन तीनों देशों में रहने वाले भारतीय लोगों की बड़ी संख्या का ध्यान में रखते हुए क्या इन अफ्रीकी देशों की सरकार के साथ सरकार ने राजनयिक सम्बन्धों के अतिरिक्त भारत का अन्य प्रकार से कोई निकट का सम्बन्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) राष्ट्रपति ओबोटे पिछली बार 1965 में यहां आए थे और सम्भव है कि तंजानिया के राष्ट्रपति डा० नायरेरे 1968 के आरम्भ में भारत आए। कीनिया के राष्ट्रपति, जोमो केनियाटा को भारत की राजकीय यात्रा पर आने का बहुत दिनों से निमंत्रण दिया हुआ है ; वे आ नहीं सके हैं लेकिन उन्होंने कई बार यह संकेत दिया है कि मौका मिलते ही वे यहां आयेंगे।

(ख) और (ग) भारत उन बहुत थोड़े से देशों में से है जिनके प्रतिनिधि कीनिया, उगांडा, तांगनिका और जंजीवार के स्वाधीन होने से पहले ही पूर्व अफ्रीकी प्रदेशों में थे। ऐतिहासिक कारणों से और इन स्थानों पर काफी संख्या में भारतीय लोग होने की वजह से इन देशों के साथ हमारे सदा ही बड़े निकट के सम्बन्ध रहे हैं। इन ब्रिटिश उपनिवेशों और संरक्षित प्रदेशों को आजाद कराने के लिये दबाव डालने में भारत वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उनके लिये हमारे मन में जो चिन्ता थी उसकी और अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए भारत संघर्ष से उन्हें जो प्रेरणा मिली उसकी इन देशों के नेताओं ने सराहना की है।

स्वाधीनता के बाद भारत ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में इन देशों के साथ मिलकर कार्य किया है। अनेक क्षेत्रों में लाभदायक सहयोग रहा है। पूर्व अफ्रीकी देशों के बहुत से विद्वान प्रतिवर्ष हमारे विश्वविद्यालयों में ऊंचे अध्ययन के लिए आते हैं और बहुत से तकनीकी प्रशिक्षण लेते हैं। हमारी सैनिक अकादमियों में भी बहुत से कैडेट हैं। भारतीय अध्यापक और औद्योगिक तथा सहकार क्षेत्र के अन्य व्यावसायिक कर्मचारी हाल के वर्षों में इन देशों को भेजे गये हैं और सम्मिलित उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं को भी बराबर पता लगाया जा रहा है।

बर्लिन चलचित्र समारोह में '' अनुपमा.' नामक हिन्दी रूपक चलचित्र

7344. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "अनुपमा" नामक हिन्दी रूपक चलचित्र के निर्माता इस चलचित्र को हाल ही में हुए बर्लिन चलचित्र समारोह में नहीं ले जा सके, क्योंकि उनको सरकार ने इसकी सूचना बहुत देर से दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब का कारण क्या था और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) बर्लिन में 23 जून से 4 जुलाई, 1967 तक मनाये गये अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रविष्टि के लिये चुनी गई तीन फीचर फिल्मों में 'अनुपमा' फिल्म भी थी। इस फिल्म की प्रविष्टि सम्बन्ध में निर्माता तथा हमारे काउंसल जनरल के द्वारा बर्लिन समारोह के अधिकारियों को 12 मई 1967 को तार द्वारा सूचना दे दी गई थी जबकि प्रविष्ट की अन्तिम तारीख 15 मई, 1967 थी। इस फिल्म के निर्माताओं ने 15 मई, 1967 को इस मन्त्रालय को तार द्वारा सूचित किया कि वे फिल्म की प्रविष्टि में दिलचस्पी नहीं रखते । तो भी, 16 मई, 1967 को उन्होंने यह तार भेजा कि फिल्म की प्रविष्टि में इच्छा रखते हैं। इस मन्त्रालय ने 16 मई, 1967 को निर्माताओं को तार द्वारा सूचित किया कि उनको प्रविष्टि फार्म 20 मई तक बर्लिन भेज देना चाहिए। उन्होंने 16 मई, 1967 को तार द्वारा यह बताया कि प्रविष्टि फार्म भेजा जा रहा है, परन्तु 18 मई, 1967 के एक अन्य तार में उन्होंने कहा कि प्रविष्ट को रद्द समझा जाये। बाद में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के एक अधिकारी द्वारा बम्बई में उनके खुद सम्पर्क स्थापित किया गया और इसके परिणामस्वरूप निर्माताओं ने फिल्म को बर्लिन भेजना स्वीकार कर लिया। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, फिल्म का प्रिन्ट बर्लिन में 2 या 3 जून, 1967 को या इसके आसपास पहुंचा। इसको प्रारम्भिक चुनाव समिति ने देखा परन्तु उन्होंने उसको स्वीकृत करने योग्य नहीं पाया। प्रारम्भिक चुनाव समिति का बर्लिन में 21 मई से 8 जून, दोनों दिन मिलाकर, अधिवेशन रहा।

भारत के अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने की सारी प्रकिया पर अभी हाल में ही रिव्यू किया गया। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार फिल्मों का चुनाव उन फिल्मों में से किया जायेगा जिनके नामों को फिल्म निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हित, फिल्म सेन्सरशिप, समालोचक तथा सरकारी संगठन आदि प्रस्तावित करेंगे। प्रविष्टियां एक स्थायी चुनाव समिति द्वारा वेट की जायेंगी। यह समिति वर्ष के आरम्भ से ही प्रस्ताव आमन्त्रित करना शुरू कर देगी और उनकी जांच करेगी ताकि जहां आवश्यक हो, निर्माता को पुनर सम्पादन आदि के लिये पर्याप्त समय दिया जा सके। स्थायी समिति विशेषज्ञ दलों की सहायता से, विभिन्न समारोहों के लिए प्रतिनिधि-मण्डलों तथा जुरियों के सम्बन्ध में भी सिफारिश करेगी।

भारतीय चलचित्र संस्था के डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति

7345. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चलचित्र संस्था स्थापित होने की तिथि से प्रति वर्ष कितने व्यक्ति उस संस्था से डिप्लोमा प्राप्त करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : फिल्म इन्स्टीटयूट की स्थापना 1961 में हुई थी, तब से जो विद्यार्थी वहां से पास हो कर निकले हैं उनकी संख्या इस प्रकार हैं :–

1963	—	21
1964	—	42
1965	—	56
1966	—	53

आकाशवाणी के टेलीविजन यूनिट में अप्रशिक्षित व्यक्ति

7346. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि भारतीय चलचित्र संस्था (पूना) से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध हैं किन्तु फिर भी आकाशवाणी के विभिन्न टेलिविजन यूनिटों में बहुत से अप्रशिक्षित व्यक्ति काम कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को अवसर न दिये जाने का क्या कारण हैं जबकि सरकार उनके प्रशिक्षण पर बहुत धन खर्च करती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं, परन्तु फिल्म संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त अधिक से अधिक व्यक्तियों के लेने की संभावना पर विचार करने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक शिक्षा दल (आर्मी एजुकेशन कोर)

7347. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में सैनिक शिक्षा दल (आर्मी एजुकेशन कोर) ने समूचे देश के सैनिक एककों के प्रयोगार्थ एटलसों, मानचित्रों, ग्लोबों और रेखाचित्रों (चार्टों) जैसी प्रशिक्षण सहायता वस्तुओं को बड़े पैमाने पर खरीदा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या खरीदी गई वस्तुओं में सर्वे आफ इण्डिया द्वारा तैयार और संकलित की गई स्कूल ऐटलसें भी शामिल है ?

(ग) यदि हां, तो विक्रेताओं को कितना मूल्य दिया गया था तथा सर्वे आफ इंडिया की एटलसों का घोषित मूल्य कितना है ; और

(घ) बड़े पैमाने पर वस्तुयें खरीदने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा क्या उसके लिये टेंडर मांगे गये थे ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) (1) विक्रेताओं को दिया गया मूल्य–
एक प्रति 5 रुपये में और उसमें 10 प्रतिशत की रियायत।

(2) सर्वे आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मूल्य–
एक प्रति 5 रुपये में

(घ) अफसरों की एक समिति द्वारा जांच करने के बाद सामग्री चुनी गई थी। शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशनों को खरीदने के लिए टेंडर आमन्त्रित नहीं किए जाते।

Land for Jawans in Rajasthan

7348. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Defence be pleased to state ;

(a) whether all the Ex-military officers and Jawans in Rajasthan have been allotted land ;

(b) If not, the number of persons on the waiting list and the reasons for not giving land to them;

(c) whether any complaint has been received that the land shown to them for the purpose of allotment is uneven and cannot be levelled ; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d) The Rajasthan Government have been requested to furnish the required information. It will be place on the Table of the House as soon as soon as it is made available.

पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारी

7349. **श्री आत्मदास :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनके स्थान पर काम करने के लिए नियुक्त किये गये कर्मचारी पेकिंग जाना नहीं चाहते ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी नहीं।

Jews in India

7350. **Shri Atam Das** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of Jews in India ;

(b) the number of those who have already gone to Israel and the number of those who have approached Government for proceeding to Israel ;

(c) their attitude towards India after Arab-Israeli conflict; and

(d) if their attitude is hostile towards India, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Since statistics regarding the population of India by religions are not maintained by the Government, it is not possible to indicate the total number of Jews who reside in India at present. However, according to the 1961 census there were there 18,553 Jews in India.

(b) Records about the emigration of Indians to foreign countries on the basis of their religion are not maintained by the Government.

(c) and (d) Government have not received any adverse reports about the attitude of Indian Jews towards India after the Arab-Israeli conflict. The Jews of India are full fledged citizens and the Government has no reason to doubt their complete loyalty to India.

प्रतिरक्षा संगठनों में विदेशी प्रशिक्षणार्थी

7351. **श्री वेदव्रत बरूआ :**
श्री य० आ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री रां० रा० सिंह देव :
श्री दे० आमात :

क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी लोग भारतीय प्रतिरक्षा संगठनों में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन देशों के हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 155।

(ख) अगोला, आस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, घाना, ईराक, मल्येशया, नेपाल, नाईजेरिया, तनजानिया, यू० के०, यू० एस० ए० और यमन।

आण्विक हथियारों के फैलाव को रोकने के सम्बन्ध में ब्रिटेन के साथ परामर्श

7352. **श्री नंजा गोडर :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आण्विक हथियारों के फैलाव को रोकने की समस्या के बारे में ब्रिटिश सरकार से कोई परामर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) सलाह-मशविरे से एक दूसरे के विचारों को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सका है।

पाकिस्तान का विरोध-पत्र

7353. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जे० एच० पटेल : **श्री मधु लिमये :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जुलाई, 1967 का पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग को कोई विरोध-पत्र दिया गया था ;

(ख) इस में क्या-क्या मुख्य बातें लिखी हुई हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान को उसके 4 जुलाई, 1967 के विरोध पत्र का उत्तर भेज दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) इस विरोध-पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1263/67]

(ग) से (ङ) पाकिस्तान सरकार के इस विरोध-पत्र के जवाब पर विचार किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

त्रिशुली जल-विद्युत परियोजना

7354. **श्री प० गोपालन :** **श्री रमानी :**
श्री ज्योतिमय बसु : **श्री उमानाथ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में त्रिशूली जल विद्युत परियोजना में कुशल कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले भारतीय राष्ट्रजनों को स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ जैसे विदेश भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, शीतऋतु भत्ता आदि नहीं दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कुशल कर्मचारियों को भी ये लाभ देने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) त्रिशुली पनबिजली योजना के लिए कुशल कामगरों सहित जो कुछ भारतीय राष्ट्रिक भरती किए गये हैं, उन्हें 'वर्क चार्ज्ड स्टाफ' कहते हैं और उनपर अलग शर्तें लागू हैं होती हैं। वे नियमित सिब्बंदों पर नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भारत में स्थायी सिविल नौकरों को भरती को मूलभूत शर्तें स्थानीय रूप से नियुक्त अस्थायी 'वर्क चार्ज्ड स्टाफ' की भरती की शर्तों से प्रवृति और गुण में भिन्न होती हैं। लेकिन बाद की श्रेणी के नोकरों को मिलने वाले लाभों में, जैसे छंटनी उपदान (ग्रेचूटी) कुछ सुधार करने पर सम्बद्ध सरकारी विभाग में विचार किया जा रहा है। 'वर्क चार्ज्ड स्टाफ' को कुछ प्रोत्साहन देने की गरज से आजकल उन्हें मंहगाई भत्ता, नेपाल पूरक भत्ता दिया जाता है और उन्हें विदेश मुद्रा पूरक भत्ता भी दिया जाता है ताकि 6 जून 1966 को भारतीय रुपये के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप नेपाल में उनके कुल वेतन में होने वाले किसी घाटे को पूरा किया जा सके।

Weather Bulletins Broadcast from Radio Stations in Madhya Pradesh

7355. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whather it is a fact that the weather bulletins broadcast from all the Radio Stations in Madhya Pradesh give information regarding the weather conditions in Madhya Pradesh as a whole and not Division-wise;

(b) whether it is also a fact that there are Radio Stations in many Divisions of Madhya Pradesh; and

(c) if so, whether Government propose to issue orders to the effect that detailed weather bulletins regarding weather conditions in a particular Division or in the areas roundabout should be broadcast by each Radio Station in Madhya Pradesh ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah) : (a) and (b) Madhya Pradesh which is administratively split up into seven divisions is served by five radio stations viz., Bhopal, Indore, Raipur, Gwalier and Jubbalpur. The first two are programme originating centres and the remaining three are relaying centres. Bhopal broadcasts a weather bulletin at 2 P. M. every day. This gives the weather bulletin for Bhopal region. At 10.40 P. M. daily a region-wise weather bulletin is broadcast from Bhopal.

(c) No, Sir. Keeping in view the fact that Bhopal-Indore Stations have a common programme and the AIR Centres at Gwalier, Jabalpur and Raipur do not originate any programme, the Director General of Observatories did not suggest any change in the existing pattern of broadcasting weather bulletins in regard to the AIR Stations in Madhya Pradesh.

Sainik School in Madhya Pradesh

7356. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Defence be pleased to state the number of boys of the Sainik School in Madhya Pradesh selected for admission into the National Defence Academy from the date of opening of the said school uptil now as compared to the other Sainik Schools in the country, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Defenec (Shri B. R. Bhagat) : The attention of the honourable Member is drawn to Col. 3 of the reply given in the Lok Sabha to Unstarred Question No. 2161, dated the 12th June 1967 tabled by Shri Chintamani Panigrahi.

Manufacture of Radio Sets

7357. **Shri D.S. Patil :** **Shri Tukaram Gavit :**
Shri B.R. Kavade : **Shri Sonavane :**

Will the Minister of Defence be pleased to state the annual target fixed for manufacturing radio sets in the country in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : The traget fixed for the manufacture of radio sets in the country for the last year of the Fourth Five Year Plan is 3.6 million sets. This will be about three times the annual production during the First Year of the Fourth Plan.

नागालैंड

7358. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री हर दयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड राज्य-क्षेत्र का क्षेत्र-फल तथा जनसंख्या कितनी है ;

(ख) उस क्षेत्र में विद्रोही नागाओं तथा देशभक्त नागाओं की जनसंख्या क्रमश कितनी कितनी है ;

(ग) विद्रोही नागा कब से गड़बड़ पैदा कर रहे हैं ; और

(घ) क्या विद्रोही नागाओं ने गड़बड़ आरम्भ करने से पहले कोई मांग की थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 1961 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य का क्षेत्रफल 6366 वर्ग मील है और वहां की जनसंख्या 3,69,200 है ।

(ख) नागालैंड के बहुसंख्यक लोग क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं और वे उन उग्रवादी छिपे नागाओं के खिलाफ हैं जो फिर से लड़ाई शुरू करना चाहते हैं ।

(ग) और (घ) छिपे नागाओं के उग्रवादी वर्ग ने 1954 में उस समय हिंसा आरंभ की जब उन्हें यह स्पष्ट होगया कि उनकी 'स्वाधीन और प्रभुसत्तात्मक नागालैंड' की गैर-मुनासिब और अवास्तविक मांग को सरकार नहीं मान सकती ।

पेरिय द्वीप का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

7359. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटिश विदेश मंत्री द्वारा दक्षिण अरब क्षेत्र को स्वतन्त्रता देने के बाद दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि लाल सागर के प्रवेश स्थान पर स्थित पेरिय द्वीप का अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया जाये ;

(ख) पेरिम पर विरोधी शक्ति का कब्जा हो जाने से क्या इडन की खाड़ी से लाल सागर को स्वतन्त्रता पूर्वक तथा शांतिपूर्वक जाने के लिये खतरा उत्पन्न हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो पेरिम को तिरान की खाड़ी की तरह तनावपूर्ण स्थान बनने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार ने ब्रिटिश सरकार की पेरिम द्वीप का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की इच्छा पर ध्यान दिया है ।

(ख) पेरिम के भविष्य में भारत सरकार की दिलचस्पी है।

(ग) सरकार घटनाओं पर निगाह रख रही है ।

शिक्षा संस्थाओं के लिये टेली विजन सेट

7360. **श्री आत्म दास** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में टेलीविजन लोकप्रिय होता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अन्य नगरों में शिक्षा में टेलीविजन सेट लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : जी, हां ।

(ख) जी, नहीं। टेली विज़न फ़िलहाल दिल्ली के लिए सीमित हैं। देश के अन्य नगरों की शैक्षणिक संस्थानों में टेली विजन तब ही लगाए जा सकते हैं जब देश के अन्य भागों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की योजना कार्यान्वित हो जाएगी ।

श्रीलंका स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त द्वारा कही गयी बातें

7361. **श्री नंजा गौडर** :
श्री हेप बरुआ :
श्री रवि राय :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्रीलंका स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त द्वारा, 12 जुलाई, 1967 को कोलम्बो में एक प्रेस सम्मेलन में कही गई बात के बारे में श्रीलंका में बड़ी ज़ोरदार आलोचना हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) यह टिप्पणी संवाददाता सम्मेलन में नहीं की गई थी बल्कि एक खास संवाददाता से अलग से की गई थी। सिर्फ एक-दो अखबारों ने ही इस पर विपरीत टिप्पणी लिखी थी।

(ख) यह टिप्पणी अलग से साधारण तौर पर की गई थी। श्रीलंका के साथ हमारे निकट मित्रता के संबंध है और हम एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और श्रीलंका सरकार ने इस टिप्पणी को गलत नहीं समझा है और न इसे हमारे साथ उठाया है।

Suicide by an Atomic Scientist

7362. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scientist named, Shri Ravi Kumar Sharma of Bhabha Atomic Research Station, Trombay, committed suicide by taking poison recently;

(b) whether any enquiry has been held to ascertain the reasons for his suicide;

(c) if so, the result thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The matter is at present in the Coroners's Court and his verdict is awaited.

आर्मी रिजर्विस्ट्स

7363. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्मी के ऐसे रिजर्विस्टों को जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी होते हैं जब आपातकाल के समय बुलाया जाता है तो उन्हें निशुल्क राशन नहीं दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब वे सैनिक ड्यूटी पर जाते है और उन्हें असैनिक वेतन मिलता है तो उन्हें असैनिक कर्मचारियों को राशन के लिये मिलने वाला 20 रुपये मासिक भत्ता नहीं दिया जाता है, बल्कि उन के वेतन से राशन के लिये 25 रुपये माहवार काट लिये जाते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब रिजर्विस्ट को आपातकाल में ड्यूटी के लिये बुलाया जाता है तो उसे नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता नहीं दिये जाते हैं ; हालांकि उसका परिवार उसके काम करने के स्थान दिल्ली नई दिल्ली में रहता है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार रिजर्विस्ट को जब आपातकाल की ड्यूटी पर बुलाया जाता है बराबरी और न्याय की दृष्टि से प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता देने और 25 रुपये महीने की कटौती बन्द करने का है ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अन्य सभी सेना कार्मिकों की तरह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो रिजर्विस्ट हैं,आपातकाली स्थिति के दौरान सक्रिय सेवा में बुलाए जाने पर मुफ्त राशन दिया जाता है, ऐसे कर्मचारियों में मामले में, जिन्हें सिविल दर पर वेतन और भत्ता दिया जाता है, क्योंकि ये दरें सैनिक दरों पर मिलने वाले वेतन और भत्तों की अपेक्षा उनके अधिक अनुकूल हैं, उन्हें मुफ्त राशन देने के लिए उनके सिविल वेतन और भत्तों से 25 रुपये प्रतिमाह काटा जाता हैं।

(ख) सक्रिय सेवा में बुलाए जाने पर (चाहे वे सिविल सरकारी कर्मचारी हों या नहीं) सेना के रिजर्विस्टों को मिलने वाली प्रतिधारण फीस की अदायगी बन्द हो जाती है, क्योंकि सक्रिय सेवा में वे वेतन और भत्ता पाने के पात्र हो जाते हैं। उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में जैसा कि बताया गया है, केवल ऐसे कर्मचारियों के मामले में राशन के लिए 25 रुपये प्रतिमाह काटे जाते हैं जिन्हें कि सिविल दर पर वेतन और भत्ता दिया जाता है ।

(ग) अन्य सेना कार्मिकों की तरह सक्रिय सेवा में बुलाये गए रिजर्विस्टों को क्वार्टर की जगह में प्रतिकर (जहां यह प्राप्य है) और सभी स्थानीय तथा प्रतिकर भत्ते उनके तैनात किए जाने वाली जगहों के संदर्भ में, न कि उनके परिवारों के रहने वाले स्थानों के संदर्भ में, दिए जाते हैं ।

(घ) (क) से (ग) भाग के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखते हुए वर्तमान नियमों को बदलने का प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीयों की पाकिस्तान यात्रा

7364. श्री देवकीनन्दन पाटौदिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार भारतीयों को पाकिस्तान में अपने व्यापार के सम्बन्ध में पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं देती है ;

(ख) क्या 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद भारतीयों को पाकिस्तान जाने के लिये वीजा देने पर पाकिस्तान ने कुछ नये प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ; और

(ग) इस समय भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार द्वारा किन श्रेणीयों के भारतीयों को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जाती है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) 1965 के भारत-पाक संघर्ष से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा के लिए वीज़ा भारत-पाक

पासपोर्ट और वीज़ा योजना के अनुसार दिया जाता था। संघर्ष के समय, लड़ाई के कारण पड़ताल-चौकियां बंद कर दी गई और दोनों देशों के बीच सामान्य आवागमन बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन, ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद स्थिति बदली और पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान जाने वाले भारतीय नागरिकों को वीज़ा देना पुनः आरम्भ कर दिया। जहां तक भारत सरकार को मालूम है, पाकिस्तान सरकार भारतीय राष्ट्रकों को बहुत ही सीमित आधार पर वीज़ा दे रही है और रिश्तेदारों आदि को देखने के लिए अथवा किन्हीं आपाती मामलों में सिर्फ़ थोड़े समय के वीज़ा ही दिए जा रहे हैं। किसी भारतीय को पाकिस्तान में अपने व्यापार के सिलसिले में कभी-कभी ही वीज़ा दिया जाता है।

भारत सरकार सभी वर्गों के भारतीयों को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे रही है, सिर्फ़ उन मामलों को छोड़कर जिन्हें 1967 के पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 उप धारा 2 के अंतर्गत बताए गए कारणों से पासपोर्ट देना सम्भव नहीं होता।

News Broadcasts about U.P. High School Examinations

7365. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Gunanand Thakur
Shri Raghuvir Singh Shastri
Shri Sheopujan Shastri
Shri Ramacharan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a news was broadcast in the evening and night news bulletins from A. I. R. on the 5th July, 1967 that the students failing only in English in the High School and Intermediate Examinations held this year in U. P. would be declared as passed;

(b) if so, whether it is also a fact that this news was contradicted by the A. I. R. the next day;

(c) if so, whether news are broadcast from A. I. R. without ascertaining their veracity; and

(d) if not, the reasons for broadcasting the said contradictory news from A. I. R. ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shari K. K. Shah): (a) to (d), Yes, Sir. The news item referred to in the question was based on a news agency despatch and was broadcast on July 5. The news agency despatch was contradicted by the Minister concerned in the U. P. Assembly next day and the contradiction was also carried prominently in A. I. R. bulletins. The news agency despatch seemed so categoric that there was prima facie no need to verify its correctness.

मूल्यों सम्बन्धी आंकड़े

7366. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कीमतों, जीवन निर्वाह व्यय धन के रूप में मजूरी, वास्तविक मजूरी, श्रमिकों की उपादकता की

दर, कृषि तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्र में पूंजी विनियोजन की दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर तथा एक निश्चित वर्ष तथा 1951, जब से प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ की गई है। आधार वर्ष मान कर तब से बचने की दर के आंकड़ों के बारे में एक समन्वित तथा समेकित दृष्टिकोण अपनाये जाने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन रुपये के अवमूल्यन से पूर्व तथा बाद में उपरोक्त बातों के सम्बन्ध में विदेशी सूचकांकों के साथ एकरूपता बनाये रखने में कहां तक सफल रही है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन अपनी स्थापना के समय 1951 से ही निरन्तर समन्वित एवं समेकित रूप से आंकड़ा संग्रह का कार्य कर रहा है। कीमतों, निर्वाह-व्यय, मजदूरी तथा राष्ट्रीय आय जैसे विषयों से सम्बन्ध अधिकांश आर्थिक आंकड़े, जो सहकारी अभिकरणों द्वारा संकलित किये जाते हैं 1951 से ही उपलब्ध हैं। फिर भी अवमूल्यन के बाद की अवधि में सांख्यिकीय अन्वेषणों को नवीन रूप से चलाने में पर्याप्त समय तथास्थायित्व की आवश्यकता है।

(घ) सभी देश अपने सूचकांक अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग आधार वर्षों के सहारे संकलित करते हैं। इसलिए भारत तथा अन्य देशों के बीच इस क्षेत्र में एकरूपता बनाये रखना संभव नहीं है।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं में महिलायें

7367. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सशस्त्र सेनाओं में कितनी महिलायें काम करती हैं ;

(ख) वे किन पदों तथा किन किन डिवीजनों में काम कर रही हैं ;

(ग) भारत में कितनी महिला विमान चालक हैं ; और

(च) चौथी योजना अवधि में सशस्त्र सेनाओं में कितनी महिलायें भर्ती करने का विचार है?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) महिलाएं सशस्त्र सेना मेडिकल सेवाओं में, दन्तचिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं सहित, नियुक्त किए जाने के पात्र हैं। इस समय काम करने वाली महिलाओं की संख्या इस प्रकार हैं :—

(1) आर्मी मेडिकल कोर (लेफ्टि० से लेफ्टि० कर्नल और नौसेना तथा वायु सेना में उनके समकक्ष औहदे में) 204

(2) आर्मी डेन्टल कोर (लेफ्टि० और कैप्टन के ओहदे में) 7

(3) मिलीटरी नर्सिंग सर्विस (लेफ्टि० से ब्रिगेडियर तक के ओहदे में) 1358

(ग) भारतीय वायु सेना में कोई महिला पाइलट नहीं है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ए एम सी/ए डी सी/एम एन सी में डाक्टरों और नर्सों की भर्ती के लिए कोई निर्धारित कोटा नियत नहीं है। भर्ती की जाने वाली महिलाओं की संख्या उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धि पर निर्भर होती है, सशस्त्र सेना मेडिकल सेवाओं में डाक्टरों और नर्सों की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

रिजर्व लिस्ट में इमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारी

7368. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये
श्री जे० एच० पटेल :
श्री रवि राय :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के इमर्जेंसी कमीशन-प्राप्त उन अधिकारियों को 10 वर्षों के लिये रिजर्व लिस्ट में रखा जा रहा है, जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवा से मुक्त किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। सरकार ने यह निर्णय किया है कि आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को ऐच्छिक आधार पर 5 वर्ष की समयावधि के लिये या 40 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो पहले हो, रिजर्व लिस्ट में रखा जाय।

(ख) अफसरों का एक रिजर्व बनाने के लिए यह किया जा रहा है ताकि समय पड़ने पर उनकी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

नेपाल द्वारा भारतीय औद्योगिक संस्थानों को अपने हाथ में लिया जाना

7369. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल सरकार ने अब तक नेपाल स्थित कितने भारतीय औद्योगिक संस्थानों को अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) क्या नेपालगंज में स्थित कत्था कारखान को, जिसका मालिक एक भारतीय उद्ययोगपति है, अपने हाथ में लेने की नेपाल सरकार की योजना है ;

(ग) इन संस्थानों को नेपाल सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस मामले में सरकार का कुछ कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सुलभ सूचना के अनुसार नेपाल के महामहिम की सरकार ने एक औद्ययोगिक संस्थान को ले लिया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) ये घटनाएं संबद्ध फर्मों तथा नेपाल के महामहिम की सरकार और/अथवा नेपाल औद्योगिक विकास निगम के बीच किए गए वाणिज्यक और वित्तीय प्रबंधों तथा वायदों का परिणाम है ।

भारत पाक संघर्ष के दौरान मारे गये अफसर

7370. **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रवि राय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त/सितम्बर, 1965 में हुए भारत–पाक संघर्ष के दौरान लडाई में अथवा जख्मी होकर मरने वाले भारतीय सशस्त्र सेना के अफसरों तथा सेना के अन्य पदधारियों की संख्या क्या है ;

(ख) हता हत अफसरों में, एमर्जेन्सी कमीशन–प्राप्त अफसरों की संख्या कितनी है ;

(ग) पाकिस्तानियों ने इस के दौरान कितने अफसरों और जवानों को बन्दी बनाया था ; ओर

(घ) इन बन्दी अफसरों में इमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों की संख्या क्या है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) (1) लडाई में अथवा जख्मी होकर मरने वालों की संख्या—

(क)	अफसर	172
(ख)	जूनियर कमीशंड अफसर तथा अन्य जवान—	2757

(2) पहले लापता बताए गए लेकिन अब नियमों के अनुसार मृत्यु प्राप्त समझे जाने वालों की संख्या–

(क)	अफसर	19

(ख) जूनियर कमीशंड अफसर तथा अन्य जवान 347

(ख) (1) लड़ाई में अथवा जख्मी होकर मरने वालों की संख्या 71

(2) पहले लापता बताए गए लेकिन अब नियमों के अनुसार मृत्यु प्राप्त समझे जाने वालों की संख्या 7

(ग) अफसर 58

जूनियर कमीशंड अफसर और अन्य जवान 2020

(घ) 18 ।

Bulletins Issued by Indian Missions Abroad

7371. **Shri Raj Deo Singh :**
Shri Shambhu Nath :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of languages in which bulletins are issued by our Missions abroad;

(b) the number of foreign languages for which Government have engaged Interpreters;

(c) the nature of assistance given by Government for learning foreign languages, and

(d) the progress made in this regard so far ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Indian Missions abroad issue bulletins in 22 foreign languages.

(b) Interpreters for seven foreign languages have been engaged in the Ministry of External Affairs.

(c) The Ministry of External Affairs reimburses all the expenditure on tuition fees (limited to prescribed hours), and examination fees etc, for learning foreign languages allotted to IFS Officers (including IFS (B) officers) for compulsory study. For 'optional' study of foreign languages, the Ministry awards an amount of Rs. 1500/-for proficiency in each foreign language. The Ministry also meets the expenditure on tuition and examination fees of the officers sponsored for Interpretership and other courses in different languages organized by the School of Foreign Languages, Ministry of Defence, New Delhi.

(d) Steady progress has been made in the study of foreign languages by officers of this Ministry. At present more than 254 officers have foreign language qualifications.

सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भारतीय राजदूतों का योगदान

7372. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री शम्भूनाथ

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित विभिन्न दूतावासों में नियुक्त राजदूतों को उन देशों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में योगदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो किस तरीके से, और

(ग) क्या उन्हें उस देश के बारे में साहित्य तैयार करने को कहा जाता है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख)। यह किसी भी मिशन प्रमुख का सामान्य कार्य है कि वह जिस देश में भेजा जाता है, वहां के समुचित सामाजिक और सांस्कृतिक कार्याकलापों में रुचि ले, खास तौर से जब उस देश के साथ भारत के सम्बन्धों का वास्ता हो अथवा भारतीय संस्कृति पर उनका कोई प्रभाव पड़ता हो। स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए एक राजदूत से यह आशा की जाती है कि वह जिस देश मे भेजा गया है वहां के दलमुक्त, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से इस तरह से सम्बन्ध रखे कि उसके व्यवहार से भारत की संस्कृति और सद्भावना झलके।

(ग) एक राजदूत से उसके कर्तव्य के अंग के रूप में यह आशा की जाती है कि वह अपनी सरकार को हैडक्वार्टर के पास सामयिक तौर पर भेजी जाने वाली "सूचनाओं" के जरिये स्थानीय घटनाओं के बारे में नियमित तौर से समय-समय पर अवगत रखे।

चीन को भेजा गया विरोध-पत्र

7373. श्री दी० चं० शर्मा ; क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या 28 और 30 जून, 1967 को भारत के विरूद्ध चीन के रेडियो से किए गये प्रसारण तथा भारत में चीन के दूतावास को दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग किये जाने के बारे में भारत द्वारा चीन को भेजे गये विरोध-पत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० का० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कच्छ न्यायाधिकरण

7374. श्री मरंडी : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ न्यायाधिकरण ने कच्छ के रण सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान विवाद की सुनवाई पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय की घोषणा कब की जाने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री म० क० चागला) : (क) जी हां, । इस ट्रिबुनल ने 14 जुलाई 1967 को सुनवाई पूरी कर ली है ।

(ख) 1 नवम्बर, 1967 तक फैसला आ जाने की सम्भावना है ।

Requisitioning of Houses by M. E. S. Danapur

7376. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the M. E. S. Department of Danapur Cantonment requisitions houses of citizens of the Cantonment area for being given on rent to Military Officers;

(b) the number of such requisitioned houses occupied by Military Officers;

(c) whether some houses in Grand Square are also occupied by some Military Officers and whether rent in respect thereof has not been paid by the M. E. S. since April, 1966;

(d) whether it is a fact that whenever any house owner approaches the M. E. S. for getting payment of rent, the local Military Officers compel him to transfer the land to the Military Department;

(e) whether it is also a fact that the M. E. O. filed a suit against one Shri Khushal Chand, a house owner, with the intention to take possession of his land but the M. E. O. lost the case; and

(f) If so, the steps proposed to be taken by Government to prevent the harassment to the local citizens by the M. E. S. and to ensure payment of the outstanding arrears of rent to the owners of house in the Grand Square, Danapur ?

The Minister of State in The Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b); Requisitioning of houses on behalf of the local military authorities is carried out by the Collector. In Dinapur, only one house is held on requisition and this is utilised as Sub Area Mess.

(c) Eight houses in Grand Square are on hire to Government for meeting defence requirements. Rent for one house has not been paid since April 1966 and this case is under the consideration of Government.

(d) No, Sir.

(e) Shri Khushal Chand bad filed a suit seeking injunction against resumption of defence land. The trial Court granted the injunction. Government has filed an appeal and the same is pending.

(f) Does not arise.

Posts Reserved For S. C. and S. T. Candidates in Defence Services

7377. **Shri Mohanu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Ram Charan :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the number of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates in the Indian Army, Navy and Air Force; and

(b) if so, the State-wise and category-wise number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes personnel in the Defence Services ?

The Minister of State in The Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) Nil.

(b) Does not arise.

भारतीय वायु सेना के एक विमान की बड़ा के पास दुर्घटना

7378. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना का एक विमान कामनगर से 25 मील दूर बड़ा नामक एक गांव के पास 16 जुलाई, 1967 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) वह दुर्घटना 16 जुलाई, 1967 को माटेल रेलवे स्टेशन के 4 मील दक्षिण में हुई थी ।

(ख) और (ग) यह विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था जबकि उसका इंजन खराब हो गया । उसका पाइलेट नीचे कूद पड़ा और उसे मामूली चोटें आई । विमान एक खेत में जा गिरा जिससे खड़ी फसल को क्षति पहुंची । वायु सेना अधिनियमों के अनुसार दुर्घटना की जांच करने के लिए एक जांच अदालत के निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद ही पूरा विवरण मालूम होगा ।

Hindi Knowing Indian Diplomats

7379. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Hindi-Knowing Indian diplomats and the number of those among them who carry on their secret correspondence with his Ministry in Hindi ;

(b) whether this Ministry have made any arrangements to provide Hindi Typewriters and post Hindi typists in the Indian Missions abroad; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla):(a) While the exact number of Indian diplomats in Missions abroad knowing Hindi is not readily available, more than 220 Indian diplomats know Hindi. No officers however carry on their secret correspondence with the Ministry in Hindi.

(b) Hindi Typewriters have been provided to 12 Indian Missions abroad so far and more Missions will be provided with Hindi Typewriters as and when demanded. In

addition to seven-Hindi-Knowing typists already available in the Missions abroad, a Hindi typist has since been selected for posting abroad.

(c) Does not arise. More Hindi-Knowing typists would be posted to Missions abroad as and when required.

नेपाल में भारतीय सहयोग मिशन

7380. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल स्थित भारतीय सहयोग मिशन के कार्य क्या हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष इस मिशन की सिब्बंदी पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मिशन को बन्द करने का है क्योंकि अधिकांश कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा सीधे किये जाते हैं ;

(घ) क्या भारतीय सहयोग मिशन के निदेशक हाल ही में एक विमान को 20,000 रुपये में किराये पर लेकर नामचा बाजार गये थे ।

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे । और

(च) पिछले तीन वर्षों के आयातित कारें खरीदने के लिए भारतीय सहयोग मिशन के अधिकारियों को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) नेपाल में भारतीय सहयोग मिशन का मुख्य काम नेपाल और भारत के बीच पारस्परिक रूप से सहमत आर्थिक सहयोग के कार्यक्रमों पर अमल का समन्वयन और अधीक्षण करना है । इनमें बातचीत, खोजबीन, संपर्क और अमल सम्बन्धी कार्य शामिल हैं ।

(ख) जहां तक भारतीय सहयोग मिशन निदेशालय का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों में वेतन, भत्तों और अन्य प्रचारों पर खर्च इस प्रकार था ।

1964-65	1965-66	1966-67
12.9 लाख रुपए (लगभग वास्तविक)	10.7 लाख रुपए (लगभग वास्तविक)	12.5 लाख रुपए (लगभग वास्तविक)

पिछले साल के दौरान खर्च में बढ़ती का कारण यह था कि जून 1966 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो गया था ।

(ग) जी नहीं । यह प्रश्न अनुमानात्मक है, तथ्यों पर आधारित नहीं । जब कभी प्रायोजनाओं पर सीधा अमल करने की मिशन की जिम्मेदारी कम हो जाती है, कर्मचारियों की संख्या भी कम करदी जाती है । उदाहरण के तौर पर । मार्च 1966 को मिशन की स्वीकृत कर्मचारी संख्या 400 थी । एक साल बाद अर्थात 1 मार्च 1967 को यह संख्या घट कर 300 से नीचे चली गई जिससे 30 प्रतिशत की कमी हुई ।

(घ) जी हां। नेपाल के महामहिम की सरकार के अनुरोध पर, जिसके वरिष्ठ अधिकारी साथ गए थे, मिशन के निदेशक ने हेलीकोप्टर से नामचे बाजार क्षेत्र का दौरा किया था। चूंकि सहयोग मिशन के पास अपना कोई हेलीकोप्टर नहीं है इसलिए, चार्टर करना ही पड़ा।

(ङ) दौरे का उद्देश्य यह था कि उपर्युक्त आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्र के मजदूरों को भारतीय सहायता से चलने वाली प्रायोजनाओं पर लगाने और नेपाल के महामहिम की सरकार को उस क्षेत्र में विकास प्रायोजनाएं स्थापित करने में सहायता देने की वांछनीयता की जांच की जाय।

(च) कुछ नहीं।

आकाशवाणी केन्द्र, जबलपुर

7381. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।**

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर में आकाशवाणी का एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : जबलपुर में नवम्बर, 1964 से एक प्रसारण केन्द्र चालू है। यदि साधन उपलब्ध हुए तो इसका चौथी पंच वर्षीय योजना काल में आंशिक रूप से मूल कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्र के रूप में बदलने का प्रस्ताव है।

संसद् सदस्यों द्वारा अग्रिम क्षेत्रों का दौरा

7382. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) संसद सदस्यों के दलों को अग्रिम क्षेत्रों में कब भेजने का सरकार का विचार है।

(ख) प्रत्येक दल में कितने संसद सदस्य होंगे : और

(ग) दौरे की अवधि कितनी होगी ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : संसद् सदस्यों के लिए अग्रिम क्षेत्रों के भ्रमण का प्रबन्ध करने का सुझाव विचाराधीन है, और स्थिति के सम्बन्ध में सदस्य महोदय को शीघ्र सूचित किया जाएगा।

भारी पानी तैयार करने के कारखाने

7383. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में भारी पानी तैयार करने के कौन-कौन से कारखाने हैं तथा प्रत्येक कारखाने में प्रतिवर्ष कितना भारी पानी तैयार होता है ; और

(ख) भारी पानी किस काम आता है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारी पानी इस समय भारतीय उर्वरक निगम के केवल नंगल यूनिट में ही तैयार किया जाता है। इस संयंत्र की वार्षिक सचालन क्षमता लगभग 12.5 टन प्रति वर्ष है।

(ख) भारी पानी कुछ प्रकार के पावर रिएक्टरों में 'मोडरेटर' के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

आकाशवाणी के कार्यक्रम

7384. **श्री ग०च० दीक्षित** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्ज़ीक्यूटिव और प्रोड्यूसर द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो एक ही काम के लिए दो संवर्ग होने के क्या कारण हैं तथा चन्दा समिति के इस बारे में क्या विचार तथा सिफारिशें हैं : और

(ग) गत तीन वर्षों में कितने प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव और प्रोड्यूसर टेलीविजन के कार्यक्रमों के संयोजन का प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश भेजे गये थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव नियमित सरकारी कर्मचारी हैं और एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में बदले जा सकते हैं। इसलिए यह लाभदायक समझा गया कि इनके अतिरिक्त कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में विशेषज्ञता प्राप्त स्थानीय कलाकारों को लगाया जाए। तो भी, चन्दा समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रोड्यूसरों और प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए और इनके पदों को मिला देना चाहिये। इस सिफारिश को मान लिया गया है और यह किस प्रकार किया जाए, यह विचाराधीन है।

(ग) केवल 6 प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव भेजे गये। प्रोड्यूसर कोई नहीं।

'आकाशवाणी विश्वविद्यालय' कार्यक्रम

7385. **श्री ग० च० दीक्षित** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने बी० ए० पास के विद्यार्थियों के लाभ के लिए "आकाशवाणी विश्वविद्यालय" कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या इसकी प्रतियोगिता का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो मूल्यांकन अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं :

(घ) क्या दूसरे वर्ष के छात्रों के लिये भी इस कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो कब से ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां । आकाशवाणी ने "आकाशवाणी विश्वविद्यालय" कार्यक्रम 7 सितम्बर, 1966 को आरम्भ किया । इसके पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्र-व्यवहार कोर्स के निदेशालय के प्रयत्नों को क्रियान्वित करने और बल देने की भावना थी । इस प्रायोजना के अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्र–व्यवहार कोर्स के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली और मद्रास केन्द्रों से सप्ताह में तीन बार कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली और मद्रास में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला कि दिल्ली विश्व–विद्यालय का पत्र–व्यवहार कोर्स लेने वाले अधिकांश विद्यार्थियों ने इन प्रसारणों को नियमित रूप से सुना और उन्हें उपयोगी पाया । परन्तु विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम के प्रसारण के वर्तमान समय की अनोपयुक्तता और इसके संतोषजनक रूप से न सुने जाने के बारे में शिकायत की है । इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए और सुविधाजनक समय पर तथा उसे शक्तिशाली ट्रांसमिटर पर प्रसारित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) प्रस्ताव पर विचार किया गया था किन्तु धनाभाव के कारण यह संभव नहीं पाया गया ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Post of Parliament Assistants in I. &. B. Ministry

7386. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ramji Ram :
Shri Rabi Ray :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state ;

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of persons working against these posts and since when;

(c) whether there is any person working against this post for a period of more than three years;

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in pursuance of orders of the Ministry of Home Affairs; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) One

(b) One; since 7-5-1951.

(c) Yes; Sir.

(d) and (e) A change will be made as and when it is found feasible in the public interest.

Parliament Assistants in The Ministry of Defence

7387. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Mohabu Prasad :
Shri Ramji Ram :
Shri Rabi Ray :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of Defence be pleased to state.

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of persons working against these posts and since when;

(c) whether there is any person working against this post for a period of more than three years;

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in pursuance of orders of the Ministry of Home Affairs in this regard; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) There is no post of Parliament Assistant as such in the Ministry of Defence. One Assistant, attending whole time to the work pertaining to the Parliament, is designated as Parliament Assistant. The present. Parliament Assistant is working since 27-3-1967.

(c) No.

(d) and (e) Do not arise.

निरक्षरता समाप्त करने के लिए रेडियो तथा टेलीविजन का प्रयोग

7388. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरक्षरता को दूर करने के लिए रेडियो और टेलिविजन का उपयोग करने के लिए आकाशवाणी की कोई योजना है, जैसा कि अन्य देशों में किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) अक्तूबर, 1966 में भारतीय जन सम्पर्क संस्थान द्वारा आयोजित "प्रौढ़ शिक्षा" तथा जन सम्पर्क गोष्ठी के सुझावों के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों से निरक्षरता को दूर करने के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों का उपयोग करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है। आर्थिक साधनों की कमी के कारण इस सम्बन्ध में अधिक प्रगति नहीं हो सकी ।

मध्य प्रदेश में रीवा डिवीजन के लिए आकाशवाणी केन्द्र

7389. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या मध्य प्रदेश रीवा डिवीजन में एक क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर और कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) ; (क) से (ग) ; योजना आयोग द्वारा स्वीकृत पंच वर्षीय योजना में मध्य-प्रदेश के सतना रीवा क्षेत्र में एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। तो भी, योजना अवधि में इस प्रायोजना का क्रियान्वित होना आवश्यक साधनों और विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जासूसी के सिलसिले में भारतीय वायुसेना के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी

Shri S. M. Joshi (Poona) : Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"Arrest of an IAF employee in connection with espionage which led to the expulsion of a clerk of the Pakistan High Commission recently."

गृह-कार्य मन्त्री (**श्री यशवन्तराय चव्हाण**): 16 जुलाई, 1967 को भारतीय वायु सेना के एक कर्मचारी को उस समय पकड़ा गया था जब वह कुछ ऐसे दस्तावेज जिनमें शासकीय रहस्य थे, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग के एक अधिकारी श्री साबिर अली शाह को दे रहा था। शासकीय रहस्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत एक मामला तुरन्त दर्ज कर लिया गया था। 19 जुलाई, 1967 को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग से शिकायत की और यह मांग की कि उक्त साबिर अली शाह 48 घंटों के अन्तर भारतीय राज्य क्षेत्र छोड़ कर चला गया। वह 20 तारीख को भारत छोड़ कर चला गया था। कथित आरोपों की जांच के दौरान 21 जुलाई को भारतीय वायु सेना का एक और सैनिक गिरफ्तार किया गया था, जांच अभी चल रही है। जांच के हित में माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि और अधिक ब्यौरा देने के लिए जोर न दें।

Shri S. M. Joshi : Did it involve only an individual or there was a group behind these activities and is the reply of Pakistan satisfactory ? If not, what preventive action has been taken and are you going to take steps against the Pak High Commission similar to those taken against the Chinese Embassy ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अभी जांच चल रही है। अभी मैं अधिक जानकारी नहीं दे सकता। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि प्रत्येक देश की

जासूसी की कार्यवाही का पता लगाने के लिए उचित व्यवस्था है। फिर भी हमें इन दो देशों की गतिविधियों की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पहले भी जासूसी के मामलों में वायु सेना के कुछ अधिकारी सम्बन्धित थे और जासूसी के मामले बढ़ रहे हैं। क्या सर्व श्री सुनील दास और मोहित चौधरी रिहा होने पर दिल्ली आये थे और पाकिस्तान उच्चायोग को कुछ दस्तावेज देने से सम्बन्धित थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं बता चुका हूँ कि मामले की जांच की जा रही है और मैं इस अवस्था में हां अथवा नहीं कुछ नहीं कह सकता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : During the last few years a number of Air Force employees have been found involved in espionage and many documents have been passed into the hands of foreigners. In the context of surprise air attack after the Arab-Israel conflict, it is a matter of anxiety that Air Force employees are involved in espionage activities. May I know the steps taken to clean up our Air Force particularly in view of a possible Joint attack by Pakistan and China.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं सहमत हूं कि वायु सेना अथवा किसी भी सेना मुख्यालय का जासूसी से सम्बन्धित होना देश की सुरक्षा के लिये चिन्ता की बात है। आरम्भ से ही कुछ कदम उठाये गये है परन्तु भविष्य में प्रतिरक्षा मंत्रालय के परामर्श से अधिक कठोर सुरक्षा उपाय करने होंगे।

मध्य प्रदेश के आय–व्ययक के मुद्रण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : PRINTING OF MADHYA PRADESH BUDGET

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 28 जुलाई को इस सभा में मध्य प्रदेश के बजट के मुद्रण के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे गये थे। मुझे जानकारी प्राप्त करने का निदेश दिया गया था और मैंने उसी दिन इस हेतु एक बेतार का संदेश मध्य प्रदेश भेज दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से मुझे जो बेतार से जानकारी प्राप्त हुई है, उसको मैं सभा पटल पर रखना चाहता हूं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं उसे पढ़ देता हूं। उसके अनुसार मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं।

मध्य प्रदेश का 1967-68 का अन्तरिम बजट मार्च 1967 में विधान सभा को प्रस्तुत किया गया था तथा अप्रैल से जुलाई तक के लिये लेखानुदानों की मांगें पास की गई। 3जुलाई को 1967-68 का एक पुनरीक्षित बजट विधान सभा को प्रस्तुत किया गया। 20 जुलाई को विधान सभा का सत्रावसान कर दिया गया जब कि शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही थी।

मध्य प्रदेश के बजट पत्रों को छपाई में राज्य प्रशासन का उद्देश्य सभी आकस्मिकताओं के लिये व्यवस्था करना था क्योंकि 20 जुलाई को विधान सभा का सत्रावसान कर दिया

गया था और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि विधान सभा की बैठक फिर कब बुलाई जायेगी। लेखानुदानों को पारित करने में यदि विलम्ब हो जाता तो सरकारी कार्य अस्त व्यस्त हो जाता क्योंकि उस स्थिति में 31 जूलाई, 1967 के बाद राज्य की संचित निधि में से कोई भी राशि नहीं ली जा सकती थी।

पहली संम्भावना यह थी कि विधान सभा फिर बुलाई जायेगी और अनुदानों की मांगों को पारीत करेगी। इसलिये राज्यपाल की स्वीकृति के लिये विनियोग विधेयक तैयार रखना आवश्यक था।

विधान सभा के बुलाये जाने के बाद यदि कोई मांग स्वीकार नहीं की जाती तो वर्तमान सरकार को त्याग-पत्र देना पड़ता और हो सकता है कि नई सरकार पूरे वर्ष का बजट पारित करना पसन्द न करती अपितु एक महिने के लिये जब तक कि एक संशोधित बजट प्रस्तुत और पारित नहीं किया जाता, एक दूसरा लेखानुदान लेती। ऐसी आकस्मिकता के लिये अगस्त के महीने के लिये विधान सभा से एक लेखानुदान पत्र तैयार किया गया और छापा गया।

तीसरी सम्भावना यह थी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता। ऐसी स्थिति में राज्य के बजट को संसद् में प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता इस प्रयोजन के लिये, विधान सभा में उपस्थित किया गया बजट, उसे संसद में उपस्थापन के अनुरूप बनाने के लिये, उपयुक्त संशोधनों के बाद पुनः छापा गया।

मुख्य सचिव ने इस आरोप को झूठा बताया है कि बजट सम्बन्धी किसी भी पत्र में ऐसा टिप्पण था कि राज्य विधान सभा में हिंसात्मक घटनाओं के कारण बजट पारित नहीं किया जा सका। यह कथन भी असत्य है कि छापे गये बजट पत्र नष्ट किये जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि राज्यों के बजट, जो संसद् में उपस्थापित किये जाते हैं, वे सम्बन्धित राज्य सरकारों के मुद्राणालयों में छापे जाते हैं। न उदाहरण के लिये 1967-68 के लिये राजस्थान का बजट, जो मार्च, 1967 में संसद् में पेश किया गया था सरकारी केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर में छापा गया था। इसी प्रकार 1966-67 के लिये केरल का बजट सरकारी मुद्रणालय त्रिवेन्द्रम में छापा गया था।

एक अन्य प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या हमने उन्हें कोई सलाह दी थी। यह स्पष्ट है कि हमने कोई सलाह नहीं दी थी।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, Sir, I had given notice of a privilege motion against Shri D. P. Mishra. We should be allowed to submit our view point before you give your decision.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Please listen us before giving any decision. It is a question of privilege

अध्यक्ष महोदय : आपके विशेषाधिकार के प्रश्न मेरे विचाराधीन हैं। तुरन्त इस पर चर्चा नहीं हो सकती। जब मैं विशेषाधिकार का प्रस्ताव स्वीकार करूंगा, तब इस पर चर्चा होगी। नियमों के अनुसार यही प्रक्रिया है। हम इस समय प्रश्न पूछना आरम्भ नहीं कर सकते।

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, the other day the hon. Home Minister had stated that the budget to be presented to Parliament cannot be printed anywhere else and also stated that it was not printed at all. He had to admit here to-day that budget was printed there. Is he satisfied with it and are we to take it that he had no knowledge about it ?

श्री अध्यक्ष महोदय : आपको शोर में नहीं जाना चाहिए ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही आप विशेषाधिकार भंग होने के किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, उसे अन्य सभी कार्यों में पूर्ववर्तिता प्राप्त होती है। यद्यपि इसके अन्य पहलू भी थे, फिर भी हमने गत शुक्रवार को आपके कहने पर इस विषय के एक पहलू का ही उल्लेख किया हमने कहा था कि दिल्ली के एक विश्वासनीय समाचार पत्र के अनुसार विधान सभा भंग की जा रही थी क्योंकि प्रधान मंत्री इसके पक्ष में थी। मैंने और श्री वाजपेयी ने कहा था कि हमारी आशंका उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और उसकी पुष्टि की जा सकती है। हमने कहा था कि विधान सभा की आवाज का गला घोंटने के लिये बजट तक तैयार कर लिया गया है। यह एक षड्यन्त्र था। जब मैंने आपको लिखा, तो आपने कहा कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए तथा हमने आपका कहना माना। बेतार से प्राप्त संदेश पर आधारित श्री चव्हाण के वक्तव्य से संकेत मिलता है कि यदि यह मामला संसद् में नहीं उठाया जाता, तो मुख्य मंत्री लोकतंत्र की आवाज का गला घोंटने की योजना को क्रियान्वित कर देते ।गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि बजट छापा गया था । यह केवल स्वीकार करने की बात नहीं है। मेरा आरोप है कि वे जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से क्षमा मांगनी चाहिए ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि मैंने कोई गल्ती की हो, सभा को रूष्ट किया हो अथवा सभा का कोई विशेषाधिकार भंग किया हो, तो मैं एक या दो बार नहीं अपितु सैकड़ों बार क्षमा मांगूगा। उस दिन मैंने यह कहा था कि मुझे वास्तव में जानकारी नहीं है। मैंने उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मत्री से परामर्श किया और उन्होंने कहा कि विचार वे समझते हैं कि बजट राज्यों में छापे जाते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने पुष्टि की कि ये विभिन्न राज्यों में भी छापा जाता हैं। इसलिए मैंने स्पष्टीकरण करना और अपने वक्तव्य में शुद्धि करना उचित समझा। यदि इस गल्ती के लिए क्षमा याचना आवश्यक है, तो मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान शासकीय वृत्तान्त से यह पुष्टि की जा सकती है कि जब उन्होंने ये वक्तव्य दिया था, तो मैंने कहा था कि उड़ीसा का बजट अब संसद् में पेश किया गया था, तो वह उड़ीसा में छपा था। फिर भी उन्होंने कहा 'नहीं' मेरी यही जानकारी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है। इससे पहले इस पर चर्चा करना निरर्थक होगा ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) अध्यक्ष महोदय, कोई चर्चा हो या न हो हम चिन्तित हैं कि सरकार को कुछ औचित्य का पालन करना चाहिए। हमारे काफी कहने

के बाद ही गृह मंत्री ने खेद व्यक्त किया । मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने उड़ीसा का और श्री वासुदेवन नायर ने केरल का उदाहरण दिया था । जब भी सरकार कोई ऐसा वक्तव्य देती है जैसे कि आज प्रातः श्री चव्हाण ने दिया, तो, उन्हें उस दिन की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये । उस दिन उन्होंने उप प्रधान मंत्री से परामर्श के बाद बजट पत्रों के छापने की प्रक्रिया के बारे में एक वक्तव्य दिया । मैं उन्हें दोष नहीं देता । उन्होंने गल्ती की परन्तु गलती माननी तो चाहिए । मैं चाहता हूं कि आप औचित्य के प्रश्न पर निर्णय करें । यदि सरकार को इस प्रकार अनुचित ढंग से व्यवहार करने दिया गया, तो इस सभा में व्यवस्था कायम नहीं रह सकेगी ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : औचित्य का प्रश्न नियमों से ऊपर नहीं है। नियम 222 और नियम 224 (3) के अन्तर्गत विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न पर इस सभा में चर्चा करने के लिये आपकी अनुमति आवश्यक है । माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य के बाद सभा में चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है । फिर आपने भी अनुमति नहीं दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं । परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि हमने ऐसी परिपाटी डालली है कि मंत्री महोदय के व्यक्तव्य के बाद प्रश्न न पूछे जावें । हम इस पर चर्चा के लिए समय निश्चित कर सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The statement of the Hon'ble Minister is based on the information received from the Government of Madhya Pradesh since a communication from that Government has been received by him . The following words are printed on the first page of Budget Memorandum published there :

"As laid before the Parliament" . A note is also attached to this memorandum where in it is stated that this budget is being presented in Parliament as there was violence in Legislative Assembly on 28th July, 1967 . I want to know whether Shri D. P. Mishra had anticipated any such thing.

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न न पूछा जाये, तो एक अच्छी परम्परा स्थापित होगी । इस विषय पर चर्चा के लिये कोई अन्य समय निर्धारित किया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye: It should be done to-day.

अध्यक्ष महोदय: यदि अध्यक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव या ध्यान दिलाने वाली सूचना अस्वीकार कर देता है तो उस मामले में अध्यक्ष-कक्ष में बातचीत की जा सकती है परन्तु सभा में नहीं की जा सकती ।

Shri Madhu Limaye : It is an ordinary matter ?

अध्यक्ष महोदय : हम इसी परम्परा का अनुसरण करते रहे है और यह लाभप्रद सिद्ध हुई है । इसलिये इसी परम्परा को बनाये रखना चाहिये । यह ज्ञापन भोपाल में मुद्रित हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है । इस विषय में चर्चा कब और किस रूप में की जायेगी, इसका निर्णय आपको मुझ पर छोड़ देना चाहिये ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : On point of order, Sir, I want your protection. The hon'ble Minister has taken the House into confidence about the wireless message received by him but was it also not necessary that Hon'ble Minister should have covered the question raised by Shri Madhu Limaye in his statement.

अध्यक्ष महोदय : इसमें किसी के संरक्षण की कोई बात नहीं है ।

विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : SECOND REPORT OF PRIVILEGES COMMITTEE

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I beg to move "that the Second Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 19th July, 1967 be taken into consideration."

On 5th June, this House had referred a matter regarding breach of privilege by the editor of a Hindi daily 'Hindustan' to the Privileges Committee According to the findings of this Committee it is a case of breach of privilege and the editor of the aforesaid newspaper is guilty In this connection a letter was written to the editor and in reply to which he tendered unqualified apology. In view of this the Committee has recommended that no further action is to be taken against him. In accordance with the Privilege Committee is supposed to go into every question referred to it and if a breach of privilege is committed, the committee will decide to nature thereof and then make such recommendations as it may deem fit. In this matter the committee has not gone into the circumstances leading to the breach of privilege.

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

Tho Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुन समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the clock.

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Speaker** *in the Chair* }

Shri Madhu Limaye : This type of breach of privileges are committed because important newspapers are controlled particelly by the capitalists and partially by the Government and in order to please the proprietor such things happen. Therefore these circumstances are more responsible in this regard. The Press Commission has also observed that an editor should maintain certain objectivity and fairness and he should be governed by the ethics of the profession and he should not act according to the wishes of his proprietor. Therefore an editor who is free from influence of his proprietor or the Government would not indulge in mud slinging. If he is not objective and influenced by the capitalists of Government control, it will have adverse affect on the democracy. I am, therefore, of the view that the committee should go into the circumstances which lead to such breach of privileges. I therefore, propose that this matter may again be referred to the Privileges Committee for its reconsideration keeping in view the circumstances leading to this breach of privilegs. Therefore, Sir, I move 'That this

House refer the Second report of Privileges Committee again to this Committee for re-consideration and also request the Committee to study the circumstances in which this breach of Priv lege has occurred." I would like that the Privileges Committee to go deep into the things so that our press becomes free from the influence of capitalists or from other foreign influence, if any.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : नियम 315 के अनुसार यह सभा विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों से सहमत अथवा असहमत हो सकती है अथवा उनमें कुछ संशोधन करके सहमत हो सकती है। परन्तु यह सभा विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों को उनके पास वापिस नहीं भेज सकती, इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं है।

दूसरी बात यह है कि विशेषाधिकार समिति का काम समाचार-पत्रों की स्थिति का पता लगाना नहीं था। हमारा काम केवल इस बात का पता लगाना है कि सभा का विशेषाधिकार भंग हुआ है या नहीं हुआ है। इस समिति का अन्य बातों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि समाचार पत्रों को असन्तुलित नहीं होना चाहिये तो सभा को भी असन्तुलित नहीं होना चाहिये। इस सभा को समाचार-पत्रों की स्वाधीनता के विषय से उतना ही चिन्तित रहना चाहिये जितना वह अपने सदस्यों की अपनी राय प्रकट करने की स्वाधीनता के सम्बन्ध में चिन्तित है। यदि इसी प्रकार के आक्रमण होते रहे तो समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता नष्ट हो जायेगी। मेरे विचार मे सभा का यह कर्तव्य है कि उसके किसी कार्य में प्रतिरोध की भावना न प्रकट हो।

श्री मधु लिमये समिति के प्रतिवेदन से वैसे तो सहमत है कि सम्पादक के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाये। इसलिये अब उनके इस कथन का कोई अर्थ नहीं कि विशेषाधिकार समिति तत्सम्बन्धित परिस्थितियों की जांच करे।

The Minister of Parliamentary Affairs Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : Shri Madhu Limaye has said that there is nothing wrong in the Report, then what is the necessity of introducing a second motion ? It is a separate question whether the press is under the control of big capitalists or not. In order to know the influence of capitalists over the press, a separate committee on the lines of Press Commission should be appointed. The House should agree with the Second of the Committee of Privileges presented to the House on the 19th July, 1967 as Shri Madhu Limaye does not find fault with the report of the Committee, as such. Therefore, I move :

"That this House agrees with the Second Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 19th July; 1967."

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : नियम 314 (1) में इस बात का उल्लेख है कि विशेषाधिकार समिति का कार्य यह पता लगाना है कि क्या विशेषाधिकार भंग हुआ हैं और यदि हुआ है तो उसका स्वरूप क्या है। दूसरी बात यह है कि जिन परिस्थितियों में यह हुआ है उसका भी पता लगाना जाना चाहिये। मेरे विचार म यह प्रतिवेदन व्यापक नहीं है। इस सभा को यह अधिकार है कि यदि प्रतिवेदन व्यापक नहीं है तो वह उसे वापिस कर दे। यह प्रतिवेदन अधूरा है, इसे स्वीकार न करके इसे विशेषाधिकार समिति के पास पुनः भेज देना चाहिये ताकि वह पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, it is a question of propriety that when the House is discussing the reports of Privileges Committee of which you have been the chairman, you should step down during the course of this discussion and some one else should be in the chair.

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध नहीं की जा रही है। इसलिये इस मामले में कुर्सी से हट जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रा० डो० भन्डारे (बम्बई–मध्य) : सर्वप्रथम मुझे यह कहना है कि जब समिति ने दैनिक 'हिन्दुस्तान' के सम्पादक की क्षमा याचना को स्वीकार कर लिया है तो उसमें पुन–विचार की कौन सी बात रह जाती है ?

श्री मधु लिमये : परिस्थितियां।

श्री रा० डो० भन्डारे : जिन परिस्थितियों में बिना शर्त क्षमा याचना की गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। फिर पुनर्विचार करने की क्या बात रह जाती है। समिति ने जो स्वयं निर्णय लिया है उस पर उसी समिति द्वारा पुनर्विचार करने के लिये प्रतिवेदन को वापिस भेजने का कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिये इस प्रतिवेदन को समिति को लौटाने में कोई औचित्य नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : यद्यपि बहुत सी बातें कही गई हैं, समिति को प्रतिवेदन वापिस भेजने के लिये कोई नये तथ्य सामने नहीं लाये गये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I am in favour of the motion moved by Dr. Ram Subhag Singh and against the one moved by Shri Madhu Limaye. Shri Madhu Limaye has nothing to say against the penalty imposed by the Privileges Committee. The objection raised by him is that the capitalists have their hold over the Press. I think the Privileges Committee was not concerned with this aspect. Shri Madhu Limaye can take up this matter with the concerned Ministry, if he likes.

The second point is that the Privileges Committee consists of the representatives of all the parties and therefore it is the convention of the House that the report of this Committee is treated as unanimous, While we should take care of the privileges of the hon'ble Members, we should take care of the liberty of the Press also. There is a very delicate line in between the two and in case of imbalance between them there may be danger to our democracy, Shri Limaye has said that the committee should have gone through the circumstances also I know that the tone of the said editorial was not prop re No doubt that the language of the editorial could farther be improved and this is what the Privileges Committee has stated. I agree with the penalty imposed by the Committee. It has been our convention that if some body tenders apology, then the matter ends there,

श्री कन्डप्पन (मैंटूर) : मुझे इस बात का विश्वास है कि श्री मधु लिमये ने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह न तो समाचार–पत्रों की स्वतन्त्रता के विरुद्ध है और न यह विशेषाधिकार समिति के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण है। विशेषाधिकार समिति का प्रत्येक प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्या समिति अपने आप में पूर्ण है। यदि यही बात है तो फिर समिति के प्रतिवेदन पर सभा में मतदान की आवश्यकता ही क्या है। सभा के

मतदान के लिये जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि इसे विशेषाधिकार समिति को वापिस भेजा जा सकता है। जब सभा यह महसूस करती है कि यह कार्य अधूरा हुआ है तो सभा उस मामले पर पुनर्विचार के लिये उसे समिति के पास भेज सकती है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा (बाढ़) : जहां तक नियम 314 और 315 का सम्बन्ध है, विशेषाधिकार समिति के इन नियमों को अच्छी तरह पूरा किया है। इसलिये इसे अब वापस भेजने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस प्रतिवेदन के बारे में सभी एक मत हैं। अब यह सभा के सामने है। इसे स्वीकृत करना अथवा अस्वीकृत करना सभा का कार्य है। किन्तु किसी प्रतिवेदन को विशेषाधिकार समिति के पास वापस भेजने के लिये इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है।

विशेषाधिकार समिति के इस प्रतिवेदन में जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है वे ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें 'हिन्दुस्तान' के सम्पादक ने 2 जून, 1967 के हिन्दुस्तान' के सम्पादकीय में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो उसे लिखनी नहीं चाहिए थी। इस समिति ने इसी बात की जांच की है। वास्तव में सम्पादक महोदय ने इस बात की कार्यवाही तथा इस सभा के आचरण के सम्बन्ध में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रकाशित की हैं। सम्पादक ने माननीय सदस्यों के आचरण के बारे में कुछ टीका टिप्पणियां की है। प्रतिवेदन में समिति ने विचार व्यक्त किया है कि सम्पादक को इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें प्रकाशित नहीं करनी चाहिये थी। सम्पादक ने अपने इस कार्य के लिये बिना शर्त क्षमा मांग ली है अतः विशेषाधिकार समिति इस मामले को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझती है।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यह ठीक है कि समाचार पत्रों को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये किन्तु यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि समाचार पत्रों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बनने से रोका जाना चाहिए। मैं श्री मधु लिमये की इस बात का समर्थन करता हूं कि इस मामले को सभा ने विस्तार पूर्वक सभी पहलुओ पर विचार किये जाने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा था। किन्तु समिति इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार नहीं कर पाई है। जब भी सभा किसी मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपती है तो समिति से यह आशा की जाती है कि वह मामले के सभी पहलुओं पर विचार करे। इस समिति को उन सभी व्यक्तियों को बुलाकर जांच करनी चाहिए थी क्योंकि यह मामला केवल समाचार पत्र के सम्पादक तक ही सीमित नहीं है। समिति को इस बात का पता लगाना चाहिए वास्तव में ऐसे मामलों के पीछे कौन सी शक्तियां कार्य करती हैं। अतः मैं समझता हूं कि यह पूर्णतः उचित है कि इस विषय की विस्तार पूर्वक विचार जांच करने के लिए एक और अवसर मिला है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रत्येक भाषण के बाद इस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री अ० वि० पाटिल (अहमद नगर) : समाचार पत्रों से सम्बन्ध रखने के कारण मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री ते॰नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्नम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य इस सभा में केवल इस सभा के सदस्य के रूप में बोल सकते हैं न कि किसी पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी समाचारपत्र के सम्पादक हैं और उसी के सम्बन्ध में उन्होंने कहा होगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : उन्हें यह नहीं कहना चाहिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय सदस्य समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का समर्थन कर रहे थे।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : माननीय सदस्य ने कहा है कि वह किसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। वह लोक सभा के सदस्य के रूप में जो चाहे कह सकते हैं। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य किसी समाचार पत्र के सम्पादक भी हैं और इसी सम्बन्ध में उन्होंने अपनी समस्या का उल्लेख किया है।

श्री अ॰ वि॰ पाटिल : इस सभा के सदस्य के रूप में ही मैं बोलने के लिये उठा हूं किन्तु एक समाचारपत्र से सम्बन्ध रखने के कारण में समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का समर्थन कर रहा था।

इस मामले पर विशेषाधिकार समिति विचार कर चुकी है और हिन्दुस्तान के सम्पादक ने क्षमा याचना कर चुके हैं तथा समिति ने उन्हें क्षमा कर दिया है। अत; इस मामले को और आगे बढ़ाना उचित नहीं है। यदि इस मामले को पुनर्विचार के लिये फिर विशेषाधिकार समिति के पास भेजते हैं तो यह भी समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का उल्लंघन ही होगा। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक भी इसके विरुद्ध हैं। जब सम्पादक महोदय क्षमायाचना कर चुके तो मामला यहीं समाप्त हो जाता है। यदि वास्तव में हम समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का आदर करते हैं तो सम्पादक के लिये यह कहना अपमान की बात है कि वह समाचारपत्रों के नियोजकों की इच्छानुसार कार्य करता है, अथवा उनके नियन्त्रण में रहता है। अतः मैं समझता हूं कि यदि ऐसे मामलों को प्रेस परिषद को सौंपा जाये तो अच्छा होगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Press has a very important role in the democracy. A clean and independent press is necessary for smooth functioning and for the development of democracy. There cannot be two opinions that the control of press by certain capitalists and vested interests and its misuse for their own purpose must be curbed. But at the same time, we should also not start doing something amounting to victimisation of the press because that will equally be harmful for the freedom of the press and the functioning of the democracy.

The editor has already tendered his apology in this matter. Therefore, I think that this matter should not be proceeded further. The mover may reconsider this matter once again.

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अच्छी तरह नहीं समझा गया है । ऐसा लगता है कि प्रस्तावक ने आवश्यकता से अधिक नियमों का अध्ययन किया है । हमारे सामने जो प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि उनका सार यह है कि क्या हमें सम्पादक महोदय को क्षमा कर देना चाहिये और इस पर आगे कार्यवाही समाप्त कर देनी चाहिये अथवा नहीं । यदि यह सभा समझती है कि उन्हें क्षमा किया जा सकता है और इस मामले पर कार्यवाही समाप्त की जा सकती है तो हमें और अब किसी और प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये । अपमान के मामलों में न्यायालय भी क्षमा दे देने के बाद कोई कार्यवाही नहीं करते हैं । हमें ऐसी कोई परम्परा स्थापित नहीं करनी चाहिये जो न्यायालयों द्वारा नहीं अपनाई जाती है । मैं समझता हूँ कि एक बार इस मामले में सम्पादक को क्षमा प्रदान करने के बाद अब आगे जांच कराने से किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा । अतः प्रस्तावक महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि जब इस मामले पर विशेषाधिकार समिति विचार कर चुकी है तो इस मामले पर फिर विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है । यदि प्रस्तावक महोदय इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, before your ruling I will take only few minutes. On a point of order. Sir.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में विनिर्णय दिया जा चुका है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : आपके विनिर्णय के बाद भी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने बोलने के लिये दो मिनट का समय मांगा है । उन्होंने मेरा विनिर्णय मान लिया है । मै उनकी बात सुनने के लिये तैयार हूँ । वह कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या आपके विनिर्णय के बाद भी माननीय सदस्य को उत्तर देने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मेरा विनिर्णय मान्य है । वह केवल कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते है । इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी गई थी । किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह स्वीकार कर लिया गया है ।

Shri Madhu Limaye : Some points are still be clarified. My substitute motion is in order and I have a right to speak on it. To-day the freedom of press is being curbed by the Government, by big money interests and by foreign elements for their own interests, My intention behind the request for referring this question back to the Privileges Committee is to look into those circumstances and not to reopen the case against the Editor whose apology has already been accepted.

I accept your ruling and withdraw my substitute motion.

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी बातों पर विचार किया जा चुका है । सभा के सामने अब कोई मामला नहीं है । मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं । अतः अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य बैठ जायें ।

मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ । प्रश्न यह है :

"कि विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर, जो 19 जुलाई, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 19 जुलाई, 1967 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

ठेका श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) विधेयक

CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) BILL

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय संस्थानों में ठेका श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने और कुछ परिस्थितियों में इसे समाप्त करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय संस्थानों में ठेका श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने और कुछ परिस्थितियों में इसे समाप्त करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री हाथी : श्रीमान जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

चाय (संशोधन) विधेयक
TEA (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि चाय अधिनियम 1953 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : नियम 69 और 70 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह विधेयक कुछ बातों में अपूर्ण है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार के लिये प्रस्ताव करते समय मंत्री महोदय को अपना भाषण करने दीजिये । बाद में अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाइये ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : नियम 69 के अधीन व्यय से सम्बन्धित किसी भी विधेयक के साथ एक वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए जिसमें व्यय से सम्बन्धित खण्डों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया हो और आवर्तक और अनावर्तक व्यय के प्राक्कलन दिये गये हों । इस विधेयक के साथ कोई वित्तीय ज्ञापन सलग्न नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि राजस्व की वसूली पर कितना व्यय होगा और उससे कितना धन प्राप्त होगा । ज्ञापन न होने के कारण यह विधेयक अधूरा है और इसलिये इस पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

श्री दिनेश सिंह : ये प्रश्न लोक सभा सचिवालय ने उठाये थे और हमने उन्हें इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया था । हमने उन्हें बताया था कि अधिनियमन के पश्चात विधेयक की क्रियान्विति पर भारत की संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया जायेगा । जब भी जितने धन की आवश्यकता होगी चाय बोर्ड वह धन कर के रूप में वसूल कर लेगा और संचित निधि से कोई व्यय नहीं करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार कोई व्यय नहीं करेगी । यह व्यय चाय बोर्ड करेगा । इसलिये इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : राजस्व से कितना धन प्राप्त होगा तथा उत्पादन शुल्क से कितना धन प्राप्त होगा ? जब इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है तब तक सभा इस विधेयक पर कैसे विचार कर सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी की आपत्ति वैध थी, इसीलिये मैंने उन्हें अनुमति दी है । स्पष्टीकरण के बाद उनकी आपत्ति दूर हो गई । इसलिये अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं रह गया था ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : इस व्यवस्था के प्रश्न के विपक्ष में एक दम विनिर्णय नहीं दिया जाना चाहिए । उपकर आदि से प्राप्त राशि भी संचित निधि में जमा होती है और यह उसी का ही एक अंश है । इसलिये विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना

आवश्यक है । इस विधेयक की क्रियान्विति के लिये संचित निधि से ही धन निकालना पड़ेगा । माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति वध है । विधेयक पर सभा द्वारा विचार किये जाने से पहले मंत्री महोदय द्वारा सभा को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय ; उन्होंने यह कहा है "It is therefore certified that the implement ation of the Bill after enactment will not involve any expenditure, from the consolidated Fund of India" आप इस मामले को उठा सकते हैं । लेकिन प्रश्न यह है कि जब सरकार एक पूर्णत: स्पष्ट वक्तव्य देती है, तो फिर मैं इस बात को जोकि उठाई गई है कैसे ठीक मान लूं ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : आपत्ति इसलिए उठाई गई है कि कर भी संचित निधि का ही एक अंश है जिस कारण वित्तीय ज्ञापन आवश्यक है । मंत्री महोदय को खर्च करने के लिये धन तो संचित निधि से ही निकालना पड़ेगा ।

Shri S. M. Joshi : Sir, I support Shri Tenneti Vishwanatham. The statement of the hon. Minister that the implementation of the Bill after enactment will not involve any expenditure from the consolidated Fund of India, is not convincing This is inconsistent with the spirit of the Rules. In this connection I would like to invite your attention to Rule 69 which says that a Bill involving expenditure shall be accompanied by a Financial Memorandum which will invite particular attention to the clauses involving expenditure and the second portion of it says that such clauses shall be printed in bold type. I, therefore, suggest that the Bill should be postponed and it should be taken up with a Financial Memorandum.

श्री स० मो० बनर्जी : इस सम्बन्ध में नियम 69 बहुत स्पष्ट है और यदि यह एक धन विधेयक है, तो उस पर वित्तीय ज्ञापन संलग्न करना नितान्त आवश्यक है । इससे पहले भी ऐसा अवसर आ चुका है जब कि भूतपूर्व ससद सदस्य भी हरिविष्णु कामत ने ऐसी ही एक विधेयक के मामले में यह प्रश्न उठाया था और सभा ने एकमत होकर इस प्रश्न के पक्ष में राय दी थी और यह विनिर्णय दिया गया था कि ऐसा विधेयकों के साथ वित्तीय ज्ञापन होना जरुरी है । इसलिए इस विधेयक पर विचार आज स्थगित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जिस पिछले मामले का उल्लेख किया है वह मुझे याद है । उस मामले में मन्त्री महोदय ने यह बात नहीं मानी थी कि विधेयक की क्रियान्विति पर कोई धन खर्च नहीं होगा । इसलिये उस विधेयक पर बाद में वित्तीय ज्ञापन संलग्न किया गया था । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध हैं, मन्त्री महोदय ने प्रमाण पत्र संलग्न किया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कही गई बातों से सवथा प्रतिकूल है । इनमें स्पष्टत: कहा गया है कि कर भारत का संचित निधि में जमा किया जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर उसमें से धन विनरित किया जायेगा, और इस कर की वसूली उसी प्रकार की जायेगी जिस प्रकार चाय पर उत्पादन शुल्क की वसूली की जाती है । इसका मतलब यह है कि कर की वसूली

में कुछ खर्च जरूरी होगा। विधेयक में कर की दर बढ़ाने की व्यवस्था है, चूंकि इसे संचित निधि में जमा कराना होगा जहां से उसका वितरण होगा। इसलिये यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि इसका संचित निधि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) यद्यपि मन्त्री महोदय का कहना यह है कि इस पर संचित निधि से कोई खर्च नहीं होगा तथापि किसी भी विधान पर जिसे इस सभा में प्रस्तुत किया जाता है, खर्च अवश्य होता है और यह खर्च था तो किसी ऐसी निधि से किया जायेगा जिसकी इस प्रयोजनार्थ विरोध रूप से व्यवस्था की गई हो अन्यथा वह संचित निधि से किया जायेगा, इस मामले में, यह कर भारत की संचित निधि में जमा किया जायेगा और इसकी वसूली उसी भांति की जायेगी जिस तरह चाय पर उत्पादन शुल्क की जाती है। इसलिए कर को वसूल करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर भी कुछ न कुछ खर्च इस मद में जरूर आयेगा जिसे संचित निधि से देना पड़ेगा। किसी भी कर की वसूली बिना खर्च किये नहीं हो सकती, इसलिये इस सम्बन्ध में एक वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता है जिसमें यह बताया गया हो कि कितने धन की वसूली होगी और इस वसूली आदि पर कितना खर्च आयेगा।

Shri Madhu Limaye : Sir, the argument that Government is only making provision for collection, is not cogent and convincing. The question is whether the cess proposed to be collected is a tax or not. If it is a tax, it is covered by the provisions of the consolidated Fund of India-and it will definitely mean separate sets of accounts. I, therefore, support the issue raised by Shri S. S. Kothari and request you to postpone the consideration of the Bill and ask the hon. Minister to come with a Financial Memorandum.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मुख्य प्रश्न यह यह उठाया गया है कि यह 'सेस' है अथवा "टैक्स", विधेयक में 'सेस' शब्द का प्रयोग किया गया है। मन्त्री महोदय ने स्पष्ट तौर पर यह बताया है कि इस सम्बन्ध में संचित निधि से एक पैसा भी खर्च नहीं किया जायेगा। इसे भारत की संचित निधि में जमा किया जायेगा और जमा राशि से अधिक धन नहीं निकाला जायेगा। इसलिये उठायी गई आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री रा० बहुआ : नियम 69 के उप नियम (2) में 'व्यय' (expenditure) शब्द का अर्थ संचित निधि से धन खर्च करने का है। इसलिये वित्तीय ज्ञापन के सम्बन्ध में उठायी गई आपत्ति वैध है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I would like to invite your attention to Article 366 which says "taxation includes the imposition of any tax or impost." The Bill itself makes it clear that the cess provided for in the Bill is a tax and that it is a money Bill. It says :

"There shall be levied and collected as acess for the purpose of this Act a duty of excise on all tea produced in India at the rate of four paise per kilogramme."

Secondly, the Bill seeks to provide for the levy of the cess not merely on tea exported out of India but on all tea produced in India and for its collection alongwith and in the same manner as the excise duty on tea. That means some expenditure is necessary to be involved in the collection. The Bill seeks to increase the rate of cess, that means more money is to be collected and that will require separate set of accounts, correspondence etc. involving an additional expenditure. In these circumstances, the Bill is a money Bill and it requires a Financial Memorandum to be attached to it, and the objection raised is valid and should not be ruled out.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : वास्तव में विधेयक से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती कि यह एक उत्पादन शुल्क है जैसा कि विधेयक में कहा गया है ।

There shall be levied and collected as a cess for the purposes of this Act a duty of excise on all tea produced....."

जब हम उत्पादित चाय पर एक उत्पादन शुल्क लगा रहे हैं, तो संचित निधि का वस्तुतः एक अंश है और बाद में वह राशि चाहे समूची चाय बोर्ड को हस्तान्तरित की जाये अथवा अंशतः वह बात पूर्णतः सारहीन है । इसलिये इस शुल्क अथवा विधेयक का संचित निधि से सम्बन्ध अवश्य है और मन्त्री महोदय को वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत करना नितान्त आवश्यक है ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : इस शुल्क को चाहे उत्पादन शुल्क के साथ साथ वसूल किया जाये और इस कार्य के लिये चाहे अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति न करनी पड़े, फिर भी उसके लिए अलग हिसाब किताब रखने की आवश्यकता पड़ेगी और अतिरिक्त खर्च जरुर होगा । इसलिये यह एक धन विधेयक है तथा वित्तीय विज्ञापन अनिवार्य है ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस विधेयक की क्रियान्विति के फलस्वरूप जो कुछ भी वसूली होगी वह संचित निधि में जमा होगी । किन्तु इस विधेयक के कारण संचित निधि से चाय बोर्ड को धन के हस्तान्तरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह केवल एक वसूली है जो संचित निधि में जमा हो जायेगी । इस प्रकार का मामला नियम 69 के अन्तर्गत नहीं आता ।

हमें विधेयक पर विचार करना है और इस बात की जांच करनी है कि उस के किसी खण्ड में खर्च का कोई उल्लेख तो नहीं है, यदि किसी भी खण्ड में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर वित्तीय ज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में हम काफी विचार-विमर्श कर चुके हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को पहले से ही ऐसी आशा थी कि सदस्यगण इस सबन्ध में आपत्ति उठायेंगे और इसलिये उसने इस मामले पर पहले ही काफी सोच-विचार कर लिया था । जहां तक नियम 69 के लागू होने का सम्बन्ध है विधि मन्त्री ने बताया है कि यह मामला इस नियम के अन्तर्गत नहीं आता । इस मामले पर सम्बन्धित विभागों ने पहले ही अच्छी तरह सोच-विचार कर लिया था मुझे इस बात का यकीन हो गया है ।

इस प्रश्न पर कि क्या विधेयक के अधिनियम के पश्चात् उसकी क्रियान्विति के लिये भारत की संचित निधि से खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, मन्त्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने इस पहलू पर वित्त मन्त्रालय के साथ विचार-विमर्श किया था और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस विधेयक की क्रियान्विति के लिये भारत की संचित निधि से खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मामले पर मुझे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उठायी गई आपत्ति तथा अन्य सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मैं वाणिज्य मन्त्री की दिनेश सिंह को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता हूँ।

श्री दिनेश सिंह : चाय अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत चाय बोर्ड की स्थापना की गई है और भारत से बाहर भेजी जाने वाली चाय पर उत्पादन शुल्क के रूप में लगाये जाने वाले उपकर से जो आय होती है वह भारतीय चाय बोर्ड को मिलती है। निर्यात कर की वर्तमान दर 4.4 पैसा प्रति किलोग्राम है और निर्यात कर से 90 लाख रुपये की आमदनी होती है। जब कि हाल के वर्षों में उपकर की जो वसूली हुई है उसमें से चाय बोर्ड को 2 करोड़ 50 लाख रुपये दिये गये हैं। जब तक संचित निधि में चाय पर लगाये गये उपकर से प्राप्त राशि पर्याप्त मात्रा में जमा थी, तब तक वर्तमान राजस्व साधन को बढ़ाये बिना इसका प्रबन्ध किया जा सकता था। किन्तु अब जब कि इस राशि में काफी कमी हो गई है, वर्तमान निर्यात उपकर आमदनी से चाय बोर्ड को धन देना सभव नहीं होगा इसके अलावा चाय बोर्ड के क्रियाकलापों में अब काफी वृद्धि हो गई है और यदि चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि के लिये उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करनी है, तो इस बोर्ड के विकास तथा उन्नति के लिये और अधिक धनराशि की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

इस मामले की जांच करने के लिये कुछ समय पूर्व हमने एक चाय वित्त समिति बनाई थी, उक्त समिति स्थिति की पूरी तरह जांच करने पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भविष्य में चाय बोर्ड की क्रियाकलापों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिये हमें राजस्व में वृद्धि करनी पड़ेगी, समिति ने ऐसा महसूस किया है कि निर्यात पर इस समय जो उपकर लगाया जाता है उसे देश में उत्पादित सभी चाय पर लगाया जाना चाहिए और इसे सीमा शुल्क के रूप में नहीं अपितु उत्पादन शुल्क के रूप में वसूल किया जाना चाहिए।

{श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhatcharya *in the Chair*}

तदनुसार इस विधेयक का उद्देश्य नये आधार पर भारत में उत्पादित सभी किस्म की चाय पर एक उपकर अर्थात् उत्पादन शुल्क लगाना है। इसमें 4 पैसे प्रति किलोग्राम की दर निर्धारित की गई है जिसकी सिफारिश चाय वित्त समिति ने की है और इसके साथ साथ इसमें सरकार को आवश्यकता पड़ने पर राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस दर को 8.8 पैसे प्रति किलोग्राम तक बढ़ाने की शक्ति देने की मांग की गई है। आशा है सभा इस विधेयक का अनुमोदन करेगी।

मैं विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

सभापित महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि चाय अधिनियम, 1953 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

सभापति महोदय : श्री कोठारी ।

श्री स्वतन्त्र सिह कौठारी (मंदसौर) - चाय बोर्ड ने जितना खर्च किया है उसके अनुरूप देश को इस की गतिविधियों से लाभ नहीं हुआ है । चाय बोर्ड विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के प्रति रूचि पैदा करने में विफल रहा है । चाय बोर्ड यह प्रचार करता रहा है कि भारतीय चाय अच्छी है । फिर इसके उपरान्त श्री लंका ने यह प्रचार करना आरम्भ कर दिया कि श्री लंका की चाय अच्छी है इस प्रकार चाय बोर्ड द्वारा किये गये प्रचार का लाभ श्रीलंका ने उठा लिया है । अत: मेरा निवेदन है कि भारतीय चाय को लोक प्रिय बनाने के लिये एक राष्ट्रीय अभियान आरम्भ किया जाना चाहिये । हमारे अभियान का उद्देश्य विदेशों में भारतीय चाय की सर्वोच्चता स्थापित करना होना चाहिये । भारतीय चाय बोर्ड को विदेशी बाजारों में अपना स्थान बनाना है और निर्यात को बढ़ाना है तो परमावश्यक एक राष्ट्रीय अभियान आरम्भ किया जाये ।

आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1965 में ब्रिटेन को चाय निर्यात की गई, भारत को उसका मूल्य 2.56 रुपये प्रति पौंड के हिसाब से प्राप्त हुआ, जबकि उसे ब्रिटेन के फुटकर बाजार में 7,30 रुपये प्रति पौंड से 42 रुपये प्रति पौंड तक बेचा गया । इस से यह सिद्ध होता हैं कि चाय के निर्यात से इस देश की विदेशी मुद्रा को जितनी आय होनी चाहिये, वह नहीं हो रही है, और लाभ का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन अथवा अमरीका के निर्यातकर्ता खा जाते है । अमरीका के बाजारों में वर्ष 1965 में जो भारतीय चाय बेची गई उस के मूल्य के रूप में भारतीय निर्यातकों को केवल 3.77 रुपये प्रति पौंड के हिसाब से धन प्राप्त हुआ, जब कि उस फुटकर मूल्य 18.78 रुपये प्रति पौंड था । इन आंकड़ों से पता चलता हैं कि चाय के निर्यात में हमें कितनी हानि उठानी पड़ रही है । अत: चाय बोर्ड को चाय के सम्मिश्रण और विपणन की उचित व्यवस्था करनी चाहिये । चाय अलग अलग डिब्बों में बन्द की जानी चाहिये, जिस पर भारतीय लेबल लगे हों, और इन डिब्बों को ब्रिटेन अमरीका तथा अन्य विदेशी बाजारों में सीधे पंसारी की दुकानों पर पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिये । इस उद्देश्य के लिए चाय बोर्ड को एक चाय बिक्री निगम की स्थापना करनी च हिये । इस निगम को न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी चाय सम्मिश्रण के कारखाने स्थापित करने चाहिये । जहां तक सभव हो भारतीय डिब्बे सीधे उपभोक्ता के पास पहूंचने चाहिए, ताकि हमारे देश को अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके ।

चाय उद्योग का पुन: विकास करने के लिये उचित कार्यवाही नहीं की गई है । चाय के पौधों को पुन: लगाने तथा नये पौधे लगाने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये । इसके प्रयोजनार्थ चाय वित्त गारंटी निगम स्थापित करने का प्रस्ताव था, परन्तु चाय बोर्ड ने कहा कि वह स्वयं इस काम की देखभाल करेगा । परन्तु चाय बोर्ड ने इस समस्या की ओर बिल्कुल

ध्यान नहीं दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय चाय की किस्म दिन प्रति दिन गिर रही है। यदि आगामी तीन वर्षों में उचित उपाय नहीं किये, तो भारतीय चाय की मांग बिल्कुल खत्म हो जायेगी।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में यह उपबन्ध नहीं किया गया है कि शुल्क को पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ा कर 88 पैसे प्रति किलोग्राम करने वाली प्रत्येक अधिसूचना को इस सभा के सामने रखा जायेगा मेरा सुझाव है कि प्रत्येक अधिसूचना सभा के सामने रखी जानी चाहिये तथा इस सभा की स्वीकृति ली जानी चाहिये तथा इस के उपरान्त इसे लागू किया जाना चाहिये। चाय बोर्ड की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह चाय के निर्यात में कितनी वृद्धि करता है। भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिये एक राष्ट्रीय अभियान आरम्भ किया जाना चाहिये। बिचौलिये के मुनाफे के कारण हमें विदेशी मुद्रा को काफी हानि हो रही है, इसे तुरन्त खत्म किया जाना चाहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द): यह विधेयक चाय बोर्ड की गतिविधियों के लिये धन की व्यवस्था करने के लिए प्रस्तुत किया गया हैं। भारत में तथा अन्य देशों में चाय बोर्ड की गतिविधियों में वृद्धि हो गई है। चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए हमें चाय बोर्ड कार्य-संचालन में सुधार करना है। श्री शांति लाल शाह ने भी इस बात पर जोर दिया था कि चाय बोर्ड के कार्य संचालन में सुधार किया जाना चाहिये। चूंकि चाय बोर्ड की वित्तीय आवश्यकतायें बढ़ती जा रही हैं इस लिए हमें इस के लिये अधिक धन व्यवस्था करनी है। वित्त विधेयक पर बोलते समय उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री ने ठीक ही कहा था कि चाय की खपत को कम किया जाना चाहिये, अन्यथा चाय का निर्यात कम हो जायेगा और निर्यात के लिये चाय नहीं बचेगी। भारत प्रति वर्ष लगभग 115 करोड़ रुपये की चाय का निर्यात करता है और चाय का निर्यात करने वाले देशों में हमारा दूसरा स्थान है। चाय का निर्यात करने वाले देशों में प्रथम स्थान श्री लंका का है। वह हमारा पड़ोसी देश है। हम उस के साथ वह प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते परन्तु हमें भी उस की भांति अपनी प्रचार व्यवस्था को बढ़ाना चाहिये। चाय उद्योग से देश में दस लाख श्रमिकों को रोज गार मिला हुआ हैं।

वर्ष 1951 में हमारे देश में चाय का उत्पादन 28.5 करोड़ किलोग्राम था और वर्ष 1966 में यह उत्पादन बढ़कर 37.5 करोड़ किलोग्राम हो गया है। परन्तु यह अजीब बात है कि उत्पादन न बढ़ने के बाद भी हमारा निर्यात स्थिर रहा है और बढ़ नहीं सका है। निर्यात न बढ़ने का कारण यह है कि चाय की हमारी आन्तरिक खपत बढ़ गई है। वर्ष 1956-58 में हमारी प्रति व्यक्ति चाय की खपत 0.25 किलोग्राम थी और वर्ष 1962-64 में बढ़ कर यह खपत 0.39 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है। इस का परिणाम यह हुआ कि जो वर्ष 1950-51 में हमारी चाय की निर्यात जो 72 प्रतिशत थी, वह वर्ष 1965-66 में घटकर 54 प्रतिशत रह गई हैं। इस लिये यह आवश्यक है कि निर्यात को बढ़ाने के लिये पूरे प्रयत्न किये जाये, ताकि चौथी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें। विदेशी बाजारों में बढ़िया किस्म की चाय की मांग अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ी है, जब कि उत्पादन घटिया किस्म की चाय का अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। इस लिये अच्छी किस्म की चाय उपज की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। साथ ही मूल्य भी ऐसे होने चाहिए कि हम चाय का निर्यात करने वाले अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक रुसी वैज्ञानिक ने यह पता लगाया है कि भारतीय चाय में विटामिन बी कम्पेलेक्स है और यह स्वास्थ्य वर्द्धक है और जो भी इस चाय को पीता है, वह अपने स्वास्थ्य को सुधारता है। परन्तु मेरा निवेदन है कि हमें चाय कम पीनी चाहिये, ताकि हम निर्यात को बढ़ा सकें।

मैं अपना यह संशोधन कि विधेयक की धारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होने के तुरन्त बाद लोकसभा के सामने रखी जाये प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : श्रीमान, मैं चाय (संशोधन) विधेयक 1967 का विरोध करता हूँ। इस सभा में हमने चाय के बारे में तथा चाय उद्योग के बारे में विभिन्न प्रस्तावों एवं उद्घोषणाओं को सुना है, मैं समझता हूं उनका केवल एक ही उद्देश्य है और वह है देश की अर्थ व्यवस्था को बर्बाद करना, जिसे यह सरकार बड़ी कर्तव्य निष्ठा से निभा रही है।

मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि चाय वित्त समिति ने स्वयं 4 पैसे प्रति किलोग्राम उपकर लगाने का सुझाव दिया था। परन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि चाय वित्त समिति ने बहुत से अन्य सुझाव भी दिये थे। उस समिति ने ये सुझाव तीन वर्ष पूर्व दिये थे और गत तीन वर्षों में जो कुछ किया गया है, उससे चाय उद्योग को हानि ही हुई है। वर्ष 1956 से 1965 की अवधि में भारत के चाय के उत्पादन में केवल 19 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि इस अवधि में श्री लंका में चाय के उत्पादन में 93 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

हम दुनिया में चाय के सबसे बड़े निर्यातक थे, परन्तु अब वह स्थिति नहीं है। अब हमारा स्थान दूसरा है और प्रथम स्थान श्री लंका ने ले लिया है। वर्ष 1953 में हमारा निर्यात 45 प्रतिशत था और अब यह घटकर लगभग 35 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 1965 में हमने 21 करोड़ 10 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया था परन्तु वर्ष 1966 में हमारा निर्यात घटकर केवल 19 करोड़ 30 लाख किलोग्राम रह गया। वर्ष 1966 में हमारा निर्यात और भी घटा है और उस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार केवल 17 करोड़ 80 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया। यह एक बहुत चिन्ताजनक स्थिति है। इस चिन्ताजनक स्थिति में इस उद्योग को पुनः अपने स्तर पर लाने के लिये उत्साहवर्द्धक कदम उठाने की बजाये सरकार ने इस प्रकार के रूप में और अधिक कर लगाने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री ने पहले ही गत वर्ष के बजट में पर्याप्त कर लगा दिये थे, परन्तु वाणिज्य मंत्री और नया उपकर लगाना चाहते हैं। यही नहीं वह यह भी चाहते हैं कि सरकार को सरकारी आदेश द्वारा इस उपकर को 4 पैसे प्रति किलोग्राम से 8·8 पैसे प्रति किलोग्राम तक बढ़ाने की शक्ति दी जाये। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार अपनी इच्छानुसार इनमें वृद्धि कर सकेगी। यह बिल्कुल अनुचित है और इसका कोई औचित्य नहीं है।

चूंकि इस उपकर का उद्देश्य चाय बोर्ड के लिये अधिक धन प्राप्त करना है, इसलिये मैं चाय बोर्ड के लिये कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। चाय बोर्ड त्रुटिपूर्ण है और यह अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है। चाय बोर्ड का मुख्य कार्य भारत में तथा विदेशी बाजारों

में चाय को लोकप्रिय बनाना है, परन्तु यह अपने इस कार्य में पूर्णतया असफल रहा है। चूंकि चाय बोर्ड अपने कर्त्तव्यों में विफल रहा है और निर्यात को बढ़ाने में असमर्थ रहा है, इसलिये इसका खर्च इस प्रकार नहीं बढ़ाया जाना चाहिये तथा लोगों पर इसका बोझ नहीं डालना चाहिये। चाय बोर्ड की गलतियों का बोझा लोगों पर डालना अनुचित है। मंत्री महोदय को चाय बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिये।

महोदय, चाय उद्योग एक करोड़ 60 लाख रुपये के इस अतिरिक्त भार को सहन नहीं कर सकेगा। हम बड़ी भारी मन्दी से गुजर रहे हैं। इस समय जैसी मन्दी है, ऐसी मन्दी का सामना हमें गत कई वर्षों में नहीं करना पड़ा। इस समय जरुरत इस बात की है कि करों को कम किया जाय, ताकि जनसाधारण अपनी बचत को बढ़ा सकें। उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब कि लोगों की उपभोक्ता शक्ति बढ़ाई जाये और उपभोक्ता शक्ति तभी बढ़ सकती है, जब उनकी बचत बढ़ेगी। यह समय अधिक कर लगाने का नहीं है और इस उपकर को लगाना बहुत अनुचित होगा।

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : जो उपकर वसूल किया जाना है, वह चाय बोर्ड पर खर्च किया जाना है, जो कुछ उन्नति सम्बन्धी तथा अन्य कार्य कर रहा है। इस सीमा तक मैं इस उपकर का स्वागत करता हूं। परन्तु विश्व के बाजारों में भारतीय चाय को जो कठिनाई पेश आ रही है, उसके परिणामस्वरूप उन्नति का काम संकट में पड़ गया है। यद्यपि हमारा चाय का उत्पादन दुगना हो गया है, तथापि हम अपने आधे उत्पादन का भी निर्यात नहीं कर सके हैं। यह सर्व विदित है कि गत छः अथवा सात वर्षों में हमारा चाय का निर्यात 46 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत रह गया है और भविष्य में इसके और अधिक घट जाने की सम्भावना है।

हमारे चाय के निर्यात में जो कमी आई है उसका कारण यह है कि हमारी चाय नीति में कुछ परस्पर विरोधी बातें हैं। चाय बोर्ड में ब्रिटेन के उद्योगपतियों तथा चाय बागान के भारतीय मालिकों, दोनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। परन्तु ब्रिटेन के हितों और भारतीय हितों में परस्पर विरोध है, जिसका चाय बोर्ड पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत के ब्रिटिश चाय व्यापारियों के हित अफ्रीका में भी हैं। मूल्य में वृद्धि होने के कारण तथा कुछ अन्य कारणों से भी ब्रिटिश चाय उत्पादक सम्भवतः भारत से बाहर जाना चाहते हैं। यदि हम ब्रिटिश व्यापारियों की हरकतों पर ध्यान नहीं देते तो यह हमारी उपेक्षा की हद होगी और इससे हमें हानि उठानी पड़ेगी।

यदि चाय बागान के मालिक फिर से बगान नहीं लगाते हैं, तो चाय के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकेगी, क्योंकि जितनी भूमि पर खेती होती है, वह बढ़ने की बजाय घट रही है। आज जो हो रहा है, वह यह है कि चाय बोर्ड के उन्नति सम्बन्धी प्रयत्नों के बावजूद उत्पादन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय तथा ब्रिटिश व्यापारियों के हितों में परस्पर विरोध है। चाय बागान का स्वामित्व ब्रिटिश व्यापारियों के हाथों से भारतीय व्यापारियों के हाथों में आ रहा है और इसके काफी विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है।

श्री कोठारी ने कहा है कि चाय के प्रसार के लिये राष्ट्रीय अभियान किया जाना चाहिये। यह बात कुछ हद तक सही है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि चाय को कॉफी तथा अन्य पत्र पदार्थों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अतः यह आवश्यक है कि दूसरे देशों से सहयोग प्राप्त किया जाय। इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की है कि न केवल चाय के निर्यात को बढ़ाया जाये बल्कि कलकत्ते में गोदामों की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। गोदामों से मेरा तात्पर्य ऐसे गोदामों से नहीं है, जो कि चाय को रखने के लिये पहले ही चाय बोर्ड के पास हैं, बल्कि ये नये गोदाम ऐसे होने चाहिये, जैसे कि लंदन के बाजार में हैं, जहां चाय जमा की जाती है उसे साफ किया जाता है, उसका संमिश्रण किया जाता है तथा उसे डिब्बों में बन्द किया जाता है।

हमें इस बात को भी याद रखना चाहिये कि हम एक खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खाद्य तथा कृषि संगठन ने वक्तव्य दिया है कि वर्ष 1975 तक चाय का उत्पादन एक लाख टन अधिक हो जायेगा और यह भारत की लागत पर होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय चाय व्यापार और ब्रिटिश चाय व्यापारियों की हरकतों से सावधान रहें। वास्तव में कुछ ब्रिटिश व्यापारी आसाम के चाय बागान से पहले ही अफ्रीका के कुछ देशों में जा चुके हैं। यदि हमने सस्ते दामों पर चाय बेचने के लिये कोई कार्यवाही न की और बाजार में अपना स्थान नहीं बनाया तो हम अपने उत्पादों का निर्यात नहीं कर सकेंगे।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ने कहा था कि निर्यात के लिये और अधिक चाय बचाने के उद्देश्य से सरकार ने चाय उपभोक्ताओं पर उत्पादन शुल्क का यह अतिरिक्त बोझ डाला है। मैं मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत नहीं हूं, क्योंकि चाय का निर्यात न बढ़ने का यह कारण नहीं है कि निर्यात करने के लिये हमारे पास फालतू चाय नहीं है। वर्ष 1966 में 1965 की अपेक्षा चाय का उत्पादन अधिक हुआ है, तथापि वर्ष 1966 में वर्ष 1965 की अपेक्षा चाय के निर्यात में कमी आई है। अतः यह बात तर्कसगत प्रतीत नहीं होती कि देश में चाय की खपत को कम करने के लिये यह उपकर लगाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस बात का स्पष्टीकरण करें। एक ओर तो मंत्री महोदय यह दावा कर रहे हैं कि चाय के निर्यात के लिये काफी गुंजाइश है और दूसरी ओर चाय का निर्यात घट रहा है। वास्तविकता यह है कि श्री लंका तथा पूर्वी अफ्रीका हमारे बाजारों पर कब्जा कर रहे हैं।

चाय बोर्ड में सुधार करने के लिये काफी गुंजाइश है। मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि चाय बोर्ड कुछ काम कर सके और अपने धन से अपनी स्थिति को सुधार सके।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि चाय की सब किस्मों पर 4 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपकर वसूल करना सरासर अन्याय है। अन्ततः चाय भारत में जनसाधारण लोगों का पेय है। यह कहना भी सच नहीं है कि दक्षिण भारत में लोग चाय की बजाय कॉफी पीते हैं। दक्षिण भारत में भी जनसाधारण चाय ही पीते हैं। अतः चाय सम्पूर्ण देश के सर्वसाधारण व्यक्तियों का पेय है। श्रमिक वर्ग अधिकतर

घटिया किस्म की चाय का इस्तेमाल करता है। परन्तु इस विधेयक में सभी प्रकार की चाय के उत्पादन पर उपकर लगाने का उपबन्ध किया गया है। सरकार को देखना चाहिये कि कम से कम उस किस्म की चाय पर कर न लगाया जाये, जिसे श्रमिक वर्ग पीता है। हमें बताया गया है कि घटिया किस्म की चाय का निर्यात नहीं किया जाता, और इसकी खपत केवल देश में ही होती है। अतः इस पर उपकर लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

चाय वित्त निगम ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि नीलगिरि में जो चाय पैदा होती है, उसे घटिया किस्म की चाय की श्रेणी में रखा जाय। परन्तु दुर्भाग्यवश इस चाय की बढ़िया किस्म की चाय में शामिल किया गया है। इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें और इस वर्गीकरण को ठीक किया जाना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : There was a time, when it was stated by Birbal in reply to a question, of King Akbar, that bettle leaf is of paramount importance because it was being used daily by the king himself. But that thing is not ture to-day. In the modern age tea leaf is of paramount importance, because it is used by all of us-the poor labourer, the farmer, the weak and the strong and above all the high ups and the Ministers themselves. Tea is being consumed by the commonmen and hence it is of paramount importance to up. But at the same time we are in a difficult position. We want tea for our internal consumption and at the same time we want it for export in order to earn foriegn exchange, because foreign exchange is badly needed for importing defence equipment. It is good thing that our production should go up. Our export should go up and our earnings of foreign exchange should go up. For that matter we want money and that is why this cess is being levied. I have no objection to this, if it is levied for the purpose of raising production and boosting up our exports. But at the same time I caution the Government that the prices of tea should not increase to the extant that it goes above the reach of the poor. We should earn as much foreign exchange as possible but it should not be earned by depriving our children and weaker sections of our society from taking tea.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही इस सभा द्वारा जो बजट पास किया गया हैं, उसमें चाय के उत्पादन शुल्क में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है। यह विधेयक देश के साथ और देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसके द्वारा जो उपकर लगाया जा रहा है, वह सर्वथा अनुचित है। इस बात से कोई मतलब हल नहीं होता कि यह रकम भारत की संचित निधि में नहीं रखी जायेगी और यह सीधी चाय बोर्ड के पास चली जायेगी। अन्ततः इसका प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ेगा। अतः यह विधेयक अनुचित है। इसके द्वारा देश की गरीब जनता के मुख से चाय का प्याला छीना जा रहा है।

मैं वित्त मंत्री से इस विचित्र कथन से, जिके अब वाणिज्य मंत्री द्वारा दौहराया जा रहा है कि देश में चाय की खपत को कम किया जाना चाहिये ताकि निर्यात करने के लिये अधिक चाय उपलब्ध हो सके, सहमत नहीं हुई। भारतीय चाय के निर्यात में जो कमी आई है, उसका कारण यह नहीं है कि हमारे पास निर्यात करने के लिये फालतू चाय नहीं थी। हमारी चाय के निर्यात में जो कमी आई है उसका कारण यह है कि श्री लंका तथा पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन के बाजारों में अधिक चाय भेजी जा रही है तथा दुनिया के बढ़ते हुये उत्पादन के कारण मूल्य

गिरते जा रहे है। इसलिये यह सिद्धान्त कि हमें देश में चाय की खपत को कम करना चाहिये, ताकि विदेशों में निर्यात करने के लिये अधिक चाय उपलब्ध हो सके, सर्वथा निरर्थक है।

जहां तक चाय बोर्ड का सम्बन्ध है हम इससे संतुष्ट नहीं हैं कि चाय बोर्ड की गतिविधियां ऐसी हैं कि उन पर अधिक खर्च किया जाना न्यायोचित है। चाय बोर्ड के हमें बताना चाहिये कि उनकी क्या क्या गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसके लिये उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। चाय बोर्ड ने जो कुछ किया है वह यह है कि उसने लन्दन, पैरिस, न्यूयार्क, ब्रूसैल्स तथा बौन में भारतीय चाय बेचने के लिए कुछ आकर्षक चाय गृह, रेस्तरां तथा कैफे खोल रखे हैं, और उनमें सुन्दर युवतियों को चाय बेचने के लिये बैठा रखा है। यह है चाय बोर्ड का कार्य, जो वह कर रहा है। वास्तव में चाय बोर्ड का काम चाय बेचना नहीं, अपितु बड़े बड़े अधिकारियों की सुन्दर पुत्रियों को विदेश भेजना हो गया है। चाय बोर्ड का मुख्य काम यह होना चाहिये कि इस देश में पैकिंग और मिश्रण के लिये मार्गोपाय ढूंढे जायें और सम्मिश्रण के लिये भारतीय चाय को बाहर नहीं जाने दिया चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि कुछ अधिकारियों की लड़कियों को विदेश भेजा जाता है अथवा उनका निर्यात किया जाता है। सैल्स गर्ल्ज के रुप में कुछ लड़कियों को विदेशों में भेजने में क्या गलती है? वे वहां प्रदर्शन कक्षों अथवा प्रदर्शनियों में काम करती हैं। इसमें क्या गलत बात है? जब कभी लड़कियों को विदेश में सैल्स गर्ल्ज के रुप में भेजा जाता है, तो माननीय सदस्य इस लहजे में बात करते हैं, जिससे उनका मजाक उड़ाया जाता है। क्या यह उचित है?

सभापति महोदय : मैं माननीय महिला सदस्या से पूर्णतया सहमत हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त को स्त्रियों की मानहानि नहीं करनी चाहिये थी।

यद्यपि हमारे देश में बहुत अच्छी चाय का उत्पादन होता है तथापि हमारे देश में उत्पादित चाय को भारतीय चाय के नाम से नहीं बेचा जाता है। चाय को डिब्बों में बन्द भी यहां पर नहीं किया जाता है।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr Deputy Speaker *in the Chair*}

चाय बोर्ड का बाल्मेर-लारीज जैसी ब्रिटिश फर्मों पर भी कोई नियन्त्रण नहीं है। चाय बोर्ड श्रीलंका तथा अन्य देशों की तरह चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है। अतः हम इस मामले से बिल्कुल भी सन्तुष्ट नहीं है। यदि प्रस्तावित उपकर लगाया ही जाना है तो जो लोग निर्यात का काम नहीं करते उनको इस प्रकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिए। वास्तव में इस उपकार से सामान्य जनता पर अधिक बोझ पड़ेगा।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि चाय बोर्ड की गतिविधियों में कौनसी वृद्धि हुई है जिसके लिए अधिक धन की मांग की जा रही है। मेरे विचार में चाय

बोर्ड पूरी तरह असक्षम तथा अलाभप्रद सिद्ध हुआ है। अतः मैं इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूँ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रामगंज) : जिन क्षेत्रों में चाय बागान हैं उनसे मेरा सम्बन्ध है। मैं इस विधेयक के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक को इस पूर्वधारणा के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि सरकार चाय बोर्ड को उसके कार्य में सहायता करने के लिए बहुत चिन्तित है। परन्तु सरकार चाय बोर्ड के मामले में उसके अधिकारियों की राय से नहीं बल्कि अपने अधिकारियों की राय से काम करती है।

चाय बोर्ड चाय उद्योग की तीन तरीकों से अर्थात चाय के पौधे लगाने के लिए धन देकर, उपकरणों की खरीद के लिए किराय-खरीद की सुविधाएं तथा सिंचाई के लिए वित्त देकर सहायता करता है। परन्तु गत सितम्बर में चाय बोर्ड ने जीप गाड़ियों तथा ट्रकों को किराया-खरीद प्रणाली में शामिल करने की सूचना दी। परन्तु इससे पूर्व की इस बारे में संकल्प पारित किया जाता बोर्ड के उप-अध्यक्ष ने जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है एक अधिकारी है, ने कहा कि सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। इसके बावजूद बोर्ड ने सर्वसम्पति से इत बारे में एक संकल्प पारित किया। परन्तु सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया।

यदि सरकार ने चाय बोर्ड के प्रति यही रवैया अपनाना है तो इस विधेयक को पेश करने तथा बोर्ड को बनाये रखने का कोई लाभ नहीं है।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मेरे विचार में मंत्री महोदय द्वारा इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत किया जाना एक बहुत ही अनुचित बात है। मंत्री महोदय ने बताया है कि चाय बोर्ड की चाय उद्योग के विकास तथा चाय निर्यात सम्बन्धी गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि वे गतिविधियां क्या है तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं तथा उनको किस प्रकार विकास बढ़ाया जाना है तथा ऊपर कितना व्यय होगा।

इस चाय बोर्ड को स्थापित हुए 20 वर्ष से अधिक समय हो गया है परन्तु इसने चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कुछ भी नहीं किया है। इसका एक कारण मेरे विचार में यह भी है कि हमारे चाय उद्योग पर विदेशियों का नियन्त्रण है। ये विदेशी व्यापारी इस पक्ष में है कि इस उद्योग से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा हमारे देश को न मिलकर किसी अन्य देश को प्राप्त हो।

यदि सरकार वास्तव में यह चाहती है कि उसको इस उद्योग से अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय हो तो उसको इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए एक सरल विधेयक सभा में प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार को इस महत्वपूर्ण उद्योग से सम्बन्धित विदेशी हितों को अपने नियन्त्रण में ले लेना चाहिए। परन्तु सरकार ब्रिटिश हितों को अपने नियन्त्रण में लेने से डरती है क्योंकि वह विदेशियों को इस देश में धन लगाने के लिए कह रही है चाहे उसके लिए देश को कितना ही मूल्य क्यों न देना पड़ता हो।

इस विधेयक के पास होने से देश की सामान्य जनता पर अधिक बोझ पड़ेगा और इससे विदेशी हितों द्वारा हमारे साधनों जो शोषण किया जा रहा है वह समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : चाय बोर्ड के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने हेतु इस विधेयक को प्रस्तुत करने में मैं सरकार के मन्तव्य की सराहना करता हूं। यह विधेयक विशेषकर चाय बोर्ड के माध्यम से चाय उद्योग में सुधार करने, चाय की किस्म को सुधारने तथा चाय उद्योग को अन्य सुविधायें देने हेतु ही लाया गया है।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 112 में जो योग दिये गये हैं वे सही नहीं हैं। अन्य कई आंकड़े भी ठीक नहीं है। प्रतिवेदन में राजस्व के बारे में तो बताया गया है परन्तु व्यय के बारे में कुछ भी नही बताया गया है। चाय बोर्ड ने कुछ नये कार्य भी आरम्भ किये हैं। उदाहरणत: उन्होंने सिक्किम तथा भूटान में चाय की खेती के तजुर्बे किये हैं परन्तु मेरे अपने राज्य में जहां कि चाय बागान अत्यधिक हैं ऋण आदि देने के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। चाय बोर्ड के कार्य के बारे में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरे एक मित्र ने 1-11-1966 को ऋण के लिए आवेदन-पत्र दिया था परन्तु 27-6-1967 को उनको यह उत्तर दिया गया कि सम्बन्धित कागजात अधिकारी के कमरे में है और कि विभाग अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार हमारे चाय बोड कार्य कर रहा है।

चाय बोर्ड के लिए एकत्र किये गये धन का उचित प्रयोग नहीं किया जाता। कलकत्ता अथवा गोहाटी के विश्वविद्यालयों में इस बारे में अनुसंधान करने अथवा प्रबन्धक पाठ्यक्रम चालू करने के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को चाय बोर्ड के कार्य की सावधानी से जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह उद्योग के लिए अच्छा कार्य कर रहा है अथवा इस पर व्यय किये जाने वाले धन का अपव्यय हो रहा है।

श्री हुचे गौडा (चिकमगलूर) : माननीय मित्रों ने निर्यात तथा अन्य बातों के बारे में तो कहा है परन्तु उत्पादकों की कठिनाइयों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है। चाय का उत्पादन अधिकांश रूप से पहाड़ी प्रदेशों में होता है परन्तु उत्पादकों तथा वितिहरों के लिए उचित सुविधायें उपलब्ध नहीं है। कर्मचारियों को मकान तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए। चाय अथवा काफी उद्योग अन्य उद्योगों की तरह विकसित नहीं है। चाय तथा काफी उगाने वालों को राज्य करों के अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भी देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त काफी तथा चाय के उत्पादन शुल्क में वित्त विधेयक द्वारा वृद्धि की गई है। 1956 के पश्चात चाय तथा काफी की खेती करना और भी कठिन हो गया है क्योंकि खाद, औजार तथा अन्य चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हैं। इन वस्तुओं को काले बाजार से क्रय करना पड़ता है। इन वस्तुओं को उचित दामों पर सप्लाई करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

चाय वैसे तो सभी वर्गों के लोगों का पेय है परन्तु यह विशेषकर गरीब लोगों का मुख्य पेय है इस पर उपकर की दर को चार पैसे से बढ़ाकर जो आठ पैसे किया गया है उससे खेतिहरों के गरीब वर्ग पर अधिक बोझ पड़ेगा। उत्पादकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इससे उपभोक्ताओं पर भी बुरा असर पड़ेगा और उनको चाय के कप के लिये अधिक पैसे देने पड़ेंगे। यद्यपि बहुत से लोगों ने इस उद्योग में काम आने वाली विभिन्न मशीनों के आयात के लिये आवेदन-पत्र दे रखे हैं तथापि सरकार ने उनको लाइसेंस आदि नहीं दिये हैं।

इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह विधेयक को वापस ले लें।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : विरोधी दलों की ओर से अप्रत्यक्ष करों का विशेषकर जहां तक चाय का सम्बन्ध है बहुत विरोध किया गया है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस उद्योग से ब्रिटिश हितों ने लाभ उठाया है। चाय बोर्ड विद्यमान है परन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लन्दन ही चाय बाजार का नियन्त्रण केन्द्र है। इस विधेयक में प्रस्तावित शुल्क वित्त विधेयक में लगाये गये शुल्क के अतिरिक्त है। सबसे आश्चर्जनक बात यह है कि 1963 के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आयोग के प्रतिवेदन में भी सरकार की कार्यकारी शक्तियों का विशेष उल्लेख किया गया है। उत्पादन शुल्क की पहले ही अनुमति दी चुकी है और अब यह नया उपकर लगाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उद्योग काफी समृद्ध है।

अब सरकार ने चाय पर लगे 4 पैसे प्रति किलोग्राम के शुल्क को 8.8 पैसे प्रति किलोग्राम करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है। यह संसद के प्राधिकार पर एक गम्भीर अतिक्रमण है। चाय बोर्ड के कार्यों तथा उनके विस्तार के बारे से कोई विशेष ब्यौरा नहीं दिया गया है। हम यह भी नहीं जानते कि इस धन को किस उद्देश्य हेतु लिया जा रहा है। ऐसा कहा गया है कि चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है। यह भी कहा गया है कि चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड को अपनी गतिविधियों को बढ़ाना होगा। परन्तु हम नहीं जानते कि उनको किस हद तक बढ़ाया जाना है। इसलिए मेरे विचार में इस विधेयक में चाय बोर्ड की गतिविधियों अधिक विस्तृत ढंग से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि गरीब लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली इस वस्तु पर अतिरिक्त कर लगाने के कारण क्या हैं ?

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I oppose this Bill. Tea Board has failed to enhance the export of tea. On the other hand export of tea has decreased during the last few years. In 1963 our tea export was to the tune of 2 crores 23 lakh kilograms which has fallen to 1 crore 90 lakh, kilograms in 1966. So it is quite clear from the figures that the purpose for which Tea Board was established had been defeated. In my opinion, therefore, we should wind up this organisation instead of increasing its responsibilies and functions.

Tea Board has become a travelling agency of for the beautiful daughters of the big officers and rich men. In this connection I may say that daughter of Mr. Dias, Food and Agriculture secretary was appointed as an incharge of one of the centres of the Tea Board abroad.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए जो कि यहां अपनी सफाई पेश नहीं कर सकते हैं।

Shri George Fernandes : I have simply narrated a truth. I would request the hon. Minister to look into these affairs and report to the House of such girls who have been appointed abroad and are related to the big officers.

In 1960 it was decided by the Tea Board to take over the private warehouses leased out to M/s Balmer Lawrie and Co., Ltd. The decision has not been implemented so far. Now a new proposal has been forwarded to the Government to the effect that Government should agree for sub-letting the Public Warehouses. It means once again it has been proposed to hand over these warehouses to the private firms such a Balmere Lawrie and Co. about whom we have already received lot of complaints and who have done great harm to our tea industry. So, I would request the hon. Minister to wind up this tea Board instead of increasing its functions.

Shri Sheo Narain (Basti) : Although I support the policy of 'No Government without taxation' yet I oppose this bill At a meeting of the Public Accounts Committee in Calcutta, I put various questions to the officers of the Tea Board but none of the questions was answered properly. I would, therefore, suggest that Tea Board should be abolished. I support the increase in levy on tea but I would suggest that it should be collected directly from tea growers. They should be allowed to do their business directly with England and the middle agency such as Tea Board should be abolished. I would say it is a bogus Board and a road block in the progress of tea gardens. I support the Bill with the request that Tea Board should be abolished.

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : विधेयक के प्रस्तावक ने केवल इतना ही कहा है कि 90 लाख रुपये के स्थान वह 2 करोड़ रुपये एकत्र करना चाहते हैं। परन्तु इसके लिए कोई कारण नहीं बताया है।

हमें यह बताया गया था कि विदेशों में चाय भेजने का काम निजी उपक्रम अपने हाथ में ले सकते हैं। यदि सरकार ने निजी फर्मों द्वारा ही चाय को बाहर भेजना है तो फिर चाय बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह बड़ी लज्जा की बात है कि चाय भाण्डागारों का काम नहीं सम्भाल सका क्योंकि वह श्रमिकों से नहीं निपट सकता था।

इससे पूर्व निर्यात की जाने वाली चाय पर ही सीमा शुल्क लगाया जाता था परन्तु अब भारत में उत्पादन होने वाली चाय पर उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है। यद्यपि इससे भी लगभग उतनी ही धनराशि वसूल होगी तथापि सरकार को इस नये कराधान के लिए अलग व्यय करना पड़ेगा।

जहां तक उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है यह शब्द दिये गये है कि 'भारत में पैदा होने वाली चाय'। इन शब्दों से यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या बागान में पैदा होने वाली चाय पर भी उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा अथवा नहीं। यदि मंत्री महोदय बागान में पैदा होने वाली चाय पर उत्पादन शुल्क लगाना चाहते हैं तो यह सातवीं अनुसूची की सूची दो की चौदवी प्रविष्टि के विरुद्ध है। इससे बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होने की अशंका है। इन सब बातों के अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चाय बोर्ड सहायता का पात्र नहीं है। यदि कुछ किया जाता है तो राज्य व्यापार निगम अथवा मंत्रालय को स्वयं यह काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तभी हम इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं परन्तु इस अवस्था में इस विधेयक पर विचार नहीं कर सकते।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) : चाय बोर्ड के कार्यों के बारे में जो कुछ पहले कहा जा चुका है उसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूँ कि खण्ड 4 असंवैधानिक है। इस खण्ड के अन्तर्गत सरकार आरम्भ में शुल्क को 4 पैसे से 8.8 पैसे करना चाहती है परन्तु बाद में उसे अपनी इच्छानुसार बढ़ाने की शक्ति भी लेना चाहती है। संसद कार्यकारिणी को इस प्रकार की शक्ति नहीं दे सकती।

दूसरे एकत्र की जाने वाली राशि के बटवारे के बारे में भी कुछ कठिनाई होगी क्योंकि इस विधेयक की भाषा से यह स्पष्ट नहीं है कि यह उपकर है अथवा उत्पादन शुल्क है। यदि यदि यह उत्पादन शुल्क है तो राज्य सरकार इसमें से अपना भाग मांगेगी।

तीसरे कर लगाने की जो शक्ति सरकार मांग रही है वह असंवैधानिक है। यदि कोई उच्चतम न्यायालय में इस मामले को उठाता है तो उक्त न्यायालय द्वारा सम्बन्धित खण्ड रद्द कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में सरकार को स्पष्टता से काम लेना चाहिए।

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : I am thankful to the hon. Members who have put forward valuable suggestions during the course of discussion on the Tea (Amendment) Bill. All the suggestions will be considered carefully.

Several hon. Members have suggested the abolition of Tea Board. If this suggestion is implemented to then lot of people will be rendered jobless and the hon. Members who have now recommended the abolition of Tea Board will take serious objection to this. So, I would say that this is not possible to abolish the Tea Board because so many persons can not be thrown out of employment.

So for as export of tea is concerned it has definitely increased during the last few years. No doubt in 1962-63 it increased enormously and in the subsequent years it again fell down but as a whole it has increased. We are exporting more tea to-day than 1961-62.

Our tea has failed to fetch handsome price in the world market. If we could blend our tea here and send it abroad in small pockets, I hope we will get better price for our tea in international markets.

So far as production of tea is concerned it has increased by 22 percent.

The Reorganisation Unit of the Ministry of Finance is looking into the functions of the Tea Board to see how this can be reorganised. I have also come to know that three members of the Tea Board itself are look into the working of the Board for bringing improvement in it. Tea Board has been entrusted with several duties such as to increase the production, to provide irrigation facilities and also to look after the welfare activities of the employees.

It has also been said that Tea Board has recruited daughters of big officers. We can not deny a chance to any suitable person on the simple ground that he or she happend to be a son or daughter of a big officer. Had the hon. Member given me prior information of this specific case I would have made enquiries and replied to it. Now I am not in a position to say anything in this case except that I will look into this matter.

This Bill has been brought forward before the House for some additional funds. would like to assure the House that whatever money is sanctioned by the House will be spent by the Government. With these words I would request the House to pass this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय अधिनियम, 1953 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2–(विधेयक के पूरे नाम में संशोधन)

Shri George Fernandes : I beg to move amendment No. 3. The price of the tea available within the country is on the increase for the last few years. It is unfair on the part of the Government to increase the price of tea meant for internal consumption and to reduce the price of the tea meant for export. Therefore I have put forth this amendment that the proposed cess may be levied only on the tea meant for export.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 3 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, was added to the Bill.

खण्ड 3, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री नरेन्द्रसिंह महौडा (आनन्द) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ । उप-धारा 1 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि सदस्यों को सरकार के विचारों का पता लग सके ।

श्री दिनेश सिंह : मैं अधिसूचना सभा-पटल पर रख दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 4, 5 और 6 प्रस्तुत करता हूं ।

I have not been able to see the accounts of Tea Board. Looking at the audit report I find that they get sufficient amount by way cess and that there is no need to increase the cess. I would, therefore, request the hon. Minister to accept these amendments.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 4, 5 और 6 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4, 5 और 6 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos 4, 5 and 6 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खन्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विनेश सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Export of tea is on the decrease. On the other price of tea has gone up considerably. I would rather say that it has increased two-fold. It is, thus, quite clear that Tea Board is not functioning properly. Government should take steps to see that it functions properly.

Referenee has been made in regard to the appointment of the daughters of big officers by Tea Board. I would request the hon. Minister to look into this matter and see whether their selection was made on merits.

Shri Dinesh Singh : I may clear that I am not thinking of reducing the staff. There should be no misunderstanding about it.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

---

*तूती कोरिन बन्दरगाह परियोजना
*TUTICORIN HARBOUR PROJECT

श्री अंबाजागन (तिरुचेंगोड) : इस मामले की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ । तूतीकोरिन का बन्दरगाह बहुत प्राचीन है । पुरातन समय में तामिल राजाओं के शासन के दौरान यहां से पश्चिमी तथा पूर्वी देशों को सामान भेजा जाता था । 1919 में अंग्रेजों ने इस बन्दरगाह के विधान के लिए एक योजना बनाई थी और इस पर 30 लाख रुपये व्यय किये थे। अंग्रेजों ने अन्य कई योजनाएं बनाई थी परन्तु किसी कारण यह बन्दरगाह सभी मौसमों में उपयोगी तथा गहरे समुद्र वाली बन्दरगाह नहीं बन सकी ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य सरकार इस पत्तन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार पर जोर देती रही है । केन्द्रीय सरकार 1959 में इस योजना पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी । दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में श्री नेहरू ने इस परियोजना को कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया था । नवम्बर 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था ।

[**श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharya *in the Chair*]

इस परियोजना का 1954 में श्री चटर्जी के प्रतिवेदन में 1955 में संघ समुद्रय समिति के प्रतिवेदन में, 1959 में चाको तथा भवरानी के प्रतिवेदन में और 1960 में मध्यम वर्ग की बन्दरगाह विकास संबंधी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में इस परियोजना का समर्थन किया गया है । इसी कारण किसी हद तक इस परियोजना को कार्यान्वित भी किया गया है । परन्तु जिस प्रकार इस परियोजना पर काम किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि सरकार इस परियोजना के प्रति गम्भीर नहीं है । सरकार को इस परियोजना को व्यवहारिक दृष्टिकोण से न लेकर इसको तामिलनाड़ के विकास तथा उस क्षेत्र के लोगों का कल्याण करने की दृष्टि से

---

*आधे घंटे की चर्चा
*Half an hour discussion

देखना चाहिए। मद्रास के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया था कि यह परयोजना तामिलनाड के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे आशा है कि इस परियोजना से देश की अर्थ व्यवस्था तथा नौवहन सेवा को लाभ होगा। इससे विदेशों से हमारे व्यापार में भी वृद्धि होगी।

राज्य सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मद्रास सरकार पहले ही इस क्षेत्र के औद्योगीकरण के लिए लघु उद्योग वहां आरम्भ कर चुकी है। उस क्षेत्र में सड़के बनाने, पानी तथा बिजली सप्लाई करने तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करने पर राज्य सरकार पहले ही लगभग एक करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को कार्यान्वित करने के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं किया है। इस ढुलमुल नीति के कारण लोगों में सन्देह उत्पन्न हो गया है और वे क्षुब्ध हो रहे हैं। इस बारे में इसी मास की 23 तारीख को 'मांग दिवस' मनाया गया। जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया तथा यह मांग की कि केन्द्रीय सरकार को यह परियोजना पूरी करनी चाहिए। उस दिन सलेम में इस्पात कारखाना लगाने की भी मांग की गई। न तो केन्द्रीय सरकार ने स्वयं इस परियोजना को स्वीकार किया है और न ही राज्य सरकार को इसे कार्यान्वित करने की अनुमति दी है।

मेरे पास आंकड़े है जिनसे यह सिद्ध होता हैं कि तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना देश के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। नेशनल काउन्सिल आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च द्वारा 1958-59 में इस पत्तन के माल यातायात के बारे में किये सर्वेक्षण के अनुसार इसमें 24 लाख टन माल के यातायात की क्षमता है। इन आंकड़ों के पश्चात कई आंकड़े सामने आये हैं। अब एक अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि इस पत्तन में केवल 11.5 लाख टन की क्षमता है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूगा कि वह अर्थशास्त्र में एक विशेषज्ञ हैं अतः इस बात का पता लगायें कि इस पत्तन की वास्तविक क्षमता क्या है।

1964 में इस पत्तन की क्षमता 9.7 लाख टन की थी। यदि इस पत्तन का विकास किया जाता है और इसको सभी मौसमों की बन्दरगाह बनाया जाता है तो मेरे विचार में इसकी क्षमता तीन अथवा चार गुना बढ़ जायेगी।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस योजना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें तथा इस बात को सुनिश्चित करें कि इस परियोजना को कार्यान्वित किया जायेगा जिससे कि वहां के लोगों की शंकाएं दूर हों। इस वर्ष इस परियोजना के लिए निर्धारित की गई एक करोड़ रुपये की राशि अपर्याप्त है। इस वर्ष कम से कम पांच करोड़ रुपये दिये जाने चाहिए। यदि सरकार इतनी धन राशि की व्यवस्था नहीं कर सकती तो उसको इस प्रयोजन हेतु जापान से ऋण ले लेना चाहिए। जापान इस बन्दरगाह के विकास के लिए ऋण देने को तैयार है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस परियोजना को यथासम्भव शीघ्र कार्यान्वित करने की ओर ध्यान दें।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह एक पुरातन बन्दरगाह है और इससे उस क्षेत्र के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरी सूचना के अनुसार इस परियोजना को 1969 में पूरा

होना है और इस पर 24 करोड़ रुपये व्यय किये जाने हैं। परन्तु इस परियोजना पर अभी तक केवल साढ़े पांच करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। मैं माननीय मत्री से जानना चाहता हूं कि इस परियोजना को पूरा करने में क्या कठिनाइयां हैं?

श्री कृष्णा मूर्ति (कडुलूर) जैसा कि श्री रणधीर सिंह ने कहा इस परियोजना अब तक 18 करोड़ रुपये खर्च किये जाने चाहिए थे परन्तु अब तक कुल साढ़े पांच करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

प्राक्कलन समिति ने अपने 16 वें प्रतिवेदन में कहा है कि इस परियोजना पर सेथुसमुद्र समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक समेकित परियोजना है। तूतीकोरिन को एक मुख्य परियोजना के रूप में विकास के लिए सेथसमुद्रम परियोजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

इससे मद्रास के लिए 168, विशाखपतनम के लिए 304 कलकत्ता के लिए 265, चिहागागं के लिए 220 तथा रंगून के लिए 118 मील के मार्ग की बचत होगी।

इस परियोजना के लिए पर्याप्त धन न देने के क्या कारण हैं जबकि सरकार ने इस योजना के बाद आरम्भ की गई परियोजनाओं के लिए अधिक धन दिया है। इस बारे में मुझे माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहिए।

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : मैं इस समस्या पर तामिलनाद को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि समूचे देश को ध्यान में रखकर विचार करता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ती के 20 वर्ष पश्चात भी देश में ऐसे केवल पत्तन है जिनके बारे में हम गर्व कर सकते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार इस बन्दरगाह विशेष की क्षमता को ध्यान में रखकर विचार कर रही है तो मैं कहूँगा कि देश के आर्थिक विकास के प्रति सरकार का दृष्टीकोण बहुत निराशावादी है।

परिवहन मंत्री के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस पूरी योजना को ही समाप्त करने जा रही है। एप्लाइड इक्नोमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने यह अनुमान लगाया था कि तूतीकोरिन की यातायात क्षमता 24 लाख टन है। अब मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसकी क्षमता 11.15 लाख टन आंकी है। इसी आधार पर यह कहना कि वहां की यातायात क्षमता कम है और वहां से उपेक्षित लाभ नहीं हो रहा है, ठीक नहीं है। इस आधार पर एक अन्य समिति का गठन किया जा रहा है। मेरा यह अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि इस बन्दरगाह को विकसित न किया जाये। फिर दूसरी समिति भी ऐसा ही प्रतिवेदन देगी। इसके विपरीत मेरा परिवहन मंत्री से यह अनुरोध है कि वह इस परियोजना को पूरा करने के लिये मरसक प्रयत्न करे क्योंकि यह न केवल इस क्षेत्र विशेष के बल्कि पूरे देश के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

श्री कन्डप्पन (मैंदूर) : मैं यह आशा करता हूँ कि तूतीकोरिन परियोजना पर परिवहन मंत्री सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में दो स्पष्टीकरण चाहता हूँ। पहला यह कि इस परियोजना के बारे में एक विशेषज्ञ समिति पहले नियुक्त की गई थी;

परियोजना की स्थापना के लिये सिफारिश की थी। फिर उसी कार्य के लिये अब दूसरी समिति की नियुक्ति क्यों की जा रही है ? दूसरा यह कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बन्दरगाह के आस-पास का क्षेत्र औद्योगिक रूप से विकसित नहीं है दूसरी ओर उद्योगपति यह कहते हैं कि चूंकि वहां यातायात के साधनों का अभाव है इसलिये वहां उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकते। इस प्रकार यह कभी न सुलझने वाली गुत्थी बन गई है। इस कल्पित अनुमान के आधार पर सरकार परियोजना की सम्भावना के बारे में शंका क्यों कर रही है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी राव) : मैने माननीय सदस्यों को ध्यान पूर्वक सुना है परन्तु मैं यह अनुभव करता हूँ कि इस सम्पूर्ण वाद-विवाद में वास्तविकता का अभाव रहा। मैं उनके इन तर्कों को निराधार मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को समाप्त करना चाहती है या दूसरी समिति इस परियोजना की स्थापना के लिये सहमत नहीं होगी। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री या परिवहन मंत्री को पृथक पृथक रूप से नहीं देखना चाहिये क्योंकि सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करती है। दो मंत्रियों में इस प्रकार का भेद करना वांछनीय नहीं है। द्रीवड मुनेत्रकषगम के नेता ने मेरे मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की आलोचना की है। परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बारे में निर्णय एक अन्तर्विभागीय बैठक में किया गया था। मेरे मंत्रालय ने तो इस प्रतिवेदन को स्वीकार ही नहीं किया है। अतः सरकारी कर्मचारियों की इस प्रकार से आलोचना द्वेष भाव से की गई है।

साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जांच का सुझाव योजना आयोग ने दिया और परिवहन मंत्रालय ने नहीं। मैंने इसे ध्यान पूर्वक पढ़ा है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं हूँ और स्वयं मैने ही यह कहा था कि सम्पूर्ण मामले पर फिर से विचार किया जाना चाहिये।

मेरे विचार से इस परियोजना से पहले चौदह या पन्द्रह वर्षों में लाभ होने वाला नहीं है। इस काल में तो सूद तथा ऋण की किस्त भी न चुका पायेगी। इस घाटे को पूरा कौन करेगा ? फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि इस परियोजना को छोड़ दिया जाये। यह 1963-64 में शुरू की गई थी और इस पर तभी से काम किया जा रहा है। दुर्भाग्य से यह परियोजना उस प्रकार पास नहीं की गयी जिस प्रकार से ऐसी परियोजनाए सामान्य रूप से पास की जाती हैं। इस दोष को दूर करने के लिये मैंने प्रयास किया। सरकार यह नहीं चाहती की इस पर निर्माण कार्य बन्द हो जाये। परन्तु आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक्ता इस बात की है कि इस परियोजना की आर्थिक क्षमता को सुधारा जाये। इसके लिये मैंने यह सुझाव दिया था कि एक उच्च अधिकारी यहां से जायेगा और एक मद्रास सरकार का अधिकारी मिलकर तटीय प्रदेश की उपजाउपन सम्बन्धी सम्भावनाओं और नये उद्योगों की स्थापना संबंधी सम्भावनाओं के बारे में सामग्री एकम करेंगे। इनसे यातायात की मात्रा बढेगी। इस प्रतिवेदन के मिलने के बाद इस पर मैं और मद्रास का मुख्य मंत्री संयुक्त रूप से परामर्श करेंगे और इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा। इसका उद्देश्य केवल यह है कि उक्त परियोजना की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है। इस समिति को इस उद्देश्य से स्थापित नहीं किया जा रहा है कि यह परियोजना बन्द कर दी जाये। इसीलिये इसे 50 लाख रुपये अतिरिक्त दिया गया है जिससे

इस पर तब तक काम न रुके जब तक की नये प्रतिवेदन के सम्बन्ध में निर्णय हो । इस परियोजना को मंजूर करने और इसे पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । फिर भी कुछ तो क्रियाएं अपनानी ही होंगी । सेतुसमुद्रम परियोजना को इसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये क्योंकि वे दोनों परियोजनाएं अलग अलग है और सेतुसमुद्रम परियोजना का तो अभी सर्वेक्षण भी पूरा नहीं हुआ है ।

मैं लगभग सभी बातों की संतोषप्रद व्याख्या कर चुका हूं । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे उत्तरों से संतुष्ट हो जायेंगे और वे यह प्रयत्न करेंगे कि इस बारे में भविष्य में कोई आन्दोलन न हो ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 1 अगस्त, 1967/ 10 श्रावण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 1,1967/ Sravana 10,1989 (Saka)